15वीं वार्षिक रिपोर्ट 2023-24

इंफ्रा एंड सर्विसेस

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड

विजन और मिशन

"विशिष्टता प्राप्त अवसंरचना विकासकर्ता के रुप में पहचान बनाना तथा पर्यावरण, गुणवत्ता व सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए अवसंरचना परियोजनाओं के सभी क्षेत्रों के लिए विख्यात सेवाप्रदाता के रुप में स्वयं को स्थापित करना"

विषयवस्तु तालिका

1	अध्यक्ष का संबोधन	7
2	निदेशक की रिपोर्ट	16
3	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर रिपोर्ट	38
4	प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट	43
5	कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट	52
6	कॉर्पोरेट शासन पर प्रमाणपत्र	69
7	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	71
8	फॉर्म एओसी-2 में संबंधित पक्षों के साथ संविदाओं या व्यवस्थाओं का विवरण	78
	वित्तीय विवरण 2023-24	
9	लेखापरीक्षक रिपोर्ट	83
10	**तुलन पत्र**	102
11	लाभ और हानि विवरण	104
12	रोकड़ प्रवाह विवरण	106
13	इक्विटी परिवर्तन का विवरण	108
14	लेखांकन नीतियां	110
15	लेखों संबंधी नोट	129
16	सी एंड ए. जी से प्रमाणपत्र	200

निदेशक मंडल

श्री पराग वर्मा,
अध्यक्ष
(01 अक्टूबर 2022 से)

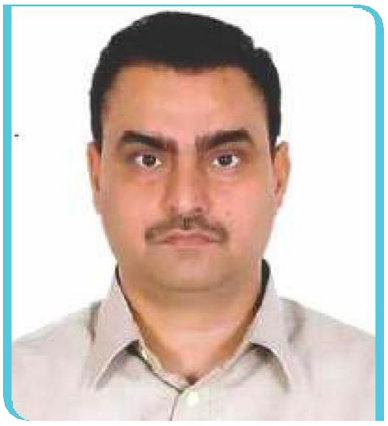

श्री सुरेंद्र सिंह
निदेशक
(**1** जुलाई 2021 से)

श्री राजीव कुमार सिन्हा
निदेशक
(7 दिसंबर 2022 से)

श्री अभिजीत कुमार सिन्हा
निदेशक
(1 अप्रैल 2022 से)

मुख्य प्रबंधन कार्मिक

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री अजय पाल सिंह
(6 मार्च 2020 से)

मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्रीमती पूजा चौरसिया
(06 जनवरी, 2024 से)

कंपनी सचिव
सुश्री मनीषा गुप्ता
(3 अप्रैल 2023 से)

सांविधिक लेखापरीक्षक
मोहन गुप्ता एंड कंपनी (चार्टेड एकाउंटेंट)
पता: बी-2ए/37, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058

सचिवीय लेखा परीक्षक
कंचन साह एंड एसोसिएट्स (कंपनी सचिव)
पता: आई-31, गली नंबर 3, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110024

आंतरिक लेखापरीक्षक
एम.एम. एंड एसोसिएट्स (लागत और प्रबंधन लेखाकार)
पता: 10डी, सेक्टर-7, पॉकेट-1, द्वारका, नई दिल्ली-110075

मुख्य बैंकर
इंडियन ओवरसीज बैंक • एचडीएफसी बैंक • आईसीआईसीआई बैंक

बहु उद्देशीय परिसर

हुबली में एमएफसी

अलेप्पी में एमएफसी

दीघा में एमएफसी

अध्यक्ष का संबोधन

गणमान्य शेयरधारकों,

आपकी कंपनी की 15वीं वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपार्ट तथा निदेशक की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तथा सचिवीय संपरीक्षकों की रिपोर्ट आपको परिपत्रित की गई है और मैं इस आशय की अनुमति हेतु अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ लिया गया होगा।
मुझे 2023–24 के लिए आपकी कंपनी के कार्यनिष्पादन पर अपडेट साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष 2023–2024 के दौरान, आपकी कंपनी ने 136.07 करोड़ रुपये का परिचालन राजस्व अर्जित किया है और 140.94 करोड़ रुपये का कुल राजस्व अर्जित किया है। कंपनी ने 14.22 करोड़ रुपये का कर–पूर्व लाभ और 8.86 करोड़ रुपये का कर–पश्चात लाभ अर्जित किया है।

कंपनी के कार्यनिष्पादन और विकास से उत्साहित होकर, आपके निदेशक मंडल ने 2.50 करोड़ रुपये (अर्थात 0.38 रुपये प्रति शेयर) के अंतरिम लाभांश के अलावा अंतिम लाभांश के रूप में 6.33

करोड़ रुपये (अर्थात 0.97 रुपये प्रति शेयर) की सिफारिश की है, जो वित्तीय वर्ष के दौरान पहले ही भुगतान किया जा चुका है।

प्रचालनिक प्रोफाइल

आपकी कंपनी ने रेल मंत्रालय के लिए तेईस चिन्हित रेलवे स्टेशन परिसरों में चौबीस बहु–कार्यात्मक परिसरों के विकास का कार्य किया था। इन 24 एमएफसी में से, तारापीठ, राजगीर और तिरुवाला में एमएफसी को वित्तीय रूप से अव्यवहार्य माना गया और समझौते की शर्तों के अनुसार रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को वापस कर दिया गया। इरकॉनआईएसएल ने 21 एमएफसी को तीसरे पक्ष को सफलतापूर्वक उप–पट्टे पर दे दिया है। रियायतग्राहियों द्वारा की गई चूक के कारण, 21 परिचालन एमएफसी में से 7 एमएफसी के उप–पट्टा समझौते को समाप्त कर दिया गया है। समाप्त किए गए रियायतग्राहियों को बेदखल करने की प्रक्रिया का कार्य प्रगति पर है और बेदखल होने पर, इन्हें संभावित रियायतग्राहियों को उप–पट्टे पर देने के लिए पुनः निविदा दी जाएगी।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने निम्नलिखित दो नई परियोजना प्रबंधन परामर्श परियाजनाओं को प्राप्त किया है:

1. भरथना–कोसाड, सूरत (केवल रेलवे भाग) के किलोमीटर संख्या 273/27–274/1 पर लेवल क्रॉसिंग संख्या एलसी–148 'सी' के पास नए रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए शहरी रिंग विकास निगम लिमिटेड, सूरत को परियोजना प्रबंधन परामर्श (पर्यवेक्षण/निरीक्षण) प्रदान करना।

2. छारोड़ी (गुजरात) में जीसीटी नीति के तहत मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल के विकास के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग और परियोजना पर्यवेक्षण के लिए कॉनकॉर को परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करना। कार्य की कुल लागत लगभग 157 करोड़ रुपये है।

वर्ष के दौरान प्राप्त नई परियोजनाओं के अलावा, आपकी कंपनी भारत में चल रही निम्नलिखित परियोजनाओं के संबंध में परियोजना प्रबंधन परामर्श भी प्रदान कर रही है :

I. बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के पीएमसी :

क. डीएसटी – आपकी कंपनी लगभग 210.64 करोड़ रुपये (पीएमसी शुल्क सहित) की अनुमानित परियोजना लागत पर प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के नए अत्याधुनिक भवन के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान कर रही है। ब्लॉक–I, ब्लॉक–II और ब्लॉक–III को शामिल करते हुए चरण–1 के लिए काम पूरा हो गया है और उसे सौंप दिया गया है, जबकि चरण– II परियोजना का काम निष्पादन चरण में है। चरण–II की समाप्ति की निर्धारित तिथि 31 दिसंबर 2025 है।

ख. एनडीआरएफ – आपकी कंपनी पीएमसी शुल्क सहित 79.90 करोड़ रुपये की लागत से नागपुर में एनडीआरएफ अकादमी में बुनियादी ढांचे के कार्यों के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी प्रदान कर रही है। आज की तिथि तक परियोजना की भौतिक प्रगति 91.31 प्रतिशत है। संभावित पूर्णता तिथि 31 दिसंबर 2024 है।

ग. कॉनकॉर – पारादीप (ओडिशा) आपकी कंपनी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकॉर) द्वारा 213.65 करोड़ रुपये की संशोधित लागत पर पारादीप (ओडिशा) में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (एमएमएलपी) के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी प्रदान कर रही है। आज की तारीख तक परियोजना की भौतिक प्रगति 91.31 प्रतिशत है। संभावित पूर्णता तिथि 31–08–2024 है।

कॉनकॉर – कडाकोला – आपकी कंपनी ने कर्नाटक के मैसूरु जिले के कडाकोला स्टेशन के पास मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी प्रदान किया है। परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत 64.47 करोड़ रुपये है। कार्य पूरा हो गया है और 12–03–2024 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा।

घ. एलपीएआई – आपकी कंपनी 04 भूमि पत्तनों अर्थात् **1. अटारी–पंजाब, 2. जोगबनी–बिहार, 3. पेट्रापोल – पश्चिम बंगाल, 4. दावकी – मेघालय** पर भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) के लिए सुरक्षा कर्मियों के लिए बैरक आवास के निर्माण के लिए एक परियोजना प्रबंधन परामर्श भी प्रदान कर रही है, जिसकी कुल लागत लगभग रु. 118.82 करोड़ (पीएमसी शुल्क सहित) है। अटारी, पंजाब और जोगबनी, बिहार में काम पूरा हो गया है और उसे सौंप दिया गया है। अन्य दो स्थानों दावकी–मेघालय और पेट्रापोल–पश्चिम बंगाल में कार्य प्रगति पर हैं, जिनकी भौतिक प्रगति

80 प्रतिशत और 68 प्रतिशत है। पेट्रापोल और दावकी के पूरा होने की संभावित तारीख 31–09–2024 है।

ड. एसवीएसयू – आपकी कंपनी दुधोला, पलवल, हरियाणा में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसयू) की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) भी प्रदान कर रही है, जिसकी लागत लगभग 468 करोड़ रुपये (पीएमसी शुल्क सहित) है। आज की तिथि तक परियोजना की भौतिक प्रगति 80 प्रतिशत है और दिनांक 31.12.2024 तक पूरी होने की संभावना है।

च. एनवीएस, जेएनवी – आपकी कंपनी नवोदय विद्यालय समिति (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन) के लिए क्रमशः 25.09 करोड़ रुपये और 29.09 करोड़ रुपये की लागत से दो जवाहर नवोदय विद्यालय चरण–क कार्यों, **(i) आगर मालवा (मध्य प्रदेश) और (ii) साबरकांठा (गुजरात)** के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्य भी प्रदान कर रही है। दोनों परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और एनवीएस को सौंप दी गई हैं। जेएनवी साबरकांठा में चरण बी कार्य की निविदा तकनीकी बोली 22–03–2024 को खोली गई।

छ. एनटीपीसी – आपकी कंपनी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी), ऊंचाहार में स्टेज–1 (2x210 मेगावाट) के एमजीआर सिस्टम के सीएसटी–9 स्लीपरों को पीआरसी स्लीपरों से बदलने के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी प्रदान कर रही है, जिसकी संशोधित अनुमानित लागत लगभग 51.61 करोड़ रुपये है। यह कार्य 31 अक्टूबर 2025 तक पूरा होने वाला है। आज की तिथि तक परियोजना की भौतिक प्रगति 46 प्रतिशत है।

ज. एमसीडी – एसडीएमसी के तहत नई दिल्ली के पंजाबी बाग के मादीपुर में सामुदायिक केंद्र में स्थित भूमि पार्सल का विकास और मुद्रीकरण, परियोजना लागत पर पीएमसी शुल्क 4.49 प्रतिशत की दर पर वाणिज्यिक परिसर के साथ मल्टी लेवल कार पार्किंग सुविधा के रूप में है। एमसीडी द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है और 12 महीने की निर्माण अवधि के लिए ठेकेदार की नियुक्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

II. रेलवे के लिए डीपीआर और सर्वेक्षण कार्य :

क. एनईआर – आपकी कंपनी उत्तर पूर्वी रेलवे के लिए उत्तराखंड राज्य में टनकपुर से बागेश्वर (लगभग 154.58 किलोमीटर) तक नई ब्रॉड–गेज लाइन के लिए आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग करके अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस) के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी)

प्रदान कर रही है (संशोधित पीएमसी शुल्क– 25.11 करोड़ रुपये)। संरेखण स्तंभ और सीमा स्तंभ की ढलाई और फिक्सिंग का काम प्रगति पर है। साइट पर लगभग 82 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त की गई है और अंतिम डीपीआर एनईआर को प्रस्तुत की गई है। संभावित पूर्णता तिथि 30–09–2024 है।

ख. एनएफआर – आपकी कंपनी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लिए मणिपुर में इंफाल–मोरेह नई बीजी सिंगल लाइन परियोजना (कुल लगभग लंबाई 110 किमी) के संबंध में उपग्रह या एलआईडीएआर इमेजरी से उत्पन्न डिजिटल टेरेन/एलिवेशन मॉडल (डीटीएम/डीईएम/डीएसएम) का उपयोग करके अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस) के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) भी प्रदान कर रही है (पीएमसी शुल्क – 11.81 करोड़ रुपये)। एआरएस–2 की तैयारी प्रगति पर है। साइट पर लगभग 50 प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल की गई है और संभावित पूर्णता तिथि 31–12–2024 है।

III. रखरखाव/सुविधा प्रबंधन सेवा :

क. **सीईआरएल–ट्रैक कार्यों का रखरखाव** : आपकी कंपनी ने दक्षिण पूर्व रेलवे में सीईआरएल के खरसिया – कोरिचापार सेक्शन में ईस्ट रेल कॉरिडोर चरण–I परियोजना परिसंपत्तियों (ट्रैक पुल और अन्य संबद्ध परिसंपत्तियां, ओएचई और एसटी) के संचालन और रखरखाव के लिए छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) के साथ दिनांक 22.08.2019 को एक समझौता किया है जो प्रगति पर है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 88.39 करोड़ रुपये है। ओएंडएम कार्य प्रगति पर है और दिनांक 11.07.2024 तक पूरा हो जाएगा।

ख. **सीईआरएल–ट्रैक कार्यों का रखरखाव** : खरसिया से कोरीचापार खंड के मौजूदा ओएंडएम समझौते की उन्हीं शर्तों के तहत नए रूप में कमीशन किए गए कृष्णप्पा से धरमजयगढ़ खंड और घरगोड़ा से भालूमुडा खंड में परियोजना परिसंपत्तियों का रखरखाव, एक वर्ष की अवधि के लिए 11.28 करोड़ रुपये की राशि के दायरे में विस्तार के माध्यम से किया गया है। ओएंडएम कार्य प्रगति पर है और दिनांक 11.07.2024 को पूरा हो जाएगा।

ग. **सुविधा प्रबंधन सेवाएं–** डीएसटी : आपकी कंपनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के लिए 3 वर्षों के लिए सुविधा प्रबंधन सेवाएं और भवन संबंधी सेवाओं का वार्षिक संचालन सह व्यापक रखरखाव भी प्रदान कर रही है। 3 वर्षों के लिए अनुमानित लागत 12.92 करोड़ है। कार्य वर्तमान में प्रगति पर है और 30.09.2025 में पूरा हो जाएगा।

IV. मशीनरी की तैनाती :

आपकी कंपनी पट्टे पर निम्नलिखित मशीनरी भी उपलब्ध करा रही है :

क. **डुओमैटिक–6013** ट्रैक टैम्पिंग मशीन प्लासर इंडिया मेक को इरकॉन श्रीलंका परियोजना के लिए लीज पर लेना।

ख. एमपीटी मशीन प्लासर इंडिया मेक को इरकॉन बांग्लादेश परियोजना के लिए लीज पर लेना।

ग. इरकॉन डीएफसीसी सीटीपी–12 परियोजना के लिए सुपर पुलर {हॉलैंड मेक, के साथ **फ्लैश बट वेल्डिंग मशीन** को लीज पर लेना।

घ. बिलासपुर डिवीजन के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में सीईआरएल–खरसिया–धरमजयगढ़ नवनिर्मित बीजी सेक्शन में रखरखाव कार्यों के लिए **यूनिमैट–8255 मशीन।**

V. भारत में आरओबी परियोजनाएं :

क. **एमआरआईडीसीएल** – आपकी कंपनी रेलवे हिस्से के भीतर स्टील सुपरस्ट्रक्चर की असेंबली और लॉन्चिंग के निरीक्षण, पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित कार्यों के लिए निरीक्षण एजेंसी के रूप में परामर्श सेवाएँ प्रदान कर रही है, जिसमें महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए मध्य रेलवे के अंतर्गत महाराष्ट्र क्षेत्र में एलसी गेटों के बदले विभिन्न स्थानों पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण के लिए बियरिंग का निर्माण और स्थापना शामिल है।

VI. परियोजनाओं के लिए पैनल :

क. **एमसीडी** – आपकी कंपनी एसडीएमसी के तहत भूमि पार्सल/संपत्तियों के विकास और मुद्रीकरण के लिए एक परियोजना विकास सलाहकार (पीडीसी) के रूप में भी सूचीबद्ध है।

ख. **एनवीएस** – आपकी कंपनी हैदराबाद, जयपुर, पुणे और शिलांग क्षेत्र के लिए छटै के निर्माण, रखरखाव और मरम्मत (एम एंड आर) कार्यों के लिए एनवीएस सेवाएँ प्रदान करने के लिए भी सूचीबद्ध है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी का मानना है कि अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन अच्छे कार्य परिणामों और वित्तीय औचित्य से कहीं आगे जाता है और यह हितधारक मूल्य सृजन के संदर्भ में उत्कृष्ट प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए एक पूर्वापेक्षा है। कॉर्पोरेट प्रशासन एक सैद्धांतिक प्रक्रिया और संरचना प्रदान करता है जिसके माध्यम से कंपनी के उद्देश्य, उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन और प्रदर्शन की निगरानी की प्रणाली भी निर्धारित की जाती है। इन पंक्तियों के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों और कर्मचारियों के लिए ''व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता'' जारी की है।

आपकी कंपनी अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है और डीपीई कॉर्पोरेट प्रशासन दिशा–निर्देशों और अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के तहत कॉर्पोरेट प्रशासन की आवश्यकता का अनुपालन करती है और नैतिक तरीके से व्यवसाय का संचालन करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और कॉर्पोरेट नैतिकता पर सबसे अधिक जोर देती है। कॉर्पोरेट प्रशासन पर लागू विवरण प्रस्तुत करने वाला एक अलग खंड निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

समाज के विकास के लिए अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी हमेशा समाज की बेहतरी के लिए अच्छे सामाजिक कारणों का समर्थन करती रही है। वर्ष के दौरान आपकी कंपनी पर वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए धारा 135 (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए 24 लाख रुपये की राशि खर्च करने का दायित्व है।

आभारोक्ति

निदेशक मंडल और कंपनी की ओर से, मैं रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय, रेल भूमि विकास प्राधिकरण, तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण, अपनी धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा शेयरधारकों का, उनके निरंतर सहयोग तथा मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं कंपनी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में उनके बहुमूल्य योगदान और सुझावों के लिए बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन टीम को अपना विशेष धन्यवाद और प्रशंसा व्यक्त करता हूं। मैं कंपनी के कर्मचारियों के प्रयासों की भी सराहना करता हूं, जो हमारी सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति हैं और मैं अपने ग्राहकों, वेंडरों तथा साझेदारों को उनके विश्वास और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

जैसा कि हम नए वित्तीय वर्ष में व्यवसाय को आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर हैं, हमें विश्वास है कि आपके समग्र समर्पण, विवेक, कड़ी मेहनत और समर्थन के साथ, हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता आने वाले महीने में बेहतर होगी और हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले सालों में आपकी कंपनी और भी मजबूत होगी। हालांकि, हम जितने मजबूत होते जाएंगे, हम उतना ही विनम्र महसूस करेंगे।

ह/–
पराग वर्मा
अध्यक्ष
डीआईएन : 05272169

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05.08.2024

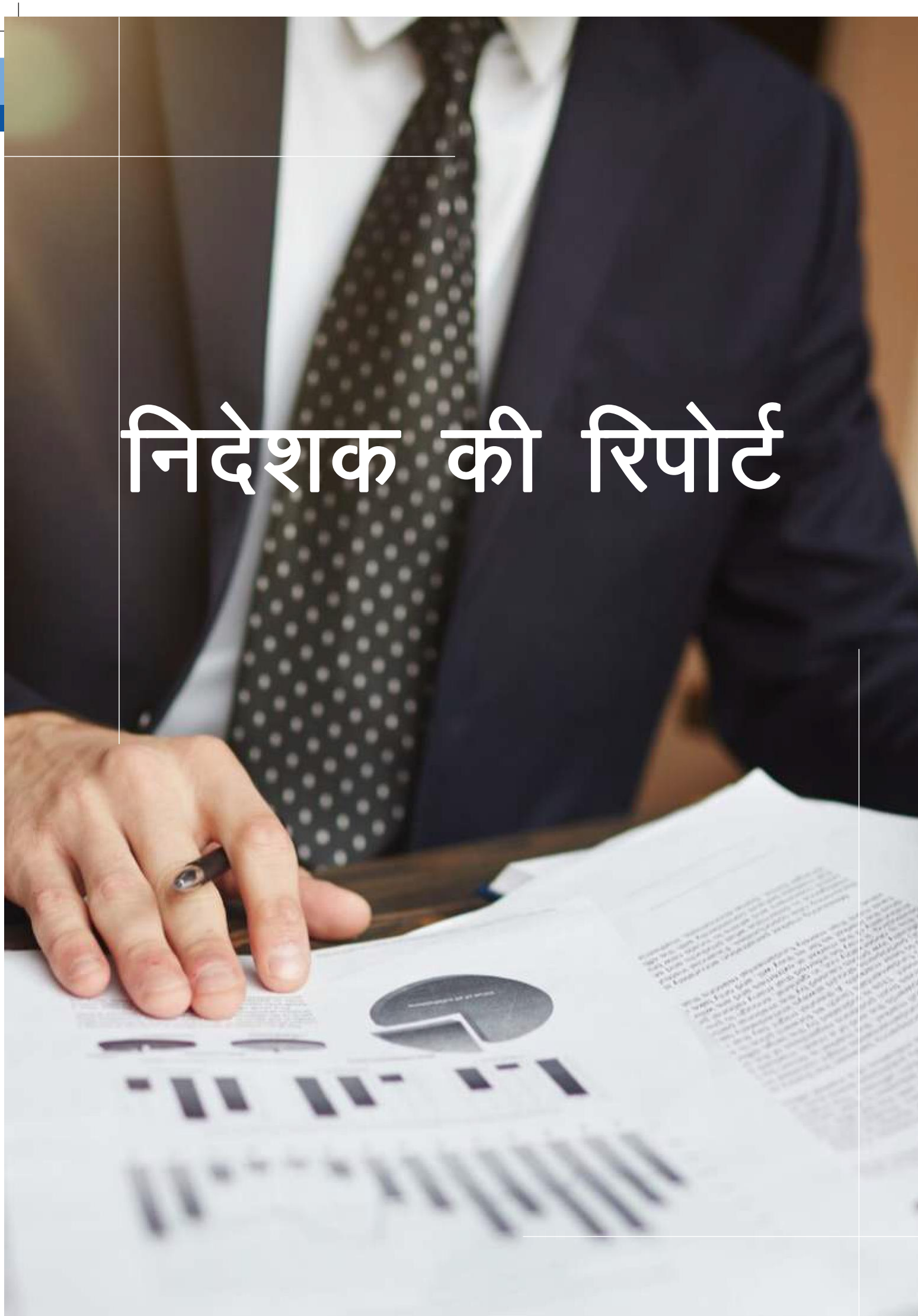

निदेशक की रिपोर्ट

निदेशक की रिपोर्ट

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड के गणमान्य शेयरधारकों,

आपकी कंपनी के निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के कार्यकलापों की 15वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है।

1. वित्तीय परिणाम और वित्तीय निष्पादन

क. वित्तीय परिणाम

(रुपए करोड़ में)

क्र सं.	विवरण	2023-24	2022-23
1.	प्राधिकृत शेयर पूंजी	65.00	65.00
2.	अंशदायी तथा प्रदत्त शेयर पूंजी	65.00	65.00
3.	आरक्षित निधि व अधिशेष	111.61	105.26
4.	प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	-	-
5.	कुल राजस्व	140.94	222.85
6.	प्रचालनों से राजस्व	136.07	218.91
7.	कर पूर्व लाभ	14.22	7.13
8.	कर पश्चात लाभ	8.86	5.32
9.	निवल संपत्ति	176.61	170.26
10.	प्रति शेयर आमदनी (रूपए)	1.36	0.82

ख.वित्तीय निष्पादन विशेषताएं :

- वित्तीय वर्ष 2023–2024 के दौरान आपकी कंपनी ने 136.07 करोड़ रुपये की कुल परिचालन आय दर्ज की है, जो पिछले वर्ष की 218.91 करोड़ रुपये की परिचालन आय से 37.84 प्रतिशत कम है। परिचालन आय में कमी का मुख्य कारण जमा कार्य परियोजनाओं की आय में गिरावट के कारण था, जहाँ क्लाइंट से धन प्राप्त न होने के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका।

- कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–2024 के दौरान 14.22 करोड़ रुपये का कर–पूर्व लाभ (पीबीटी) हासिल किया है, जबकि पिछले वर्ष यह 7.13 करोड़ रुपये था, अर्थात पिछले वर्ष की तुलना में 99. 44 प्रतिशत अधिक। पीबीटी में वृद्धि के मुख्य कारण रखरखाव, ओएंडएम और मशीन लीजिंग कार्यों में राजस्व में वृद्धि थी।

- वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कर पश्चात लाभ (पीएटी) 8.86 करोड़ रुपये है।

- वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए प्रति शेयर आय 1.36 रुपये है।

- 31 मार्च, 2024 तक कंपनी की निवल संपत्ति 176.61 करोड़ रुपये है।

ग. आरक्षित निधि में अंतरण

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिधारित आय का विनियोजन 8.86 करोड़ रुपये था।

घ. विदेशी मुद्रा आमदनियां और निर्गम

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, इरकॉन की विदेशी परियोजनाओं के लिए जनशक्ति आपूर्ति और मशीनरी के पट्टे के कारण कंपनी की विदेशी मुद्रा आय 5.68 करोड़ रुपये है। इसी तरह कंपनी का विदेशी मुद्रा व्यय 2.22 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी की शुद्ध विदेशी मुद्रा आय 3.46 करोड़ रुपये है।

ड. लाभांश :

निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 10 रुपये प्रति शेयर अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर पर 0.38 रुपये का अंतरिम लाभांश घोषित और वितरित किया है। अंतरिम लाभांश के अलावा, आपकी कंपनी ने 0.97 रुपये प्रति शेयर का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है। इसके साथ वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कुल लाभांश भुगतान प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 13.58 प्रतिशत होगा, जो कुल मिलाकर 8.83 करोड रूपए (लगभग) होगा, जो वित्त वर्ष 2023–24 के कर–पश्चात लाभ का 99.67 प्रतिशत और 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के निवल मूल्य का 5 प्रतिशत है।

प्रस्तावित अंतिम लाभांश की घोषणा और भुगतान के बाद, वित्त वर्ष 2023–24 तक शेयरधारकों को भुगतान किया जाने वाला संचयी लाभांश 8.83 करोड़ रुपये होगा।

च. शेयर पूंजीः

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कंपनी की प्राधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी 65 करोड़ रुपये है, जिसमें प्रत्येक 10 रुपये के 6,50,00,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। कंपनी की 100 प्रतिशत भुगतान इक्विटी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के पास है।

2. प्रचालन निष्पादन

क. बहु–कार्यात्मक परिसर (एमएफसी)

आपकी कंपनी ने रेल मंत्रालय के लिए तेईस चिन्हित रेलवे स्टेशन परिसरों में चौबीस बहु–कार्यात्मक परिसरों के विकास का कार्य किया था। इन 24 एमएफसी में से, तारापीठ, राजगीर और तिरुवाला में एमएफसी को वित्तीय रूप से अव्यवहार्य माना गया और समझौते की शर्तों के अनुसार रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को वापस कर दिया गया। इरकॉनआईएसएल ने 21 एमएफसी को तीसरे पक्ष को सफलतापूर्वक उप–पट्टे पर दे दिया है। रियायतग्राहियों द्वारा की गई चूक के कारण, 21 परिचालन एमएफसी में से 7 एमएफसी के उप–पट्टा समझौते को समाप्त कर दिया गया है। समाप्त किए गए रियायतग्राहियों को बेदखल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और बेदखल होने पर, इन्हें संभावित रियायतग्राहियों को उप–पट्टे पर देने के लिए पुनः निविदा दी जाएगी।

ख.भारत में चालू परियोजनाएं

आपकी कंपनी ने निम्नलिखित भारतीय परियोजनाओं को निष्पादित किया हैः–

1. अवसंरचना परियोजनाओं का पीएमसी

क. डीएसटी – आपकी कंपनी लगभग 210.64 करोड़ रुपये (पीएमसी शुल्क सहित) की अनुमानित परियोजना लागत पर प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के नए अत्याधुनिक भवन के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान कर रही है। ब्लॉक–I, ब्लॉक–II और ब्लॉक–III को शामिल करते हुए चरण–1 के लिए काम पूरा हो गया है और उसे सौंप दिया गया है, जबकि चरण– II परियोजना का काम निष्पादन चरण में है। चरण–II की समाप्ति की निर्धारित तिथि 31 दिसंबर 2025 है।

ख. एनडीआरएफ – आपकी कंपनी पीएमसी शुल्क सहित 79.90 करोड़ रुपये की लागत से नागपुर में एनडीआरएफ अकादमी में बुनियादी ढांचे के कार्यों के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी प्रदान कर रही है। आज की तिथि तक परियोजना की भौतिक प्रगति 91.31 प्रतिशत है। संभावित पूर्णता तिथि 31 दिसंबर 2024 है।

ग. कॉनकॉर – पारादीप (ओडिशा) आपकी कंपनी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकॉर) द्वारा 213.65 करोड़ रुपये की संशोधित लागत पर पारादीप (ओडिशा) में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (एमएमएलपी) के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी प्रदान कर रही है। आज की तारीख तक परियोजना की भौतिक प्रगति 91.31 प्रतिशत है। संभावित पूर्णता तिथि 31–08–2024 है।

कॉनकॉर – कडाकोला – आपकी कंपनी ने कर्नाटक के मैसूरु जिले के कडाकोला स्टेशन के पास मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी प्रदान किया है। परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत 64.47 करोड़ रुपये है। कार्य पूरा हो गया है और 12–03–2024 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा।

घ. एलपीएआई – आपकी कंपनी 04 भूमि पत्तनों अर्थात् **1. अटारी–पंजाब, 2. जोगबनी–बिहार, 3. पेट्रापोल – पश्चिम बंगाल, 4. दावकी – मेघालय** पर भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) के लिए सुरक्षा कर्मियों के लिए बैरक आवास के निर्माण के लिए एक परियोजना प्रबंधन परामर्श भी प्रदान कर रही है, जिसकी कुल लागत लगभग रु. 118.82 करोड़ (पीएमसी शुल्क सहित) है। अटारी, पंजाब और जोगबनी, बिहार में काम पूरा हो गया है और उसे सौंप दिया गया है। अन्य दो स्थानों दावकी–मेघालय और पेट्रापोल–पश्चिम बंगाल में कार्य प्रगति पर हैं, जिनकी भौतिक प्रगति 80 प्रतिशत और 68 प्रतिशत है। पेट्रापोल और दावकी के पूरा होने की संभावित तारीख 31–09–2024 है।

ड. एसवीएसयू – आपकी कंपनी दुधोला, पलवल, हरियाणा में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसयू) की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) भी प्रदान कर रही है, जिसकी लागत लगभग 468 करोड़ रुपये (पीएमसी शुल्क सहित) है। आज की तिथि तक परियोजना की भौतिक प्रगति 80 प्रतिशत है और दिनांक 31.12.2024 तक पूरी होने की संभावना है।

च. एनवीएस, जेएनवी – आपकी कंपनी नवोदय विद्यालय समिति (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन) के लिए क्रमशः 25.09 करोड़ रुपये और 29.09 करोड़ रुपये की लागत से दो जवाहर नवोदय विद्यालय चरण–क कार्यों, **(i) आगर मालवा (मध्य प्रदेश) और (ii) साबरकांठा (गुजरात)** के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्य भी प्रदान कर रही है। दोनों परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और एनवीएस को सौंप दी गई हैं। जेएनवी साबरकांठा में चरण बी कार्य की निविदा तकनीकी बोली 22–03–2024 को खोली गई।

छ. एनटीपीसी – आपकी कंपनी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी), ऊंचाहार में स्टेज–1 (2x210 मेगावाट) के एमजीआर सिस्टम के सीएसटी–9 स्लीपरों को पीआरसी स्लीपरों से बदलने के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी प्रदान कर रही है, जिसकी संशोधित अनुमानित लागत लगभग 51.61 करोड़ रुपये है। यह कार्य 31 अक्टूबर 2025 तक पूरा होने वाला है। आज की तिथि तक परियोजना की भौतिक प्रगति 46 प्रतिशत है।

ज. एमसीडी – एसडीएमसी के तहत नई दिल्ली के पंजाबी बाग के मादीपुर में सामुदायिक केंद्र में स्थित भूमि पार्सल का विकास और मुद्रीकरण, परियोजना लागत पर पीएमसी शुल्क 4.49 प्रतिशत की दर पर वाणिज्यिक परिसर के साथ मल्टी लेवल कार पार्किंग सुविधा के रूप में है। एमसीडी द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है और 12 महीने की निर्माण अवधि के लिए ठेकेदार की नियुक्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

II. रेलवे के लिए डीपीआर और सर्वेक्षण कार्य :

क. एनईआर – आपकी कंपनी उत्तर पूर्वी रेलवे के लिए उत्तराखंड राज्य में टनकपुर से बागेश्वर (लगभग 154.58 किलोमीटर) तक नई ब्रॉड–गेज लाइन के लिए आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग करके अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस) के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) प्रदान कर रही है (संशोधित पीएमसी शुल्क– 25.11 करोड़ रुपये)। संरेखण स्तंभ और सीमा स्तंभ की ढलाई और फिक्सिंग का काम प्रगति पर है। साइट पर लगभग 82 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त की गई है और अंतिम डीपीआर एनईआर को प्रस्तुत की गई है। संभावित पूर्णता तिथि 30–09–2024 है।

ख. एनएफआर – आपकी कंपनी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लिए मणिपुर में इंफाल–मोरेह नई बीजी सिंगल लाइन परियोजना (कुल लगभग लंबाई 110 किमी) के संबंध में उपग्रह या एलआईडीएआर इमेजरी से उत्पन्न डिजिटल टेरेन/एलिवेशन मॉडल (डीटीएम/डीईएम/डीएसएम) का उपयोग करके अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस) के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) भी प्रदान कर रही है (पीएमसी शुल्क – 11.81 करोड़ रुपये)। एआरएस–2 की तैयारी प्रगति पर है। साइट पर लगभग 50 प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल की गई है और संभावित पूर्णता तिथि 31–12–2024 है।

III. रखरखाव/सुविधा प्रबंधन सेवा :

क. सीईआरएल–ट्रैक कार्यों का रखरखाव : आपकी कंपनी ने दक्षिण पूर्व रेलवे में सीईआरएल के खरसिया – कोरिचापार सेक्शन में ईस्ट रेल कॉरिडोर चरण–I परियोजना परिसंपत्तियों (ट्रैक पुल और अन्य संबद्ध परिसंपत्तियां, ओएचई और एसटी) के संचालन और रखरखाव के लिए छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) के साथ दिनांक 22.08.2019 को एक समझौता किया है जो प्रगति पर है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 88.39 करोड़ रुपये है। ओएंडएम कार्य प्रगति पर है और दिनांक 11.07.2024 तक पूरा हो जाएगा।

ख. सीईआरएल–ट्रैक कार्यों का रखरखाव : खरसिया से कोरीचापार खंड के मौजूदा ओएंडएम समझौते की उन्हीं शर्तों के तहत नए रूप में कमीशन किए गए कृष्णप्पा से धरमजयगढ़ खंड और घरगोड़ा से भालूमुडा खंड में परियोजना परिसंपत्तियों का रखरखाव, एक वर्ष की अवधि के लिए 11.28 करोड़ रुपये की राशि के दायरे में विस्तार के माध्यम से किया गया है। ओएंडएम कार्य प्रगति पर है और दिनांक 11.07.2024 को पूरा हो जाएगा।

ग. सुविधा प्रबंधन सेवाएं– डीएसटी : आपकी कंपनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के लिए 3 वर्षों के लिए सुविधा प्रबंधन सेवाएं और भवन संबंधी सेवाओं का वार्षिक संचालन सह व्यापक रखरखाव भी प्रदान कर रही है। 3 वर्षों के लिए अनुमानित लागत 12.92 करोड़ है। कार्य वर्तमान में प्रगति पर है और 30.09.2025 में पूरा हो जाएगा।

IV. मशीनरी की तैनाती :

आपकी कंपनी पट्टे पर निम्नलिखित मशीनरी भी उपलब्ध करा रही है :

क. **डुओमैटिक–6013** ट्रैक टैम्पिंग मशीन प्लासर इंडिया मेक को इरकॉन श्रीलंका परियोजना के लिए लीज पर लेना।

ख. एमपीटी मशीन प्लासर इंडिया मेक को इरकॉन बांग्लादेश परियोजना के लिए लीज पर लेना।

ग. इरकॉन डीएफसीसी सीटीपी–12 परियोजना के लिए सुपर पुलर {हॉलैंड मेक, के साथ **फ्लैश बट वेल्डिंग मशीन** को लीज पर लेना।

घ. बिलासपुर डिवीजन के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में सीईआरएल–खरसिया–धरमजयगढ़ नवनिर्मित बीजी सेक्शन में रखरखाव कार्यों के लिए **यूनिमैट–8255 मशीन।**

V. भारत में आरओबी परियोजनाएं :

क. एमआरआईडीसीएल – आपकी कंपनी रेलवे हिस्से के भीतर स्टील सुपरस्ट्रक्चर की असेंबली और लॉन्चिंग के निरीक्षण, पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित कार्यों के लिए निरीक्षण एजेंसी के रूप में परामर्श सेवाएँ प्रदान कर रही है, जिसमें महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए मध्य रेलवे के अंतर्गत महाराष्ट्र क्षेत्र में एलसी गेटों के बदले विभिन्न स्थानों पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण के लिए बियरिंग का निर्माण और स्थापना शामिल है।

VI. परियोजनाओं के लिए पैनल :

क. एमसीडी – आपकी कंपनी एसडीएमसी के तहत भूमि पार्सल/संपत्तियों के विकास और मुद्रीकरण के लिए एक परियोजना विकास सलाहकार (पीडीसी) के रूप में भी सूचीबद्ध है।

ख. एनवीएस – आपकी कंपनी हैदराबाद, जयपुर, पुणे और शिलांग क्षेत्र के लिए छटै के निर्माण, रखरखाव और मरम्मत (एम एंड आर) कार्यों के लिए एनवीएस सेवाएँ प्रदान करने के लिए भी सूचीबद्ध है।

ग. भारत में नई परियोजनाएं

वित वर्ष 2023–24 के दौरान इरकॉन आईएसएल ने निम्नलिखित दो नई परियोजना प्रबंधन परामर्श परियाजनाओं को प्राप्त किया है:

1. भरथना–कोसाड, सूरत (केवल रेलवे भाग) के किलोमीटर संख्या 273/27–274/1 पर लेवल क्रॉसिंग संख्या एलसी–148 'सी' के पास नए रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए शहरी रिंग विकास निगम लिमिटेड, सूरत को परियोजना प्रबंधन परामर्श (पर्यवेक्षण/निरीक्षण) प्रदान करना।

2. छारोड़ी (गुजरात) में जीसीटी नीति के तहत मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल के विकास के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग और परियोजना पर्यवेक्षण के लिए कॉनकॉर को परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करना। कार्य की कुल लागत लगभग 157 करोड़ रुपये है।

3. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी के बोर्ड में सभी निदेशक अंशकालिक निदेशक हैं, जिनकी नियुक्ति होल्डिंग कंपनी द्वारा की जाती है। दिनांक 31 मार्च, 2024 को कंपनी के निदेशक मंडल इस प्रकार थे:

1. श्री पराग वर्मा, (डीआईएन 05272169) (10 अक्टूबर, 2022 से)
2. श्री सुरेंद्र सिंह (डीआईएन 09214484) (1 जुलाई, 2021 से)
3. श्री राजीव कुमार सिन्हा (डीआईएन 8320520) (07 दिसंबर, 2022 से)
4. श्री अभिजीत कुमार सिन्हा (डीआईएन 09213782) (1 अप्रैल, 2022 से)

वित्त वर्ष 2023–24 की समाप्ति के दौरान और उसके बाद निदेशकों और केएमपी के कार्यालय में परिवर्तन

निदेशकों/केएमपी के कार्यालय में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए :

i. सुश्री मनीषा गुप्ता को 03 अप्रैल, 2023 से कंपनी के कंपनी सचिव और केएमपी के रूप में नियुक्त किया गया है।

ii. श्रीमती प्रीति शुक्ला दिनांक 05.01.2024 से कंपनी की मुख्य वित्त अधिकारी एवं केएमपी नहीं रहेंगी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) में वापस भेज दिया गया है।

iii. श्रीमती पूजा चौरसिया को दिनांक 06.01.2024 से श्रीमती प्रीति शुक्ला के स्थान पर कंपनी की मुख्य वित्त अधिकारी एवं केएमपी नियुक्त किया गया है।

इस रिपोर्ट की तिथि तक पद धारण करने वाले प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण इस प्रकार है:

क.	श्री अजय पाल सिंह मुख्य कार्यकारी अधिकारी	06.03.2020 से आगे
ख.	श्रीमती पूजा चौरसिया	06.01.2024 से आगे

	मुख्य वित्तीय अधिकारी	
ग.	सुश्री मनीषा गुप्ता कंपनी सचिव	03.04.2023 से आगे

4. बोर्ड समितियां

कंपनी में निम्नलिखित बोर्ड समितियां विद्यमान हैं:

1. लेखापरीक्षा समिति
2. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति
3. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

लेखापरीक्षा समिति, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना से संबंधित ब्यौरे को निगमित शासन रिपोर्ट में शामिल किया गया है, जो इस रिपोर्ट का भाग है और यह **अनुबंध–ग** पर संलग्न है।

5. निदेशक मंडल और लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2023–2024 के दौरान निदेशक मंडल की नौ बैठकें और लेखापरीक्षा समिति की छह बैठकें आयोजित की गईं थीं। बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था।

निदेशक मंडल तथा लेखापरीक्षा समिति और अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों का ब्यौरा निगमित शासन रिपोर्ट में **अनुबंध–ग** के रूप में उपलब्ध कराया गया है।

6. रोटेशन द्वारा निदेशकों की सेवानिवृत्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 में रोटेशन द्वारा निदेशकों की सेवानिवृत्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान स्वतंत्र निदेशकों पर लागू नहीं हैं। चूंकि कंपनी में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है, इसलिए कंपनी के सभी निदेशकों को रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त माना जाएगा। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के अनुसार, श्री अभिजीत कुमार (डीआईएन :

09213782) रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए योग्य है और पात्र होने पर उन्होंने स्वयं के लिए पुनःनियुक्ति का प्रस्ताव किया है।

आगामी एजीएम में पुनःनियुक्ति के लिए निदेशक के विवरण कंपनी के एजीएम के नोटिस में निहित हैं।

7. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और जोखिम प्रबंधन

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा जोखिम प्रबंधन का ब्यौरा प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट में उपलब्ध कराया गया है।

8. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और स्तरोन्नयन

पर्यावरण पर समान महत्व के साथ ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान, पर्यावरण सुरक्षा, संरक्षण और हरित भवन अवधारणा के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उचित और पर्याप्त उपाय किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों से संबंधित विविध पर्यावरणीय कानूनों को कंपनी द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों के भाग के रूप में पालन किया गया है।

कंपनी ने ई–टेंडरिंग, एक इंटरनेट आधारित प्रक्रिया को भी अपनाया है, जिसमें पूर्ण निविदा प्रक्रिया विज्ञापन से लेकर निविदा संबंधी जानकारी प्राप्त करने और जमा करने तक ऑनलाइन किया जाता है। यह कंपनी को अधिक कुशल बनाने में सक्षम है क्योंकि इससे सूचना के त्वरित आदान–प्रदान की सुविधा के लिए, कागज–आधारित लेनदेन कम या समाप्त हो जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, पारदर्शिता, जवाबदेही, डेटा समेकन को बढ़ाने, कार्यस्थल में अधिक सहयोग को बढ़ावा देने और प्रभावी ज्ञान प्रबंधन के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय में ई–ऑफिस का उपयोग शुरू किया गया है। विक्रेताओं/ठेकेदारों आदि को किए गए सभी भुगतान ऑनलाइन लेनदेन द्वारा किए जाते हैं।

चूंकि कंपनी मुख्य रूप से परियोजना प्रबंधन परामर्श व्यवसाय में लगी हुई है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के तहत कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित निर्धारित प्रारूप प्रासंगिक नहीं है और इसलिए, निर्धारित प्रारूप में जानकारी नहीं दी गई है।

9. लेखापरीक्षक

क. सांविधिक लेखापरीक्षक

वर्ष 2023–24 के लिए कम्पनी के लेखों की लेखापरीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स मोहन गुप्ता एंड कंपनी, सनदी लेखाकारों की नियुक्ति की गई थी।

ख. सचिवीय लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षा का संचालन करने के लिए मैसर्स कंचन साह एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को नियुक्त किया है।

ग. आंतरिक लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल द्वारा वर्ष 2023–24 के लिए कम्पनी की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स एम.एम. एसोसिएट्स, लागत लेखाकार को नियुक्त किया गया है।

घ. लागत लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए लागत लेखा परीक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं थी।

10. प्रकटन

क. ऋणों, गारंटियों या निवेशों का विवरण:

वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है। कंपनी द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया है और कोई ऋण या गारंटी प्रदान नहीं की गई है।

ख. निदेशकों और कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर प्रकटन:

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 197 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि वह निदेशक की रिपोर्ट में निदेशकों के पारिश्रमिक आदि के ब्यौरे को प्रकट करे। तथापि, निगमित कार्य मंत्रालय, द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना सं.जीएसआर 463(ई) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 197 के प्रावधानों के अनुपालन से छूट प्राप्त है। चूंकि इरकॉन आईएसएल एक सरकारी कंपनी है, इसलिए इस प्रकार के विवरणों को निदेशक की रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल नहीं किया गया है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान निदेशकों को शून्य पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है क्योंकि सभी निदेशक धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा नियुक्त अंशकालीन नामिति निदेशक हैं।

ग. बोर्ड बैठकों और सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों का अनुपालन:

वर्ष के दौरान, कंपनी सामान्य रूप से भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी बोर्ड की बैठकों पर सचिवीय मानकों (एसएस–1) तथा सामान्य बैठकें (एसएस–2) का अनुपालन करती है, केवल उन स्थितियों को छोड़कर जहां अन्यथा सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया हो।

घ. जमा राशियां

वर्ष के आरंभ में आपकी कंपनी के पास कोई जन जमा राशियां धारित नहीं है ना ही वर्ष के दौरान जनता से किसी प्रकार की जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

ड. कंपनी की वर्तमान स्थिति और कंपनी के भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालय या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण तथ्यात्मक आदेश:

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी की वर्तमान स्थिति और कंपनी के भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालय या अधिकरणों द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किए गए हैं।

च. वित्तीय वर्ष के अंत तथा रिपोर्टिंग की तिथि के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले तथ्यात्मक परिवर्तन और टिप्पणियां:

वित्तीय वर्ष 2023–24 को समाप्त वर्ष के मध्यम में तथा इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई तथ्यात्मक परिवर्तन और टिप्पणियां नहीं हैं।

छ. वार्षिक रिटर्न का उद्धरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और धारा 134(3) (क) के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार 31 मार्च 2024 तक वार्षिक रिटर्न की एक प्रति को कंपनी की वेबसाइट www.irconisl.com के इन्वेस्टर्स सेक्शन के तहत रखा गया है।

ज. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन:

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ट. सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और सी एंड एजी टिप्पणियाँ

वित्तीय वर्ष 2023–24 के वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में अलग से संलग्न है। मेसर्स मोहन गुप्ता एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

दिनांक 02 जुलाई, 2024 के पत्र के माध्यम से संदर्भ संख्या DGA/RC/AA&IISL/83&28/2024&25/176, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर पूरक ऑडिट नहीं करने का निर्णय लिया है।

ठ. लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, न तो सांविधिक लेखापरीक्षकों और न ही सचिवीय लेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) के तहत लेखापरीक्षा समिति को अपने अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के विरूद्ध किए गए धोखाधड़ी के किसी भी घटना की सूचना दी है, जिसका विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में उल्लिखित किया जाना आवश्यक है।

ड. उन कंपनियों के नाम जो इसकी सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां बन गई हैं या बंद हो गई हैं

कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है।

ण. वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थिति के साथ वर्ष के दौरान दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत किए गए आवेदन या लंबित किसी भी कार्यवाही का विवरण

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत आपकी कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू/लंबित नहीं है, जिसका कंपनी के व्यवसाय पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

प. एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का विवरण, उसके कारणों सहित

कंपनी ने बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ कोई एकमुश्त समझौता नहीं किया है।

11. एकीकृत रिपोर्ट

निम्नलिखित रिपोर्टें/अभिलेख तथा संगत अनुबंध इस रिपोर्ट के एकीकृत भाग हैं, और इन्हें यहां परिशिष्ट पर प्रस्तुत किया गया है:

क.सीएसआर गतिविधिय रिपोर्ट

''सीएसआर गतिविधिय रिपोर्ट'' कंपनी की सीएसआर नीतियों, सीएसआर समिति की संरचना, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी का औसत शुद्ध लाभ, सीएसआर बजट, निर्धारित सीएसआर व्यय, तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान निष्पादित गतिविधियों/परियोजनाओं पर किए गए सीएसआर व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करती है **(अनुबंध–क में प्रस्तुत)।** कंपनी की सीएसआर गतिविधियों के संचालन के लिए दिशानिर्देश प्रदान करने वाली सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट www.irconisl.com पर उपलब्ध है।

ख.प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन विचार–विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट कम्पनी के कार्यों, व्यावसायिक वातावरण, मिशन और उद्देश्यों, क्षेत्रीय तथा सगमेंटवार प्रचालनिक निष्पादन, शक्तियों, जोखिमों तथा चिंताओं और मानव संसाधन तथा आंतरित नियंत्रण प्रणाली ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है **(अनुबंध–ख पर संलग्न है)।**

ग. कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट, निगमित शासन पर कंपनी के दर्शन, निदेशक मंडल तथा इसकी समितियों की संरचना और उनका ब्यौरा, साधारण बैठकों का ब्यौरा और अन्य संगत प्रकटन, आदि उपलब्ध कराती है (**अनुबंध–ग पर संलग्न**)। इसमें निम्नलिखित अनुपालन प्रमाणपत्र भी शामिल होते हैं:

(क) वित्तीय विवरणों, देय अनुपालनों व वित्तीय रिपोर्टिंग की सत्यता तथा विश्वसनियता, के संबंध में सीईओ तथा सीएफओ से प्रमाण पत्र (**अनुबंध–ग1 पर प्रस्तुत**);

(ख) वर्ष 2023–24 के दौरान सभी मंडल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार संहिता तथा प्रमुख मूल्यों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र (**अनुबंध–ग2 पर प्रस्तुत**);

(ग) पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित निगमित शासन के अनुपालन का प्रमाणपत्र (**अनुबंध–ग3 पर प्रस्तुत**)।

घ. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अंतर्गत अपेक्षित प्रपत्र एमआर–3 में सचिवीय लेखा परीक्षक की "सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट", जिसे कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के साथ पढ़ा जाए, इस रिपोर्ट का हिस्सा है तथा इसे **अनुबंध–घ** में रखा गया है। रिपोर्ट में कोई योग्यता, आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ड. खंड–188 के अंतर्गत संबंधित पक्षों के साथ संविदाओं और व्यवस्थाओं का विवरण

होल्डिंग कंपनी के साथ सभी संबंधित पर्क्ष लेनदेन के लिए वार्षिक आधार पर लेखापरीक्षा समिति की पूर्व सर्वव्यापी मंजूरी प्राप्त की जाती है, जो एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रूपए तक के अप्रत्याशित और दोहराव वाले प्रकृति के होते हैं। दी गई सर्वग्राही मंजूरी के अनुसरण में होल्डिंग कंपनी के साथ किए गए लेनदेन, यदि कोई हों, को तिमाही आधार पर ऑडिट समिति के समक्ष रखा जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुपालन में ऑम्निबस अनुमोदन के

अंतर्गत आने वाले लेनदेन के अलावा अन्य विशिष्ट संबंधित पार्टी लेनदेन की मंजूरी भी ऑडिट समिति/बोर्ड से प्राप्त की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों को या तो व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के रूप में या आर्म लैंथ आधार पर निष्पादित किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 188(1) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में संबंधित पक्षों के साथ संविदाओं और व्यवस्थाओं का ब्यौरा **फार्म एओसी–2** के रूप में **अनुबंध–ड.** पर संलग्न है।

12. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 134(5) के अनुसार, कम्पनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:–

i. वार्षिक लेखों की तैयारी में, तथ्यात्मक विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ–साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था।

ii. ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया था और उन्हें निरन्तर लागू किया गया था और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए तथा वर्ष 2023–24 के कम्पनी के लाभ के लिए कम्पनी की कार्य स्थिति का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके ।

iii. परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छलकपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रख–रखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है ।

iv. दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को ''गोइंग कंसर्न'' आधार पर तैयार किया गया है।

v. सभी लागू नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गईं थीं और ऐसी प्रणालियां उपयुक्त थीं और कुशलतापूर्वक कार्य कर रहीं थीं।

13. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण (निवारण, निषेध एवं प्रतितोप) अधिनियम के अनुपालन की नीति

कंपनी का उद्देश्य महिला कर्मचारियों के लिए एक अनुकूल और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना है। कंपनी के पास कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए एक व्यापक नीति है, जिसमें सभी कर्मचारी शामिल हैं (नियमित रूप से प्रतिनियुक्त, अस्थायी, तदर्थ, अनुबंध/सेवा अनुबंध या दैनिक मजदूरी के आधार पर जो प्रत्यक्ष या एजेंसी के माध्यम से नियुक्त हैं, जिसमें ठेकेदार, सहकर्मी, अनुबंध कार्मिक, परिवीक्षाधीन, प्रशिक्षु, प्रशिक्षु आदि) शामिल हैं और यह नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है। कंपनी में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए चार सदस्यीय शिकायत समिति उपस्थित है, जिसमें कंपनी के तीन अधिकारी और एक बाहरी सदस्य शामिल हैं। वर्ष के दौरान कंपनी को यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है या पिछले वर्ष से लंबित नहीं है।

14. अन्य अनुपालन

क. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

पारदर्शिता के संवर्धन एवं संवर्धित जवाबदेही के लिए, कंपनी में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन के लिए तंत्र विद्यमान है। सूचना का अधिकार अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी के अपील प्राधिकारी, केन्द्रीय जन–सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) तथा सहायक जन–सूचना अधिकारी (एपीआईओ) के नामों सहित आवश्यक अद्यतन सूचना इरकॉन आईएसएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी प्राप्त शिकायतों का उत्तर निर्धारित समय–सीमा के भीतर दिया जाता है।
वर्ष के दौरान कंपनी को 14 आईटीआई आवेदन और 03 अपीलें प्राप्त हुई हैं और सभी की प्रक्रिया/निपटान समयबद्ध आधार पर किया गया है।

ख. समझौता ज्ञापन

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए होल्डिंग कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने से छूट का दावा किया है। हालांकि, कंपनी ने वित्त

वर्ष 2024–25 के लिए होल्डिंग कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

ग. मानव संसाधन

रणनीतिक स्तंभों में से एक के रूप में, मानव संसाधन और प्रशासन (एचआर एंड ए) विभाग लगातार कंपनी के मुख्य उद्देश्यों और डिलिवरेबल्स से जुड़े सक्षम मानव संसाधन बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वर्ष के दौरान कर्मचारी संबंध परिदृश्य सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रहा है। 31.03.24 तक जनशक्ति की ताकत 56 कर्मचारी थे, जिसमें 2 नियमित कर्मचारी, अनुबंध पर 23 कर्मचारी, सेवा अनुबंध पर 3 कर्मचारी और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी से प्रतिनियुक्ति पर 28 कर्मचारी शामिल थे।

घ. सूचना प्रौद्योगिकी

कंपनी की अपनी वेबसाइट http//www.irconisl.com उपलब्ध है जिसमें कंपनी का प्रोफाइल, परियोजनाएं, वार्षिक रिपोर्टें, निविदाएं, सम्पर्क ब्यौरा आदि उपलब्ध कराया गया है। वर्ष के दौरान नए निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति, परियोजनाओं, वार्षिक रिपोर्टों, निविदाओं, संविदाओं, आरटीआई, संपर्क ब्यौरा आदि को अद्यतन किया गया था। यह वेबसाइट धारक कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org के साथ भी लिंक है।

ड. एमएसई अनुपापलन

इरकॉन आईएसएल का सदैव यह प्रयास रहा है कि वह सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों (एमएसई) तथा स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को सहयोग प्रदान करे। इरकॉन आईएसएल ने एमएसई से विनिर्दिष्ट मदों के प्रापण के लिए भारत सरकार सार्वजनिक प्रापण नीति के क्रियान्वयन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इरकॉन आईएसएल ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के एमएसई अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

च. कंपनी द्वारा अनुसरण किए गए लेखांकन मानक

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड–एएस) और कंपनियों (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम 2016 के लागू प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

आभारोक्ति

हम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, धारक कंपनी तथा रेल मंत्रालय, रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए), शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, सांविधिक, सचिवीय एवं आंतरिक लेखापरीक्षक, कंपनी के बैंकर, और हमारे सम्मानित ग्राहक का कंपनी के प्रति उनकी निरंतर रूचि और सहयोग के लिए प्रशंसा एवं धन्यवाद करते हैं।

हम कंपनी के सभी स्तरों के कर्मचारियों का कंपनी के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए उनके अथक प्रयासों, समर्पण और सत्यनिष्ठा के लिए आभार प्रकट करते हैं।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से
इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड

ह/–
(पराग वर्मा)
अध्यक्ष
डीआईएन : 05272169

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05.06.2024

अनुबंध–क

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:

सीएसआर नीति का उद्देश्य संवर्धन और विकास के लिए समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना है। यह नीति अपने सीएसआर प्रयासों के माध्यम से समुदाय के लिए स्वस्थ और सुदृढ़ आजीविका और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देकर बुनियादी क आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक स्तर के विविध क्षेत्रों का पता लगाने के लिए विभिन्न अवसरों को प्रोत्साहित करने हेतु एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करती है। निदेशक मंडल द्वारा यथाअनुमोदित सीएसआर नीति विकास के प्रमुख क्षेत्रों अर्थात शिक्षा, साक्षरता और पर्यावरण स्थिरता और स्वास्थ्य को रेखांकित किया गया है और ये कंपनी की वेबसाइट http://www.irconisl.com पर उपलब्ध है।

कंपनी की सामाजिक दृष्टिकोण अपनी विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रमुख हितधारकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक रूप से जिम्मेदार और संधारणीय रीके से व्यवसाय करने की अपनी नीति के अनुरूप अपनी सीएसआर पहल का संचालन करना है। इरकॉनआईएसएल ने अपने सीएसआर परियोजनाओं के माध्यम से अपने सीएसआर प्रयासों द्वारा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में अपने प्रयास किए हैं, जो एक सतत तरीके से व्यवसाय और सामाजिक लक्ष्यों को एकीकृत करेंगे, समावेशी विकास और योजना के माध्यम से सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करेंगे।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/ निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1	श्री सुरेन्द्र सिंह	अध्यक्ष	1	1
2	श्री अभिजीत कुमार सिन्हा	सदस्य	1	1
3	श्री राजीव कुमार सिन्हा	सदस्य	1	1

3. वेब–लिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं की संरचना का प्रकटन किया गया है– **http://www.irconisl.com**

4. नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन के वेब–लिंक के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करें, यदि लागू हो – **लागू नहीं**

5. (क) धारा 135 की उप–धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ : **रु. 11.85 करोड़**

(ख) धारा 135 की उप–धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत : **रु. 0. 24 करोड़**

(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष : **शून्य**

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए सेट–ऑफ की जाने वाली राशि, यदि कोई हो : **शून्य**

(ड.) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख)+ (ग)+ (घ)] : **रु. 0.24 करोड़**

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं (चालू परियोजना और चालू परियोजना के अलावा दोनों) पर खर्च की गई राशि : **रु. 0.24 करोड़**

(ख) प्रशासनिक ओवरहेड में खर्च की गई राशि : **शून्य**

(ग) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो : **शून्य**

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल खर्च की गई राशि [(क)+ (ख)+ (ग)] : **0.24 करोड़ रुपये**

(ड.) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या खर्च न की गई सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय राशि (करोड़ रुपए में)	अव्ययित राशि (रु. में)				
	धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि		धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
0.24	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

(च) सेट–ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो :

क्रम.सं.	विवरण	राशि (करोड़ रुपए में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	0.24
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	0.24
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)–(i)]	शून्य
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)–(iv)]	शून्य

1	2	3	4	5	6		7	8
क्रम. सं.	पिछले वित्तीय वर्ष (वर्ष)	धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो		आगे के वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपय में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (रुपये में)	अंतरण की तिथि		
1	वित्तीय वर्ष 2022-23	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	वित्तीय वर्ष 2021-22	शून्य	शून्य	11,50,397.00	45,103.00	08.06.2022	शून्य	कम्प्यूटरों की आपूर्ति हेतु 11,05,294.21 रूपये का भुगतान किया गया, किन्तु 31.03.2022 तक वितरण पूर्ण नहीं हो सका, अतः व्यय को सीएसआर के अन्तर्गत नहीं माना गया।
3	वित्तीय वर्ष 2020-21	शून्य	शून्य	शून्य	75,154.00	17.05.2021	शून्य	शून्य

8. क्या वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कोई पूंजीगत परिसंपत्ति बनाई गई है या अर्जित की गई है?

○ हां ● नहीं

यदि हाँ, तो निर्मित/अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें [ ]

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से सृजित या अर्जित ऐसी परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) से संबंधित वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि का विवरण प्रस्तुत करें:

क्रम सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति या परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) का पिनकोड	सृजन की तिथि	सीएसआर की राशि व्यय की गई राशि	पंजीकृत स्वामी की इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकरण पता
	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही

(सभी फील्ड को राजस्व रिकॉर्ड में दर्शाए अनुसार कैप्चर किया जाना चाहिए, फ्लैट नंबर, घर नंबर, नगर निगम कार्यालय/नगर निगम/ग्राम पंचायत निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और अचल संपत्ति के क्षेत्र के साथ–साथ सीमाएं भी)

9. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं : **लागू नहीं**

ह/–
अजय पाल सिंह
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/–
सुरेन्द्र सिंह
अध्यक्ष सीएसआर समिति

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 05.08.2024

अनुबंध –ख

प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

विहंगावलोकन

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड (इरकॉन आईएलएस) रेल मंत्रालय के अधीन इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) अनुसूची 'क', मिनी रत्न – श्रेणी–I की कंपनी है की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रुप में 30 सितंबर 2009 को निगमित हुई थी जो कि भारतीय रेल प्रणाली के प्रयोक्ताओं को सुविधाएं व सहूलतें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रेल की भूमि पर बहुउद्देशीय परिसरों (एमएफसी) के नियोजन, अभिकल्प, विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए आरएलडीए के साथ धारक कंपनी द्वारा समझौता ज्ञापन का परिणाम है। 24 स्टेशनों पर 23 एमएफसी के लिए निर्माण (वॉर्म शैल) का भौतिक कार्य किया गया था। कंपनी ने 20 बहुउद्देशीय परिसरों को सफलतापूर्वक तीसरे पक्षों को उपपट्टे पर दे दिया है।

उपर्युक्त उद्देश्य कंपनी के भावी विकास के लिए सीमित थे और इसलिए, कंपनी ने विभिन्न अन्य क्षेत्रों में अपने व्यवसाय को फैलाया जिसमें परियोजना प्रबंधन और आधारभूत अवसंरचना परामर्श यथा नियोजन, डिजाइनिंग, विकास, निर्माण, सुधार, कमीशनिंग, प्रचालन और अनुरक्षण और विभिन्न सेवाओं से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं, जैसें ट्रैक मशीनों को किराए पर देना आदि और इस प्रकार इसके उद्देश्यों में संशोधन हुआ।

व्यवसाय वातावरण

अवसंरचनात्मक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख चालक तत्व है। यह क्षेत्र भारत के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक जिम्मेदार है और देश में विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए नीतियों के निर्माण हेतु सरकार का विशेष ध्यान इस ओर है। केंद्रीय बजट ने रेलवे और अवसंरचना क्षत्रों में महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सरकारी समर्थन की गंभीरता एक बढ़ते

विश्वास से प्रभावित हुई है जो मजबूत बुनियादी ढांचे को राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, मध्यम मुद्रास्फीति, आजीविका को बढ़ावा देता है और समृद्धि के संवर्धन में सहायक है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने दो नई परियोजनाओं को प्राप्त किया है और अन्य मौजूदा परियोजनाओं में महत्वपूर्ण प्रगति प्राप्त की है तथा समय के भीतर लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है।

कंपनी निम्नलिखित क्षेत्रों में अवसरों की तलाश कर रही है:

- सरकार सेक्टर की परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना।
- विभिन्न रकारी एजेंसियों के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पी.एम.सी)।
- सरकारी सेक्टर में भवनों और ट्रेक निर्माण कार्यों हेतु प्रचालन और अनुरक्षण कार्य। सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर) परियोजनाएं।

दृष्टिकोण

कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी का विजन/मिशन निम्नानुसार हैं:–

विजन/मिशन

विशिष्टता प्राप्त अवसंरचना विकासकर्ता के रुप में पहचान बनाना तथा पर्यावरण, गुणवत्ता व सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए अवसंरचना परियोजनाओं के सभी क्षेत्रों के लिए विख्यात सेवाप्रदाता के रुप में स्वयं को स्थापित करना।

वित्तीय निष्पादन

- वित्तीय वर्ष 2023–2024 के दौरान आपकी कंपनी ने 136.07 करोड़ रुपये की कुल परिचालन आय दर्ज की है, जो पिछले वर्ष की 218.91 करोड़ रुपये की परिचालन आय से 37.84 प्रतिशत कम है। परिचालन आय में कमी का मुख्य कारण जमा कार्य परियोजनाओं की आय में गिरावट के कारण था, जहाँ क्लाइंट से धन प्राप्त न होने के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका।

- कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–2024 के दौरान 14.22 करोड़ रुपये का कर–पूर्व लाभ (पीबीटी) हासिल किया है, जबकि पिछले वर्ष यह 7.13 करोड़ रुपये था, अर्थात पिछले वर्ष की तुलना में 99.44 प्रतिशत अधिक। पीबीटी में वृद्धि के मुख्य कारण रखरखाव, ओएंडएम और मशीन लीजिंग कार्यों में राजस्व में वृद्धि थी।

- वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कर पश्चात लाभ (पीएटी) 8.86 करोड़ रुपये है।

- वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए प्रति शेयर आय 1.36 रुपये है।

- 31 मार्च, 2024 तक कंपनी की निवल संपत्ति 176.61 करोड़ रुपये है।

प्रचालनिक निष्पादन

क. वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, इरकॉनआईएसएल ने 02 नई परियोजनाएं प्राप्त की हैं अर्थात (i) सूरत (केवल रेलवे भाग) भरथना–कोसाद किलोमीटर संख्या 273/27–274/1 पर लेवल क्रॉसिंग संख्या एलसी–148 श्सीश के पास नए रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए शहरी रिंग विकास निगम लिमिटेड, सूरत को परियोजना प्रबंधन परामर्श (पर्यवेक्षणधनिरीक्षण) प्रदान करनाय (पप) कॉनकॉर को छारोडी (गुजरात) में जीसीटी नीति के तहत मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल के विकास के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग और परियोजना पर्यवेक्षण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करना।

ख. वर्ष 2023–24 के दौरान उपरोक्त नई परियोजनाओं के साथ, निम्नलिखित मौजूदा परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं :

(i) दुधोला, पलवल, हरियाणा में हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एचवीएसयू) की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी)।

(ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई महरौली रोड, नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी भवन परिसर में एक नए अत्याधुनिक भवन के निर्माण के लिए पीएमसी।

(iii) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) के लिए पेट्रापोल (पश्चिम बंगाल) और दावकी (मेघालय) में दो (2) भूमि पत्तनों/आईसीपी पर सुरक्षा कर्मियों के लिए बैरक आवास के निर्माण के लिए पीएमसी।

(iv) पारादीप (उड़ीसा) में कॉनकॉर के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) के निर्माण के लिए पीएमसी।

(v) नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऊंचाहार, उत्तर प्रदेश में स्टेज–1 (2X210 मेगावाट) के एमजीआर सिस्टम के सीएसटी–9 स्लीपरों को पीआरसी स्लीपरों से बदलने के लिए पीएमसी।

(vi) नागपुर में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अकादमी में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पीएमसी।

(vii) एमएमएलपी पारादीप पोर्ट, उड़ीसा में इफको के लिए हैंडलिंग सुविधाओं के विकास के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग और परियोजना पर्यवेक्षण, कॉनकॉर द्वारा प्रदान किया गया।

(viii) छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड के लिए खरसिया–कोरीछापर नवनिर्मित बीजी सेक्शन के ट्रैक, सिविल इंजीनियरिंग, ओएचई और एसएंडटी परिसंपत्तियों का रखरखाव।

(ix) महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए "मध्य रेलवे के अंतर्गत महाराष्ट्र क्षेत्र में एलसी गेटों के बदले विभिन्न स्थानों पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण" के लिए बियरिंग के निर्माण और स्थापना सहित रेलवे हिस्से के भीतर स्टील सुपरस्ट्रक्चर की असेंबली और लॉन्चिंग के निरीक्षण, पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित कार्यों के लिए निरीक्षण एजेंसी।

(x) ग्रेटर मुंबई नगर निगम के लिए जी/एस वार्ड में महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के पास डॉ. ई मोसेस रोड और केशवराव खाड़े मार्ग पर दो आरओबी के निर्माण के लिए पर्यवेक्षण परामर्श।

(xi) उत्तर पूर्वी रेलवे के लिए उत्तराखंड राज्य में टनकपुर से बागेश्वर (लगभग 154.58 किमी) तक नई ब्रॉड गेज लाइन के लिए आधुनिक सर्वेक्षण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस)।

(xii) मणिपुर में इम्फाल–मोरेह नई बीजी सिंगल लाइन परियोजना (कुल लंबाई लगभग 110 किमी) के संबंध में उपग्रह या एलआईडीएआर इमेजरी, जमीन पर संरेखण की स्टेकिंग, भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय मानचित्रण आदि से उत्पन्न डिजिटल टेरेन/एलिवेशन मॉडल (डीटीएम/डीईएम/डीएसएम) का उपयोग करके अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस)।

(xiii) दक्षिण दिल्ली नगर निगम के लिए वाणिज्यिक परिसर के साथ मल्टी लेवल कार पार्किंग सुविधा के रूप में मादीपुर, पंजाबी बाग, नई दिल्ली में सामुदायिक केंद्र में स्थित एसडीएमसी के तहत भूमि पार्सल का विकास और मुद्रीकरण। परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट और वित्तीय मॉडल ग्राहक को प्रस्तुत कर दिया गया है।

(xiv) छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड से नव–संचालित कोरिचाप्पर से धरमजयगढ़ खंड और घरगोड़ा से भालूमुडा खंड में परियोजना परिसंपत्तियों का रखरखाव।

(xv) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लिए भवन संबंधी सेवाओं का सुविधा प्रबंधन सेवाएं और वार्षिक संचालन सह व्यापक रखरखाव प्रदान करना।

(xvi) नवोदय विद्यालय समिति के लिए जेएनवी साबरकांठा (गुजरात) में चरण–ख कार्य के निर्माण के लिए पीएमसी।

(xvii) छारोड़ी (गुजरात) में जीसीटी नीति के तहत मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल के विकास के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग और परियोजना पर्यवेक्षण।

(xviii) किमी संख्या 273/27–274/1 भरथना–कोसाद, सूरत (केवल रेलवे भाग) पर लेवल क्रॉसिंग संख्या एलसी–148 'ग' के पास नए रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण की परियोजना प्रबंधन परामर्श (पर्यवेक्षण/निरीक्षण)

ग. वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, बिहार के जोगबनी में सुरक्षा कर्मियों के लिए बैरक आवास का निर्माण पूरा कर लिया गया है और एलपीएआई को सौंप दिया गया है। इसका उद्घाटन माननीय गृह मंत्री द्वारा दिनांक 17.09.2023 को किया गया। एसवीएसयू विश्वविद्यालय के दस (10) ब्लॉक (अकादमिक ब्लॉक–1 नंबर, एडमिन ब्लॉक–6 नंबर, लड़कों का छात्रावास, लड़कियों का छात्रावास और उत्कृष्टता केंद्र) पूरे किए गए और क्लाइंट को सौंप दिए गए। इनका उद्घाटन हरियाणा के

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 20.11.2023 को किया गया। मैसूर के कडाकोला में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) पूरा हो गया है और कॉनकॉर को सौंप दिया गया है। कडाकोला और दाहेज में एमएमएलपी का उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 12.03.2024 को वर्चुअल मोड द्वारा किया गया है।

क्षेत्रीय निष्पादन

वर्ष 2023–24 के दौरान राजस्व के पांच क्षेत्र हैं यथा परामर्श, एमएफसी को उप पट्टे पर देना, श्रमशक्ति की आपूर्ति, संयंत्र और मशीनरी को पट्टे पर देना, रेलपथ का अनुरक्षण, जिनका वर्ष 2023–24 के लिए प्रचालनिक आय में परामर्श परियोजाओं का अंशदान प्रमुख है यथा कुल प्रचालनिक आय का 62.09 प्रतिशत है। नीचे प्रस्तुत तालिका विभिन्न क्षेत्रों से आय के भाग और कुल आय में इसके प्रतिशत अंशदान को दर्शाती है।

(रुपए करोड़ में)

सेक्टर	2023-24		2022-23		2021-22	
	प्रचालनिक आय	%	प्रचालनिक आय	%	प्रचालनिक आय	%
परामर्श	84.43	62.09%	165.23	75.48	141.99	83.11
श्रमशक्ति की आपूर्ति	1.01	0.74%	1.36	0.62	0.77	0.45
एमएफसी को उपपट्टे पर देना	16.42	12.08%	27.87	12.73	14.34	8.39
अन्य प्रचालनिक राजस्व						
संयंत्र और मशीनरी	8.36	6.15%	5.49	2.51	1.84	1.08

को पट्टे पर देना						
रेलपथ का अनुरक्षण	25.85	19.01%	18.96	8.66	11.91	6.97
कुल	**136.07**		**218.91**		**170.84**	

सेगमेंट–वार निष्पादन

वर्ष 2023–24 के दौरान कुल प्रचालनिक आय में विदेशी परियोजनाओं का अंशदान 4.15% है तथा कुल प्रचालनिक आय में घरेलू परियोजनाओं का अंशदान 95.85% है।

(रुपए करोड़ में)

सेक्टर	2023-24		2022-23		2021-22	
	कुल आय	%	कुल आय	%	कुल आय	%
विदेशी	5.65	4.15%	2.54	1.16	0.70	0.41
घरेलू	130.42	95.85%	216.37	98.84	170.14	99.59
कुल	**136.07**		**218.91**		**170.84**	

शक्तियाँ

आपकी कंपनी की सबसे बड़ी शक्ति है कि यह निर्माण के क्षेत्र में व्यापक प्रतिष्ठा प्राप्त इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए धारक कंपनी के अनुभव का लाभ प्राप्त कर सकती है।

जोखिम और चिन्ता

प्रगतिरत रुप से बहुउद्देशीय परिसरों के निर्माण का कार्य पूरा होने से, इन बहुउद्देशीय परिसरों को पट्टे पर देने का कार्य आरम्भ किया गया है जो कि अत्यंत क्षेत्र विशिष्ट और बाजार आधारित है। हालांकि, एक स्वतंत्र प्रतिष्ठित परामर्शदाता द्वारा बाजार संभाव्यता का गहन अध्ययन किया गया है

किन्तु राजस्व एकत्रण का जोखिम अभी भी विद्यमान है, विशेष रूप से कोविउ–19 माहामारी की स्थिति के दौरान।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कंपनी के पास एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है, जिसमें उचित जोखिम मूल्यांकन और शमन तंत्र की उपस्थिति पर मत प्रकट करने के अतिरिक्त पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और अनुपालन पर पर टिप्पणी करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक की आवश्यकता होती है। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक के रुप में मैसर्स एम.एम. एसोसिएट्स, लागत लेखाकार को नियुक्त किया है। आंतरिक लेखापरीक्षकों ने आंतरिक प्रणालियों की पर्याप्तता की जांच करने तथा निरंतर सुधारों के उपाय सुझाने के लिए दो चरणों में कंपनी की लेखापरीक्षाएं की हैं। आंतरिक लेखापरीक्षक अनुभवी लागत एवं प्रबंधन लेखाकार फर्म है, जिसका चयन एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है और नियुक्ति के पश्चात सीधे प्रबंधन को रिपोर्ट करेगा। यह आंतरिक लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेगा। आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है, अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है और इन्हें लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

मानव संसाधन

कंपनी का लक्ष्य संगठन के लिए मानव संसाधन/कर्मचारियों के सही आकार और सही मिश्रण को प्राप्त करना है। चूंकि आपकी कंपनी एक परियोजना आधारित कंपनी है, इसलिए श्रमशक्ति की आवश्यकताओं में उतार–चढ़ाव आते हैं, जिन्हें कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति, ठेके और सेवा अनुबंध पर भर्ती करके पूरा किया जाता है। भर्ती नीतियों को कंपनी की समग्र नीति के अनुरूप बनाने के लिए पुनर्निधारित किया गया है।

इरकानआईएसएल के कर्मचारी उन लोगों का एक संयोजन है जिन्हें कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है और कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में या परियोजना स्थल पर नियुक्त किया गया है और जो कर्मचारी इरकॉन से प्रतिनियुक्ति के आधार पर हैं। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी इरकॉन के बांग्लादेश और अल्जीरिया परियोजना को जनशक्ति भी उपलब्ध करती है। दिनांक 31 मार्च 2024

तक कंपनी की कुल श्रमशक्ति 56 कर्मचारी हैं। दीर्घकालिक विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी अपने संवर्ग विकास के माध्यम से मुख्य जनशक्ति संसाधनों को बढ़ाने की योजना बना रही है।

निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से
इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड

ह/–
(पराग वर्मा)
(अध्यक्ष)
डीआईएन : 05272169

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05.08.2024

अनुबंध –ग

कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

1. कंपनी का दर्शन

निगमित शासन कंपनी के व्यवसाय के नैतिक आचरण के लिए प्रणालियों तथा पद्धतियों की एक व्यवस्था है। यह अपने स्टेकधारकों की आकांशाओं को पूरा करने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता, समानता और मूल्यों की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है। कंपनी का यह निरंतर प्रयास है कि व्यावसायिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में नैतिकता के उच्चतम मानकों को अपनाया जाए तथा उन्हें बनाया रखा जाए।

2. शासन संरचना

कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जो कार्यप्रणाली और नीतियों का निर्धारण करता है और आवधिक रुप से कार्यनिष्पादन की समीक्षा करता है।

कंपनी के निष्पादन की समीक्षा धारक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा भी की जाती है। मंडल बैठकों के कार्यवृत्त तथा कंपनी द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण संव्यवहारों और व्यवस्थाओं के विवरण तथा अलेखापरीक्षित तिमाही तथा अर्धवार्षिक परिणामों को धारक कंपनी की लेखापरीक्षा समिति/ बोर्ड बैठकों के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

इरकॉन आईएसएल के बोर्ड में चार अंशकालीन निदेशकों के अतिरिक्त, धारक कंपनी ने कंपनी के दिन–प्रति–दिन के कार्यों के प्रबंधन के लिए बोर्ड स्तर से नीचे के एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नामित किया है।

3. निदेशक मंडल

3.1 निदेशक मंडल की संरचना

कंपनी के संगम अनुच्छेद (ए.ओ.ए)(अनुच्छेद 48) के अनुसार, निदेशकों की संख्या तीन से कम तथा बारह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ए.ओ.ए (अनुच्छेद 49) के अनुसार, धारक कंपनी अध्यक्ष तथा सभी निदेशकों की नियुक्ति करती है।

निदेशक मंडल के सदस्यों की वर्तमान संख्या चार है जिसमें धारक कंपनी इरकॉन द्वारा नामित अंशकालीन निदेशकों सहित अंशकालीन अध्यक्ष शामिल हैं।

3.2 इस रिपोर्ट की तारीख को निदेशकों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निदेशक मंडल

(इस रिपोर्ट की तारीख तक)

निदेशक	पूर्णकालिक / अंशकालिक / स्वतंत्र	कंपनियों / निगमित निकायों में निदेशक पर (इरकॉन आईएसएल को छोड़कर)	समिति सदस्यता की कुल संख्या (इरकॉन आईएसएल सहित)	
			अध्यक्ष के रूप में	अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्य के रूप में
श्री पराग वर्मा (डीआईएन 05272169) (10.10.2022 से)	अंशकालीन अध्यक्ष	8 [इरकॉन / आईआरएसडीसीएल / जेसीआरएल / एमसीआरएल / आईजीआरएचएल / आईएएसईएल / आईएलआरएचएल / आईवीकेईएल]	2	1
श्री सुरेन्द्र सिंह (डीआईएन 09214484) (01.07.2021 से)	अंशकालीन निदेशक	1 [आईआरपीएल]	1	2
श्री राजीव कुमार सिन्हा (डीआईएन 08320520) (07.12.2022 से)	अंशकालीन निदेशक	शून्य	शून्य	3
श्री अभिजीत कुमार सिन्हा (डीआईएन 09213782) (01.04.2022 से)	अंशकालीन निदेशक	2 [आईएसजीटीएल / आईपीबीटीएल]	1	2

नोटः

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निदेशकों की संख्या 20 कंपनियों की अधिकतम सीमा के भीतर है (जिनमें से सार्वजनिक कंपनियों के लिए अधिकतम 10)।
2. निदेशक एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं।
3. निदेशकों का कंपनी के साथ किसी प्रकार का अंतर–संबंध या संव्यवहार नहीं है।
4. निदेशक पद/समिति की सदस्यता निदेशकों से प्राप्त अद्यतन प्रकटनों के आधार पर है।
5. समिति सदस्यता के लिए सभी सार्वजनिक निजी कंपनियों की सीएसआर एवं धारणीय विकास समिति, लेखापरीक्षा समिति तथा शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति के सदस्यों पर ही विचार किया गया है।
6. निदेशकों की समिति सदस्यता संख्या डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 (डीपीई सीजी दिशानिर्देश) के अंतर्गत पांच अध्यक्षों की अनुमत सीमा सहित 10 की अधिकतम सीमा के भीतर है। उक्त सीमा के लिए केवल लेखापरीक्षा समिति तथा शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति को ही गिना जाएगा।
7. कंपनियों के पूरे नाम हैं:

   क) इरकॉन – इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

   ख) आईआरएसडीसीएल– भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड

   ग) जेसीआरएल – झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड

   घ) एमसीआरएल – महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

   ड.) आईआरपीएल – इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड

   च.) आईजीआरएचएल – इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड

   छ) आईएएसईएल – इरकॉन अकोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड

   ज) आईएलआरएचएल – इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड

   झ) आईवीकेईएल – इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड

   झ) आईवीकेईएल – इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड

झ) आईपीबीटीएल – इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

4. निदेशकों के संबंध में प्रकटन :

कंपनी (निदेशक की बैठकें व उनकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 के अनुसार निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटन के अनुसार निदेशकों का आपस में कोई संबंध नहीं है। संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 49 के अनुसार धारक कंपनी द्वारा कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन किया जाता है।

5. निदेशकों का पारिश्रमिक

धारक कंपनी द्वारा बोर्ड में नामित अंशकालीन निदेशक कंपनी से किसी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करते हैं।

अंशकालीन निदेशकों को किसी प्रकार का बैठक शुल्क प्रदान नहीं किया जाता है।

6. वर्ष 2023–24 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकें और उनमें उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान निदेशक मंडल की 27 अप्रैल 2023, 18 मई 2023, 16 जून 2023, 28 जुलाई 2023, 01 सितंबर 2023, 03 नवंबर 2023, 05 जनवरी 2024, 01 फरवरी 2024 और 11 मार्च 2024 को 09 बैठकों का आयोजन किया गया।

वर्ष 2023–24 के दौरान निदेशकों और कंपनी सचिव की उपस्थिति के विवरण निम्न प्रकार हैं :–

निदेशक	2023–24 में मंडल की बैठकों की संख्या		अंतिम वार्षिक आम बैठक में भाग लिया
	आयोजित (उनके कार्यकाल के दौरान)	उपस्थितियां	
श्री पराग वर्मा	9	9	हां

(डीआईएन 05272169)			
श्री सुरेन्द्र सिंह (डीआईएन 09214484)	9	6	हां
श्री अभिजीत के. सिन्हा (डीआईएन 09213782)	9	9	हां
श्री राजीव कुमार (डीआईएन 08320520)	9	7	हां

7 निदेशक मंडल की समितियां

7.1 लेखापरीक्षा समिति

7.11 संदर्भ शर्तें

वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 4.90 करोड़ रुपए से बढ़कर 40 करोड़ रुपए (28.03.2013 से) हो गई है, जो 100 प्रतिशत इरकॉन द्वारा धारित है। इसके परिणामस्वरुप, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292क के अनुपालन में, निदेशक मंडल ने 5 जुलाई 2013 को आयोजित अपनी बैठक में लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है। कार्पोरेट शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अध्याय–4, पैरा 4.2 से पैरा 4.5 में निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तों को निदेशक मंडल द्वारा अपनाया गया था। संक्षेप में इनमें शामिल हैं:

1. कम्पनी की वित्तीय सूचना की प्रक्रिया और प्रकटन का पर्यवेक्षण करके लेखों की परिशुद्धता, पर्याप्तता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना है।
2. निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण को स्वीकृति दिए जाने से पूर्व प्रबंधन के साथ समीक्षा करना। विशेष रूप से–

क) कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 134 के उपखंड 5 की शर्तों के अनुसार निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाली अपेक्षित सामग्री को निदेशक की रिपोर्ट में भी शामिल किया जाएगा।

ख) लेखांकन नीतियों तथा पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हो व इसके कारण।

ग) प्रबंधन द्वारा विवेक के प्रयोग के आधार पर अनुमानों वाली प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां।

घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।

ड.) वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन।

च) किसी संबंधित पक्षों के संव्यवहार का प्रकटन, और

छ) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्यता आदि।

3) निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किए जाने से पूर्व तिमाही वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा।

4) प्रचालनों की वित्तीय स्थिति तथा परिणामों पर प्रबंधन द्वारा चर्चा व विश्लेषण।

5) आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्यनिष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता पर प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

6) महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान व उन पर अनुवर्ती कार्रवाई हेतु दोनों लेखा परीक्षकों – आंतरिक एवं सांविधिक लेखापरीक्षक के साथ चर्चा।

7) आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, स्टाफिंग तथा विभागों के कार्यालय प्रमुखों की वरियता, रिपोर्टिंग ढांचा, कवरेज तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की पर्याप्ता की समीक्षा करना।

8) लेखापरीक्षा शुल्कों के निर्धारण के लिए बोर्ड को सिफारिश करना।

9) आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, पुनःनियुक्ति, पारिश्रमिक तथा निलंबन आदि की समीक्षा करना।

10) मुख्य कार्यपालक/वित्त प्रमुख द्वारा वित्तीय विवरणों के प्रमाणन/घोषणा की समीक्षा करना।

7.1.2 लेखापरीक्षा समिति – संरचना और उपस्थिति

कार्पोरेट शासन पर दिनांक 14 मई 2010 के डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 4.2 से पैरा 4.5 में निर्धारित अनुसार शर्तों का अनुपालन करते हुए निदेशक मंडल की स्वीकृति से दिनांक 05.07.2013 को मूल रुप से तीन अंशकालीन निदेशकों वाली बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान समिति की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

समिति की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है:

1. श्री अभिजीत कुमार सिन्हा – अध्यक्ष
   (नमिति निदेशक)

2. श्री सुरेन्द्र सिंह – सदस्य
   (नमिति निदेशक)

3. श्री राजीव कुमार सिन्हा – सदस्य
   (नमिति निदेशक)

वर्ष 2023–24 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 06 बैठकें आयोजित की गईं थीं अर्थात 26 अप्रैल 2023, 18 मई 2023, 28 जुलाई 2023, 03 नवंबर 2023, 01 फरवरी 2024 और 11 मार्च 2024.

उपस्थिति की ब्यौरा निम्नानुसार है:

सदस्य	पद	बैठकों की संख्या (उनके कार्यकाल के दौरान)	बैठक में उपस्थिति
अभिजीत कुमार सिन्हा	अध्यक्ष	6	6
श्री सुरेन्द्र सिंह	सदस्य	6	4
श्री राजीव कुमार सिन्हा	सदस्य	6	5

7.2 निगमित सामाजित उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 के अनुसार, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक की निवल संपत्ति, या 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक के टर्नओवर या 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक के शुद्ध लाभ अर्जित करने वाले प्रत्येक कंपनी, बोर्ड स्तर की एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर) का गठन करेगी जिसमें तीन या अधिक निदेशक होंगे जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 12 अप्रैल 2013 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक सीपीएसई में बोर्ड स्तरीय समिति होगी जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा या किसी स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी जो कंपनी में सीएसआर तथा धारणीयता संबंधी नीतियों के अनुपालन की निगरानी करेगी।
सीएसआर के लिए एकीकृत निदेशक मंडल समिति का गठन दिनांक 13 जून 2014 को सभी बोर्ड सदस्यों को भेजे गए एक नोट द्वारा किया गया था, जिसकी पुष्टि कंपनी की सीएसआर नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए दिनांक 26 जून 2014 को आयोजित 22वीं निदेशक मंडल की बैठक में की गई थी और कंपनी के सीएसआर कार्यसूची को वांछित दिशा में आगे ले जाने के लिए उपयुक्त नीतियां और रणनीति बनाने में निदेशक मंडल की सहायता करना।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान समिति की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

समिति की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है:

1.	श्री सुरेन्द्र सिंह (नमिति निदेशक)	–	अध्यक्ष
2.	श्री अभिजीत कुमार सिन्हा	–	सदस्य

(नमिति निदेशक)

3. श्री राजीव कुमार सिन्हा – सदस्य
(नमिति निदेशक)

वित्तीय वर्ष 2023–2024 के दौरान दिनांक 28 जनवरी 2024 को सीएसआर समिति की एक बैठक का आयोजित की गई थी। इस बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे।

7.3 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 178 के अनुसार, 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक की प्रदत्त पूंजी, या 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक के टर्नओवर या 50 करोड़ रुपए या अधिक के समग्र बकाया ऋण या उधार या डिबेंचर या डिपाजिट करने वाले प्रत्येक कंपनी, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति का गठन करेगी। इस समिति में तीन या अधिक गैर कार्यपालक निदेशक होंगे जिनमें से आधे से अधिक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 14 मई, 2010 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम के लिए पारिश्रमिक समिति पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक सीपीएसई में एक पारिश्रमिक समिति होगी जिसमें कम से कम तीन निदेशक होंगे, और वे सभी अंशकालीन निदेशक होंगे (यथा नामिती और स्वतंत्र निदेशक), और समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी।

संदर्भ शर्तें

क. दिनांक 26 नवंबर 2008 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्यपालकों और गैर–यूनियनिकृत पर्यवेक्षकों में वितरण हेतु वार्षिक बोनस/परिवर्ती आय पूल तथा इसके संवितरण की नीतियां निर्धारण करना।

ख. निर्धारित मापदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों का हिह्नन/चयन हेतु नीतयों को तैयार करना और उनकी समीक्षा तथा उनके चयन और उन्हें हटाने के लिए मंडल के अनुमोदन हेतु सिफारिश करना।

ग. वरिष्ठ प्रबंधन तथा अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक के संबंध में उनके स्तर और पारिश्रमिक का निर्धारण करना।

घ. वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों के संबंध में मानव संसाधन नीति (नीतियों) की समीक्षा, विचार और सिफारिश करना।

ड. समय–समय पर कंपनी अधिनियम या डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा शामिल कोई अन्य कार्य।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 178 तथा डीपीई जीसी दिशानिर्देश, 2010 के पैरा 5.1 के अनुसरण में 28 अगस्त, 2015 को एक नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। समिति की संरचना निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान समिति की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।
समिति की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है:

1. श्री सुरेन्द्र सिंह – अध्यक्ष
   (नमिति निदेशक)

2. श्री अभिजीत कुमार सिन्हा – सदस्य
   (नमिति निदेशक)

3. श्री राजीव कुमार सिन्हा – सदस्य
   (नमिति निदेशक)

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान एनआरसी की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

8. सामान्य आम बैठक

पिछली 3 (तीन) वार्शिक आम बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं थीं:

एजीएम की संख्या	वित्त वर्ष	बैठक की तिथि	समय	स्थल
14वीं	2022–23	01 सितंबर 2023	14:30	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
13वीं	2021–22	24 अगस्त 2022	12:40	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
12वीं	2020–21	17 अगस्त 2021	10:30	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (2020–21 से 2022–23) में कोई विशेष संकल्प अपेक्षित या पारित नहीं किया गया है।

9. प्रकटन

9.1 वर्ष के दौरान निदेशकों या उनके संबंधितयों के साथ कोई महत्वपूर्ण प्रकृति का संव्यवहार नहीं हुआ है, जिसका कंपनी के हित प्रभावित हुआ हो। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में नोट सं. 35 में निर्धारित संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहारों के प्रकटन की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया गया है।

9.2 वर्ष 2023–25 के दौरान कंपनी के व्यवसाय उद्देश्यों से इतर लेखों की बहियों में व्यय की किसी भी मद को नामे नहीं किया गया है। सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन एवं पर्क (विस्तृत विवरण वित्तीय विवरणों के भाग के रुप में नोट सं 37 में भी प्रकटित) के अनुसार प्रमुख कार्यपालकों को भुगतान हेतु पारिश्रमिक को छोड़कर निदेशकों तथा शीर्ष प्रबंधन के व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है।

9.3 कुल व्यय के प्रतिशत के रुप में प्रशासनिक एवं कार्यालय व्ययों का ब्यौरा वित्तीय व्यय की तुलना में नीचे दर्शाया गया है:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23	टिप्पणियां
प्रशासनिक व्यय	14.93	32.48	शून्य
बैंक तथा अन्य वित्तीय प्रभार	0.00	0.00	शून्य
कुल व्यय	126.72	215.72	शून्य
प्रशासनिक तथा अन्य व्यय /कुल व्यय (प्रतिशत में)	11.78%	15.06%	शून्य
बैंक तथा वित्तीय प्रभार/कुल व्यय (प्रतिशत में)	0.00%	0.00%	

9.4 कंपनी आवधिक रुप से जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में परियोजनाओं से संबंधित जोखिमों और विदेशी विनिमय प्रबंधन के विषय में बोर्ड को सूचित करती है। जोखिम प्रबंधन से संबंधित ब्यौरा ''जोखिम एवं चिंता'' शीर्षक के अंतर्गत प्रबंधन विश्लेषण रिपोर्ट में दिया गया है।

9.5 कंपनी की सम्पूर्ण इक्विटी पूंजी यथा 65,00,00,000 इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) द्वारा धारित है।

9.6 किसी सांविधिक विनियम या सरकारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन न किए जाने की कोई घटना नहीं हुई है और पूंजी बाजार या सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों से संबंधित किसी मुद्दे पर कंपनी पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं।

9.7 डीपीई सीजी दिशानिर्देशों के स्व–मूल्यांकन के अनुपालन के लिए इरकॉन आईएसएल ने 2023–2024 के लिए 100 में से '**93.75**' का वार्षिक अंक तथा उत्कृष्टता ग्रेड प्राप्त किया है।

9.8 संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार आर्म लैंथ आधार पर व्यवसाय की साधारण प्रक्रिया है और कंपनी के वित्तीय विवरण के नोटों में संगत लेखांकन मानक की अपेक्षा के अनुसार इसे प्रकट किया गया है।

9.9 कंपनी में सांविधिक और प्रक्रियात्मक अनुपालनों की मॉनीटरिंग की प्रणालियां विद्यामन हैं। बोर्ड को इस स्थिति से अवगत कराया गया है ताकि कंपनी के सभी लागू नियमों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

10. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्त अधिकारी ने वित्तीय विवरणों की सत्यता तथा सटीकता, देय अनुपालनों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग, जिसे लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल के समक्ष दिनांक 10 मई 2024 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्तुत किया गया है, के संबंध में लिखित रुप में प्रमाणित किया है और इसे रिपोर्ट के **अनुबंध "ग–1"** पर संलग्न किया गया है।

11. आचार सहिंता

कम्पनी में निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता उपलबध है जो कंपनी की वेबसाइट पर है। वर्ष 2023–24 के दौरान निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन दल के सदस्यों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करने वाले अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा **इस रिपोर्ट के संलग्नक "ग–2"** पर उपलब्ध है।

12. शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

12.1 सम्प्रेषण के माध्यम

इरकॉन आईएसएल की वर्ष 2023–24 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.irconisl.com पर तथा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध हैं।

12.2 चालू वर्ष के लिए वार्षिक साधारण बैठक

तारीख : 13 अगस्त, 2024
समयः 12.30 बजे अपराहन
स्थानः कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय,
सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110007

12.3 श्रेणीवार शेयरधारक पैटर्न (इस रिपोर्ट की तिथि को)

श्रेणी	भौतिक रूप में धारित शेयरों की संख्या (10 रु. प्रति शेयर)	शेयरधारण का प्रतिशत
प्रवर्तक (इरकॉन इंटरनेशनल लि. और इसके आठ नामिति)	6,50,00,000	100 प्रतिशत
कुल	6,50,00,000	100 प्रतिशत

धारक कंपनी द्वारा पदधारियों को बदले जाने के परिणामस्वरूप किसी नामिती शेयरधारक से दूसरे शेयरधारकों को शेयरों का अंतरण करना सामान्यतः एक तकनीकी कार्य है क्योंकि 100 प्रतिशत शेयर धारक कंपनी के हैं। इन शेयरों का अंतरण करने के लिए सीईओ एक प्राधिकृत अधिकारी है और कोई अंतरण बाकी नहीं हैं।

12.4 संप्रेषण का पता

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता है:
इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड
प्लाट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर
साकेत, नई दिल्ली–1100017
टेलीफोन : 26530266
ई–मेल : info@irconisl.com
वेबसाईट : www.irconisl.com

आपकी कंपनी ने नोएडा में अपना कॉर्पोरेट कार्यालय भी स्थापित किया है जिसका विवरण इस प्रकार है:

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड
बी–40ए, दूसरी मंजिल, सेक्टर 1, नोएडा–201301
संपर्क नंबर 01204132244
ई–मेल : info@irconisl.com
वेबसाईट : www.irconisl.com

13. निगमित शासन पर अनुपालन

यह रिपोर्ट वर्ष 2023–24 के लिए कार्पोरेट शासन रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के संबंध में विधिक अपेक्षाओं का विधिक पालन करती है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी सनदी कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के **संलग्नक ''ग–3''** पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से
इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विससे लिमिटेड

ह/–
पराग वर्मा
अध्यक्ष
डीआईएन : 05272169

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05.08.2024

अनुबंध ग–1

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वित्तीय विवरण पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रमाणन

हमने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए तुलनपत्र, लाभ और हानि के विवरण और नकदी प्रवाह विवरण सहित वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमने इसकी पुष्टि की है :

क) कि वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था, सिवाय इसके कि वार्षिक वित्तीय विवरण में अन्यथा कहा गया हो और इसमें कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं हुआ हो,

ख) ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया और उन्हें लगातार लागू किया गया, और ऐसे निर्णय और अनुमान जो भी दिए गए थे, उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि दिनांक 31 मार्च 24 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के मामलों की स्थिति और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी का लाभ का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत किया जा सके दिया जा सके।

ग) कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की गई है।

घ) यह कि वार्षिक वित्तीय विवरण खाते ''गोइंग कंसर्न'' आधार पर तैयार किए गए हैं।

ड) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

ह/–
श्री अजय पाल सिंह
मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)

ह/–
श्रीमती पूजा चौरसिया
मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 10.05.2024

अनुबंध–ग2

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष द्वारा घोषणा

मैं, पराग वर्मा, अध्यक्ष, इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन दल द्वारा वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी की आचार संहिता तथा आधारभूत मूल्यों के अनुपालन की अश्पिुष्टि की गई है।

ह/–
पराग वर्मा
अध्यक्ष
डीआईएन : 05272169

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05.08.2024

अनुबंध ग–3

कंचन साह एंड एसोसिएट्स |कंपनी सचिव|

आई-31, गली नंबर 3, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092

संपर्क : +91 880 222 1762

ई-मेल : pcskanchan@gmail.com

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
निगमित शासन पर डी.पी.ई के दिशानिर्देशों
के अनुपालन संबंधित प्रमाणपत्र

(डीपीई दिशानिर्देश 2010 के पैरा 8.2.1 के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्य,
इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लिमिटेड,
प्लाट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर,
साकेत, नई दिल्ली–1100017.

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनुपालन के संबंध में, हमारी समीक्षा को प्रस्तुत किया के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए प्रासंगिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच की है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उन क्रिया विधियों और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है जिन्हें कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित अवलोकनों के साथ कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कारपोरेट शासन पर दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।

इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के पैरा 3.1.3 के अनुसार, बोर्ड में नियुक्त नामांकित निदेशकों की संख्या अधिकतम दो तक सीमित होगी। हालाँकि, यह देखा गया कि नामांकित निदेशकों की संख्या सीमा से अधिक हो गई है।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन कंपनी की भावी व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है और ना ही उसे कुशलता या प्रभावपूर्णता का आश्वासन है कि जिसके द्वारा प्रबंधन कंपनी के कार्यों का निष्पादन करता है।

कृते कंचन साह एवं एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/–
सीएस कंचन साह
प्रोप्राइटर
सदस्यता सं. 40907
सीओपी सं. 15309

दिनांकः 02.07.2024
स्थान : दिल्ली
यूडीआईएन : A040907F000648679

अनुबंध–घ

कंचन साह एंड एसोसिएट्स |कंपनी सचिव|
आई-31, गली नंबर 3, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
संपर्क : +91 880 222 1762
ई-मेल : pcskanchan@gmail.com

फार्म सं. एमआर–3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु
(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसरण में)

सेवामें,

सदस्य,
मैसर्स इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड,
प्लॉट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर,
साकेत, नई दिल्ली–110017

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और **इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड** (जिसे यहां आगे ''कंपनी'' कहा जाएगा सीआईएना : U45400DL2009GOI194792) द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी, जिससे हमनें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आधार मिला है।

कंपनी की बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, हमने एतद्द्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी

ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष वाली लेखापरीक्षा अवधि (जिसे यहां आगे ''लेखापरीक्षा अवधि'' कहा जाएगा) के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रकियाएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रूप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिंग के मद्देनजर है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियम:

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (''एससीआरए'') और तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियम : **(लागू नहीं)**

(iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1966 तथा इसके अंतर्गत निर्मित विनियम तथा उप–नियम : **(लागू नहीं)**

(iv) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के स्तर तक विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम : **(लागू नहीं)**

(v) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (''सेबी अधिनियम'') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यपाक अधिग्रहण और ओवरटेक) विनियम, 2011 : **(लागू नहीं)**

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भीतरी व्यापार निषेध) विनियम, 2015 **(लागू नहीं)**

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018 : **(लागू नहीं)**

घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन तथा कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 2021 : **(लागू नहीं)**

(ड.) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना व सूचीकरण) विनियम, 2008 : **(लागू नहीं)**

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का इश्यु और सूचीकरण) विनियम, 2021 : **(लागू नहीं)**

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इश्यु और शेयर हस्तांतरण एजेटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 और यह कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ संव्यवहार से संबंधित है : **(लागू नहीं)**

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीकरण) विनियम, 2021 **(लागू नहीं),** और

(झ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 2018 : **(लागू नहीं)।**

(vi) जैसा कि कंपनी द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी पर विशेष रूप से लागू निम्नलिखित अन्य कानूनों का अनुपालन किया गया है :

(क) निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010.

(ख) लागू स्तर तक संबंधित श्रम कानून।

(ग) लागू स्तर तक संबंधित पर्यावरण कानून

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है।

(क) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक।

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायितव एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015, **(लागू नहीं)।**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, विभिन्न लागू कानूनों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद थीं और कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हमं आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन विधिवत रूप से नामांकित निदेशकों के साथ किया जाता है और कंपनी इरकॉन (होल्डिंग कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और सभी नामांकित निदेशकों की नियुक्ति होल्डिंग कंपनी द्वारा की जाती है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के पैरा 3.1.3 के अनुसार, सरकार/अन्य सीपीएसई द्वारा नियुक्त नामित निदेशकों की संख्या अधिकतम दो तक सीमित होगी। हालाँकि, यह देखा गया कि बोर्ड में नामांकित निदेशकों की संख्या सीमा से अधिक थी।

पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे दिनांक 5 जुलाई, 2017 से प्रभावी संशोधनों के तहत कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यताएं) नियम, 2014 के नियम 4 के उप–नियम 2 के तहत अनुपालन से छूट दी गई है।

सभी निदेशकों को उपयुक्त नोटिस दिया गया है कि वे समिति बैठकों के साथ बोर्ड बैठकों की अनुसूची तैयार करें तथा सात दिन या उससे कम अवधि के पूर्व नोटिस पर कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट तैयार करें, जैसा भी मामला हो, और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर कोई अन्य सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए तथा निदेशको ंद्वारा बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी की प्रणाली विद्यमान है।

प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के रूप में बोर्ड बैठकों के निर्णय एकमत से लिए जाते हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने इस अवधि के दौरान, जहां भी लागू हो, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ विभिन्न ई–फॉर्म दायर किए हैं और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रावधानों का अनुपालन किया है और अधिनियम के अनुसार वर्ष के दौरान शेयरों का हस्तांतरण किया गया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि हमने लागू वित्तीय कानूनों, जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानून, वित्तीय रिकॉर्ड का रखरखाव, आदि के संबंध में कंपनी द्वारा अनुपालन की जांच नहीं की है, क्योंकि वे वैधानिक लेखापरीक्षकों, कर लेखापरीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी और किए गए अभ्यावेदन के आधार पर, कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उपर्युक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, आदि के अनुसरण में कंपनी में कोई विशिष्ट घटनाएं/क्रियाएं नहीं हुई हैं जिनका कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रमुख प्रभाव पड़ा है:

कृते कंचन साह एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
ह/–
कंचन साह
प्रोप्राइटर
सदस्यता सं. 40907
सीओपी सं. : 15309

यूडीआईएन : A040907F000613699

दिनांक: 25.06.2024
स्थान: दिल्ली

(इस रिपोर्ट को अनुबंध–क के रूप में अनुबंधित हमारे समसंख्यक पत्र के साथ पढ़ा जाए और यह इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है)।

कंचन साह एंड एसोसिएट्स |कंपनी सचिव|
आई-31, गली नंबर 3, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
संपर्क : +91 880 222 1762
ई-मेल : pcskanchan@gmail.com

अनुबंध–क

सेवामें,

सदस्य,
मैसर्स इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड,
प्लॉट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर,
साकेत, नई दिल्ली–110017

हमारी समतिथिक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाए:

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। मेरा उत्तरदायित्व हमारे निष्कर्षों/लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्त करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। जांच आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि रिकार्डों में सही तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। मेरा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रक्रियाएं, मेरे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं की है।

4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रकियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट ना तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है और ना ही कुशलता या प्रभावपूणता के लिए है जिसके द्वारा प्रबंधन कंपनी के कार्यों का संचालन करेगी।

कृते कंचन साह एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/–
कंचन साह प्रोप्राइटर
सदस्यता सं. 40907
सीओपी सं. : 15309

यूडीआईएन : A040907F000613699

दिनांकः 25.06.2024
स्थानः दिल्ली

फॉर्म सं. एओसी–2

अनुबंध–ड.

चौथे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्म–लैंथ संव्यवहारों सहित कंपनी अधिनियम, 2013, के अनुच्छेद 188 (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटन हेतु फॉर्म

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3)(एच) के अनुसरण में)

1. संविदाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं : शून्य
2. सामग्री संविदाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं : निम्नानुसार

क्र. सं	संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रकृति		संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं (अप्रैल से मार्च 2023 की अवधि के दौरान संव्यवहार)	बोर्ड की स्वीकृति की तिथि, यदि कोई हो	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (अधिकार वाली कंपनी)	(क)	बांग्लादेश में इरकॉन की परियोजना के लिए जनशक्ति उपलब्ध कराना	**दिनांक:** दिनांक 22.05.2020 का समझौता **अवधि:** एलओए की तिथि से 1 वर्ष अर्थात 07.02.2020. **नवीनीकरण:** समान दर और नियम एवं शर्तों पर समझौते को 01.07.2023 से 30.09.2024 तक एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।	दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के लिए जनशक्ति की आपूर्ति के लिए इरकॉन बांग्लादेश परियोजना को 41,66,426/- रुपये का बिल भेजा गया।	लागू नहीं	शून्य
	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (अधिकार वाली कंपनी)	(ख)	एमपीटी 56977 ट्रैक टैम्पिंग मशीन का पट्टा	**दिनांक:** समझौता दिनांक 25.07.2023 **अवधि:** एलओए की तारीख से 1 वर्ष अर्थात 30.05.2023 तक।	30.05.2023 से 31.03.2024 की अवधि के लिए एमपीटी मशीन को पट्टे पर देने हेतु 2,27,18,953.36/	लागू नहीं	शून्य

					- रुपये की परियोजना हेतु इरकॉन बांग्लादेश को बिल भेजा गया।		
	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (अधिकार वाली कंपनी)	(ग)	म्यांमार में इरकॉन की परियोजना के लिए जनशक्ति उपलब्ध कराना	**दिनांक:** समझौता दिनांक 15.09.2022 **अवधि:** एलओए की तिथि से 1 वर्ष अर्थात 01.04.2022 **नवीकरण :** अनुबंध को समान दर और नियमों व शर्तों पर 01.04.2023 से 31.03.2024 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।	01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के लिए जनशक्ति की आपूर्ति हेतु 59,96,505/- रुपये की परियोजना राशि के लिए इरकॉन म्यांमार को बिल भेजा गया	लागू नहीं	शून्य
	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (अधिकार वाली कंपनी)	(घ)	इरकॉन डीएफसी सीटी-12 परियोजना को फ्लैश बट मशीन का पट्टे पर देना	**दिनांक 24.05.2022 का अनुबंध संलग्न है** **अवधि:** एलओए की तिथि से 1 वर्ष अर्थात 05.03.2022 **नवीकरण :** अनुबंध को समान दर और नियमों व शर्तों पर 05.06.2023 से 04.06.2024 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।	01.04.2023 से 30.09.2023 की अवधि के लिए एफबीडब्ल्यू मशीन के पट्टे के लिए इरकॉन डीएफसी-सीटीपी 12 को 1,69,56,000/- रुपये का बिल भेजा गया।	लागू नहीं	शून्य
	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (अधिकार वाली कंपनी)	(ङ.)	इरकॉन मुंबई परियोजना को फ्लैश बट मशीन का पट्टा	**दिनांक 24.05.2022 का अनुबंध संलग्न है** **अवधि:** एलओए की तिथि से 1 वर्ष अर्थात 05.03.2022 **नवीकरण :** अनुबंध को समान दर और नियमों व शर्तों पर 05.06.2023 से 04.06.2024 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।	01.10.2023 से 31.03.2024 की अवधि के लिए एफबीडब्ल्यू मशीन के पट्टे के लिए इरकॉन मुंबई क्षेत्र को 1,69,56,000/- रुपये की राशि का बिल भेजा गया।	लागू नहीं	शून्य

	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (अधिकार वाली कंपनी)	(च)	नोएडा भवन और इरकॉन के कॉर्पोरेट ऑफिस अर्थात साकेत कार्यालय में कमरा नंबर 208 का किराया।	**दिनांक:** पट्टा समझौता दिनांक 11.10.2021 (01.01.2021 से प्रभावी) 1 जनवरी 2021 से इरकॉनआईएसएल का कॉर्पोरेट कार्यालय नोएडा कार्यालय में स्थानान्तरित किया गया।	इरकॉन कॉर्पोरेट कार्यालय को 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के लिए किराए (नोएडा भवन और कमरा नंबर 208) के लिए 58,16,412/- रुपये की देय राशि	लागू नहीं	शून्य
	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (अधिकार वाली कंपनी)	(छ)	इरकॉन के उत्तरी क्षेत्र को नोएडा भवन मरम्मत एवं रखरखाव शुल्क और बिजली शुल्क वास्तविक आधार पर	**दिनांक:** पट्टा समझौता दिनांक 11.10.2021 (01.01.2021 से प्रभावी) 1 जनवरी 2021 से इरकॉनआईएसएल का कॉर्पोरेट कार्यालय, इरकॉन के नोएडा कार्यालय में स्थानांतरित किया गया ।	इरकॉन उत्तरी क्षेत्र को देय राशि 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के लिए वास्तविक आधार पर नोएडा भवन की मरम्मत और रखरखाव के लिए रु. 39,46,825/- (रु. 22,62,660/-) के साथ-साथ बिजली शुल्क (रु. 16,84,165) की राशि।	लागू नहीं	शून्य
	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (अधिकार वाली कंपनी)	(ज)	इरकॉनआईएसएल मुंबई परियोजना को मुंबई में गेस्ट हाउस का किराया प्रदान किया गया	**अवधि:** LOA की तिथि से 01 वर्ष अर्थात 06.12.2022 **नवीकरण:** अनुबंध को समान दर और नियमों व शर्तों पर 01.04.2023 से 31.03.2024 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।	इरकॉन मुंबई परियोजना को देय राशि 2,40,000/- रुपये 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के लिए किराए के लिए	लागू नहीं	शून्य
	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (अधिकार वाली कंपनी)	(झ)	इरकॉन को मशीन पट्टे पर देना श्रीलंका परियोजना	**अवधि:** 1 वर्ष **नवीकरण** : अनुबंध को समान दर और नियमों व शर्तों पर 26.03.2025 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है ।	01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के लिए डुओमैटिक टैम्पिंग मशीन 6013 को पट्टे पर देने के		

					लिए इरकॉन श्रीलंका को 2,35,93,200/- रुपये का बिल भेजा गया।		
	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (अधिकार वाली कंपनी)	(ट)	इरकॉन सीजीआरपी परियोजना को यूनिमैट 8255 का पट्टे पर दिया जाना		11.06.2022 से 19.09.2023 की अवधि के लिए यूनिमैट 8255 को पट्टे पर देने के लिए इरकॉन सीजीआरपी परियोजना को 34,49,800/- रुपये की राशि का बिल भेजा गया।	लागू नहीं	शून्य

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/–
(पराग वर्मा)
(अध्यक्ष)

डीआईएन : 05272169

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05.08.2024

वित्तीय विवरण

2023-24

मेहन गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

कार्यालय : 2ए/37ए जनकपुरी
नई दिल्ली–110058
दूरभाषः 45597859, 41612538
ई–मेल : mohan.mgc@gmail.com
वेबसाइट : **www.camohangupta.com**

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट

सदस्य,
इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड,
नई दिल्ली।

इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षण रिपोर्ट

हमने इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (''कंपनी'') के इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2024 के तुलनत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य वृहत आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण, और वित्तीय विवरणों के नोट शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (जिसे यहां आगे ''इंड एएस वित्तीय विवरण'' कहा जाएगा) का सारांश शामिल है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, संशोधित (भारतीय लेखा मानक) और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप, दिनांक 31 मार्च 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति, लाभ, कुल व्यापक आय, इसके नकदी प्रवाह और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी परिवर्तन सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

मत का आधार

हमने अधिनियम के अनुच्छेद 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एएस) के आधार पर लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट में ''वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व '' खंड में किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे लेखा परीक्षण से सम्बद्ध स्वतंत्र अपेक्षाओं के साथ हमारा लेखा परीक्षण स्वतंत्र अपेक्षाओं के अनुरूप है तथा हमारे द्वारा इन आचार अपेक्षाओं एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हम यह मानना है कि वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारा लेखापरीक्षा मत प्रस्तुत करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल, अन्य सूचना को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल की गई सूचना है, किन्तु इसमें इंड एएस वित्तीय विवरणों और हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट इस लेखापीक्षा रिपोर्ट की तिथि के पश्चात हमें उपलब्ध होने की आशा है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में, अन्य सूचना शामिल नहीं हैं और हम हम इसे शामिल करने के संबंध में किसी प्रकार का आश्वासन नहीं देते हैं।

इंड–एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व है कि ऊपर दी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी इंड–एएस वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारे द्वारा प्राप्त जानकारी हमारी लेखापरीक्षा के दौरान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती हैं।

जब हम निदेशक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें एसए–720 'अन्य सूचना से संबंधित लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां' के तहत अपेक्षित रूप से इस मामले को शासन के प्रभारी लोगों को सूचित करना आवश्यक है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक), यथा संशोधित के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद–133, के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों (वित्तीय स्थिति), लाभ हानि (अन्य वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह तथा इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अनुच्छेद 134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डो की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहने, गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों, जो लागू हों, के प्रकटन, कोईंग कंसर्न से संबंधित मामलों और लेखांकन पर गोइंग कसर्न के प्रयोग के संबंध में कंपनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते प्रबंधन कंपनी को लिक्वीडेट करना चाहता है या प्रचालनों को बंद करना चाहता है, या उसके पास ऐसा करने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं हैं।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य वित्तीय विवरणों को तथ्यात्मक दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके अपने मत को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्च स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें किए गए लेखा परीक्षण के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि लेखापरीक्षा मानक (एसए) प्रक्रिया के अंतर्गत किए गए लेखा परीक्षण से तथ्यात्मक दुर्विवरण, यदि कोई है, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। दुर्विववरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है तथा इसे तथ्यात्मक तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग अलग अथवा समस्त

रूप में इन इंड एएस वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

लेखांकन मानकों (एसए) के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक दृष्टिकोण को प्रयोग करते हैं और सर्म्पूण लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक परिदृश्य को बनाए रखते हैं। हम यह भी निर्धारित करते हैं कि:

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों,का संज्ञान तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावीय लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का स्वरूप तैयार लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हो। पता न लगाई जा सकी किसी जालसाजी से किए गए तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिम परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठ गांठ, धोखाधड़ी, किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।

- परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखा परीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(3)(i) के अंतर्गत हमारा दायित्व अपने इस मत की अभिव्यक्ति करना भी है कि क्या कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सिस्टम स्थापित किया गया है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों पर यह सिस्टम प्रभावी है अथवा नहीं है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता एवं सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखा परीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या स्थितियां अथवा परिस्थितियां है जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे गोइंग कंसर्न के लिए कम्पनी की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से इंड एएस वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संबद्ध प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा है। हमारे द्वारा किया गया निश्चय हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कम्पनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।

- प्रकटीकरणों सहित इंड एएस वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या वित्तीय विवरणों में लेन देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।

भौतिकता, इंड एएस वित्तीय विवरणों में दुर्विवरण की गंभीरता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूपा से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों का यथोचित विवेकपूर्ण उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारी लेखापरीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैंय और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी चिह्नित दुर्विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित कार्यक्षेत्र, समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों सहित आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमियों, जिन्हें हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान चिह्नित किया है, की सूचना शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को प्रदान करते हैं।

हमारे द्वारा शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को लेखापरीक्षा स्वतंत्रता से संबंद्ध आचार अपेक्षाओं के संबंध में हमारे द्वारा समेकित विवरण भी प्रस्तुत किए गए हैं तथा हमारी लेखा परीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हो, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबंधता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेषण भी उन्हें किया गया है।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को सम्प्रेषित मामलों में से हमने उन मामलों का निर्धारण किया है चालू अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के अत्यधिक महत्वपूर्ण थे तथा तदनुसार जो प्रमुख लेखापरीक्षा मामले थे। अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में हमने उन मामलों का वर्णन किया है जो विधि अथवा विनियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं अथवा जहां, अत्यधिक विरल परिस्थितियों में, हमारे द्वारा किन्हीं परिणामों की संभावना के कारण किसी मामले की अभिव्यक्ति न करने का निर्धारण किया गया है क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति किए जाने से सार्वजनिक हितों पर औचित्यपरक रूप में काफी प्रभाव हो सकता है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. इस अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) यथापेक्षित हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं

(ख) हमारे मतानुसार, विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी द्वारा लेखों की उचित बहियों का अनुरक्षण किया गया है जैसा कि अभी तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है।

(ग) तुलन पत्र, अन्य वृहत आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह का विवरण संबंधित लेखा बहियों के अनुरूप है।

(घ) हमारे मतानुसार, उपयुक्त स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) से संगत हैं।

(ड.) 31 मार्च, 2024 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, जिसे निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिया गया है, 31 मार्च, 2024 तक अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

(च) सरकारी कंपनी होने के कारण, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(छ) कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक कुशलता के संबंध में, ''अनुबंध–क'' में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और प्रचालनिक कुषलता पर गैर परिशोधित मत प्रस्तुत करती है।

(ज) सरकारी कंपनी होने के कारण, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा–197 के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं हैं। संशोधित अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले विषयों के संबंध में:

(झ) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम–11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में:

i. कंपनी ने अपने इंड–एएस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है।

ii. कंपनी ने व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घावधि के अनुबंधों पर, लागू कानून या लेखा मानकों के तहत, महत्वपूर्ण भावी हानियों, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया है।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए आवश्यक राशियों को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं की गई है।

iv. (क) प्रबंधन द्वारा उल्लेख किया गया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई धन उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई में, विदेशी संस्था (''मध्यस्थों'') सहित, इस तथ्य के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार देगा या निवेश करेगा या कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से (''अंतिम लाभार्थी'') की पहचान की गई संस्थाएं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान नहीं करती हैं।

(ख) प्रबंधन द्वारा उल्लेख किया गया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या इकाई से विदेशी संस्था (फंडिंग पार्टियां) सहित कोई धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हो) प्राप्त नहीं हुई है। इस तथ्य के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी (अंतिम लाभाथी) या वित्तपोषण पक्ष की ओर से या प्रदान करेगी, अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी नहीं दी है।

(ग) निष्पादित की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें उक्त परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ड.) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुतीकरण, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण दुर्विवरण नहीं है।

v. वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल है, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है,

जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

चूंकि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, इसलिए रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

2. जैसा कि कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) के आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा अपेक्षित है, हम आदेश के पैरा 3 और 4, जहां तक लागू हो, में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण ''अनुलग्नक ख'' के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर हमारी अलग रिपोर्ट ''अनुबंध ग'' के रूप में संलग्न है।

मोहन गुप्ता एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएना : 0006519एन

ह/–
(सीए हिमांशु गुप्ता)
सझेदार
सदस्यता संख्या :. 527863
यूडीआईएन : 24527863BKEGAV9627

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 मई 2024

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का ''अनुबंध–क''

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के खंड 143 के उप–खंड 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में दिनांक 31 मार्च 2024 को **मेसर्स इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड** (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और खामियों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रूप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधर पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (''दिशानिर्देश नोट'')के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143(10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। उन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रव्रि याएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं – वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रूप से प्रदर्शित करते हैं, (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रूप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं, और (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, त्रुटि और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सभी सामग्रीगत पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2023 से कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारे मतानुसार, कंपनी के पास, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, दिनांक 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। कंपनी द्वारा आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लपेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया है।

मोहन गुप्ता एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएना : 0006519एन

ह/–
(सीए हिमांशु गुप्ता)
सझेदार
सदस्यता संख्या :. 527863
यूडीआईएन : 24527863BKEGAV9627

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 मई 2024

लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध "ख"

(दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड के सदस्यों की समसंख्यक लेखापीक्षक रिपोर्ट के अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट के पैरा-1 के संदर्भ में)

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांची गई बहियों और अभिलेखों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

I)

क) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति तथा उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के प्रासंगिक विवरण सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेख बनाए रखे हैं।

(ख) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेख बनाए रखे हैं।

ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया था और ऐसे सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गईं।

ग) तुलन पत्र की तिथि के अनुसार कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, तदनुसार, आदेश के खंड 3 (i)(ग) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की जाती है।

घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित) और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ड.) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (जैसा कि 2016 में संशोधित किया गया है) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

II) (क) इन्वेंट्री (तीसरे पक्ष के पास पड़ी इन्वेंट्री को छोड़कर) को वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है। तीसरे पक्ष के पास पड़ी इन्वेंट्री के संबंध में, उनके द्वारा इसकी पर्याप्त रूप से पुष्टि की गई है। हमारी राय में, इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है। इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई।

(ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर वर्ष के किसी भी समय बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

III) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण के रूप में कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। इसलिए, आदेश के खंड 3(iii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

IV) कंपनी ने निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। इसलिए, आदेश के खंड 3(iv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

V) कंपनी ने कोई जमा या राशि स्वीकार नहीं की है जिसे जमा माना जाता है। इसलिए, आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

VI) कंपनी द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा लागत अभिलेखों का रखरखाव निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसलिए, आदेश के खंड (vi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

VII) क) कंपनी भविष्य निधि, आयकर, माल और सेवा कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और उचित अधिकारियों के पास लागू किसी भी अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि जमा करने में नियमित है। कर्मचारी राज्य बीमा कंपनी पर लागू नहीं है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कोई भी निर्विवाद वैधानिक बकाया नहीं है जो 31.03.2024 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया था। निम्नलिखित को छोड़कर:

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2024 तक बकाया राशि	नियत तारीख	मार्च 2024 तक विलंबित दिन
1	देय टीडीएस	2835	07-06-2023	297
2	देय टीडीएस	1361	07-07-2023	267
3	देय टीडीएस	2095	07-08-2023	236
4	देय टीडीएस	4952	07-09-2023	205

ख) उप-खण्ड (क) में निर्दिष्ट वैधानिक बकाया का विवरण, जो विवाद के कारण दिनांक 31.03.2024 तक जमा नहीं किया गया है, नीचे दिया गया है:

क़ानून की प्रकृति	बकाया राशि की प्रकृति	वह फोरम जहां विवाद लंबित है	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	मात्रा (करोड़ रुपए में)
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	आयकर आयुक्त-I (अपील), नई दिल्ली	वित्तीय वर्ष 2018-2019	3.45

VIII) पूर्व में अलिखित आय से संबंधित कोई लेन-देन नहीं था जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

IX)

(क) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधारी के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर धन नहीं जुटाया है और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ङ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए या उनके लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(ड.) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(च) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

x)

(क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

XI) (क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई तथा कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

(ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत लागत लेखा परीक्षक/सचिवीय लेखा परीक्षक या हमारे द्वारा कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास दाखिल नहीं की गई है।

(ग) *जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें बताया गया है, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।*

XII) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3(xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

XIII) हमारी राय में, कंपनी संबंधित पक्षों के साथ लागू लेनदेन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 का अनुपालन कर रही है और संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण वित्तीय विवरणों में लागू भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकट किया गया है।

XIV)

(क) कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

(ख) लेखापरीक्षा अवधि के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर हमारे द्वारा विचार किया गया है।

XV) हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है, और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

XVI)

(क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, खंड 3(xvi)(क) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता आदेश का यह प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

(ख) कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (सी.ओ.आर.) प्राप्त किए बिना कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं।

(ग) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ग) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

(घ) समूह के हिस्से के रूप में कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xvi)(घ) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

XVII) कंपनी को हमारे लेखापरीक्षा में शामिल वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं हुई है।

XVIII) वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी वैधानिक लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है और तदनुसार आदेश के खंड 3(xviii) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

XIX) नोट-43 में प्रकटित वित्तीय अनुपातों के आधार पर वित्तीय विवरणों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियां, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, ऐसा कुछ भी हमारे ध्यान में नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि ऑडिट रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाती है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह

कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा चुका दिया जाएगा ।

XX)

(क) चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं के संबंध में, ऐसी कोई अव्ययित राशि नहीं है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx) (क) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 135(6) की उपधारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में चल रही परियोजनाओं के संबंध में कोई भी अव्ययित राशि नहीं है जिसे विशेष खाते में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(ख) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

XXI) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी पर लागू अन्य संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के समेकन की कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिए यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

मोहन गुप्ता एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएना : 0006519एन
ह/–
(सीए हिमांशु गुप्ता)
सझेदार
सदस्यता संख्या :. 527863
यूडीआईएन : 24527863BKEGAV9627

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 मई 2024

मेहन गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

कार्यालय : 2ए/37ए जनकपुरी
नई दिल्ली–110058
दूरभाष: 45597859, 41612538
ई–मेल : mohan.mgc@gmail.com
वेबसाइट : **www.camohangupta.com**

अनुबंध–ग

अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार यथपेक्षित हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं कि:

क्र .सं	विवरण	लेखापरीक्षा के उत्तर
(i)	क्या समूह में सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने व्यवस्था स्थापित की गई है? यदि हां, तो लेखांकन संव्यवहारों को बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया से लेखों के समेकन में होने वाली कठिनाईयों तथा वित्तीय कठिनाईयों, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।	कंपनी सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सेप एस/4 हाना प्रणाली का उपयोग कर रही है और इसका उपयोग वित्तीय खातों की तैयारी के लिए किया जाता है। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आय की बिलिंग को छोड़कर आईटी प्रणाली के बाहर कोई भी लेखांकन लेनदेन संसाधित नहीं किया गया है, जिसके लिए कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं देखा गया।

(ii)	क्या किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी ऋणदाता द्वारा समूह को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में समूह द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट/बट्टा किए जाने की प्रक्रिया की गई है? यदि हां, तो इससे संबंधित किसी प्रकार की वित्तीय बाध्यताएं हों तो उसका विवरण प्रस्तुत करें। (यदि, ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निदेश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक पर भी लागू होगा)।	वर्ष के दौरान, ऋण के पुनर्भुगतान की कंपनी की अक्षमता के कारण क्षेत्र में देनदारों द्वारा कर्ज/ऋणों/ब्याज आदि में छूट प्रदान करने/बट्टे खाता डालने या पुनर्निधारण का कोई मामलन विद्यमान नहीं है।
(iii)	क्या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र / राज्य एजेंसियों से प्राप्त / प्राप्य से प्राप्य निधियों का उचित लेखा रखा गया है/ नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया है? व्यतिक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान किसी विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत किसी केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या ए उसकी ऐजेंसी से कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है/प्राप्य नहीं है।

मोहन गुप्ता एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएना : 0006519एन

ह/–
(सीए हिमांशु गुप्ता)
सझेदार
सदस्यता संख्या :. 527863
यूडीआईएन : 24527863BKEGAV9627

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 मई 2024

(सीआईएन - U45400DL2009G0I194792)

31 मार्च 2024 को तुलन पत्र

(रु. में करोड़)

विवरण	नोट नं.	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
I. संपत्ति			
1 गैर-वर्तमान संपत्ति			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	21.28	21.83
(ख) अमूर्त संपत्ति			
(ग) वित्तीय संपत्ति	4	76.52	78.67
(i) ऋण	5		
(ii) अन्य वित्तीय पूंजी	5.1	0.02	0.01
(घ) स्थगित कर संपत्ति (निवल)	5.2	0.06	3.29
	6	3.59	2.18
कुल		**101.47**	**105.98**
2. वर्तमान संपत्ति			
(क) सूची	7	5.09	5.40
(ख) वित्तीय संपत्ति	8		
(i) व्यापार प्राप्तियों	8.1	67.92	78.61
(ii) नकद और नकद समकक्ष	8.2	25.61	31.10
(iii) बैक शेष अन्य उपर्युक्त (ii) से इतर	8.3	118.27	105.30
(iv) ऋण	8.4	0.02	0.02
(v) अन्य वित्तीय पूंजी	8.5	22.83	28.97
(ग) अन्य मौजूदा संपत्ति	9	18.81	20.39
(घ) संपत्ति आयोजित के लिए बिक्री	10	-	0.70
कुल		**258.55**	**270.49**
कुल संपत्ति		**360.02**	**376.47**
II. इक्विटी और देयताएं			
1 इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	11	65.00	65.00
(ख) अन्य इक्विटी	12	111.61	105.26
कुल		**176.61**	**170.26**
2 देयताएं			
(i) गैर वर्तमान देयताएं	13		
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) अन्य वित्तीय देनदारियों			
(ख) प्रावधानों	13.1	19.23	27.92
(ग) अन्य गैर वर्तमान देयताएं	14	0.34	0.23
	15	16.83	17.71
कुल		**36.40**	**45.86**

विवरण	नोट नं.	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
3 **वर्तमान देयताएं**			
(क) वित्तीय देयताएं	16		
(i) व्यापार देय	16.1		
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया और		2.32	2.86
- कुल असाधारण देय राशि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाताओं का		34.39	40.67
(ii) अन्य वित्तीय देनदारियों	16.2	25.29	19.46
(ख) अन्य मौजूदा देनदारियों	17	77.16	90.19
(ग) प्रावधानों	18	0.11	0.15
(घ) मौजूदा कर देयताएं (निवल)	19	7.74	7.02
कुल		**147.01**	**160.35**
कुल इक्विटी और देनदारियां		**360.02**	**376.47**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ का सारांश

संलग्न नोट्स (1 से 46) वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग हैं

हमारी संलग्न समतिथिक रिपोर्ट के अनुसार
कृते मोहन गुप्ता एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई फर्म पंजीकरण - 006519एन

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से
इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड

ह/-
सीए हिमांशु गुप्ता
(साझेदार)
आईसीएआई सदस्यता सं. 527863

ह/-
अभिजीत कुमार सिन्हा निदेशक
(डीआईएन- 09213782)

ह/-
पराग वर्मा अध्यक्ष
(डीआईएन- 05272169)

यूडीआईएन: 24527863BKEGAV9627
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 मई 2024

ह/-
पूजा चौरसिया
सीएफओ

ह/-
अजय पाल सिंह
सीईओ

ह/-
मनीषा गुप्ता
कंपनी सचिव

एन - U45400DL2009G0I194792)

लाभ और हानि विवरण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(रु. में करोड़)

विवरण	नोट नं.	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आय :			
I प्रचालन से राजस्व	20	136.07	218.91
II अन्य आय	21	4.87	3.94
III **कुल आय (I+II)**		**140.94**	**222.85**
IV **व्यय:**			
प्रयुक्त सामग्री की लागत	22	2.07	0.20
प्रचालनिक व्यय	23	93.00	166.66
कर्मचारी लाभ व्यय	24	12.09	11.84
मूल्यह्रास और ऋणमुक्ति व्यय और हानि	25	4.63	4.54
अन्य व्यय	26	14.93	32.48
कुल व्यय (IV)		**126.72**	**215.72**
V **लाभ/(हानि) पूर्व कर (III) - I V)**		**14.22**	**7.13**
VI घटा:- कर व्यय:	6		
(1) मौजूदा कर			
- वर्ष के लिए		6.81	8.41
- पूर्व वर्षों के लिए (निवल)		(0.04)	(0.11)
(2) स्थगित कर (निवल)		(1.41)	(6.50)
कुल कर व्यय (VI)		**5.36**	**1.80**
VII **लाभ/(हानि) पूर्व कर (V - VI)**		**8.86**	**5.33**
VIII अन्य वृहत आय	27		
क.(i) मदें जो लाभ और हानि में नर्वर्गीकृत नहीं होंगी		(0.02)	(0.02)
(ii) आय कर संबंधित मदें जो लाभ और हानि में नर्वर्गीकृत नहीं होंगी		0.01	0.01
ख. (i) मदें जो लाभ और हानि में नर्वर्गीकृत होंगी		-	-
(ii) आय कर संबंधित मदें जो लाभ और हानि में नर्वर्गीकृत होंगी		-	-
		(0.01)	(0.01)
IX **वर्ष के लिए कुल वृहत आय (VII +VIII)**		**8.85**	**5.32**

(रु. में करोड़)

विवरण	नोट नं.	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
X **आय प्रति हिस्सेदारी शेयर करना:**			
(1) बुनियादी (में रु.)	28	1.36	0.82
(2) पतला (में रु.)		1.36	0.82
चेहरा कीमत प्रति हिस्सेदारी शेयर करना (रु. में)		10.00	10.00

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ का सारांश

संलग्न नोट्स (1 से 46) वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग हैं

हमारी संलग्न समतिथिक रिपोर्ट के अनुसार
कृते मोहन गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई फर्म पंजीकरण - 006519एन

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से
इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड

ह/-
सीए हिमांशु गुप्ता
(साझेदार)
आईसीएआई सदस्यता सं. 527863

ह/-
अभिजीत कुमार सिन्हा
निदेशक
(डीआईएन- 09213782)

ह/-
पराग वर्मा
अध्यक्ष
(डीआईएन- 05272169)

यूडीआईएन: 24527863BKEGAV9627

ह/-
पूजा चौरसिया
सीएफओ

ह/-
अजय पाल सिंह
सीईओ

ह/-
मनीषा गुप्ता
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 मई 2024

(सीआईएन - U45400DL2009G0I194792)

रोकड प्रवाह विवरण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु (रु. में करोड़)

विवरण		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
नकद प्रवाह से ऑपरेटिंग गतिविधियाँ			
निवल लाभ पूर्व कर		14.22	7.13
समायोजन के लिए :			
मूल्यह्रास, ऋणमुक्ति और हानि		4.63	4.54
नुकसान/(लाभ) पर निपटान का संपत्ति (निवल)ब्याज आय		0.05	-
		(4.74)	(2.55)
विदेश मुद्रा नकद और नकद समकक्ष के अंतरण पर विनियम अंतर का प्रभाव		(0.03)	(0.02)
संदिग्ध कर्ज पर प्रावधान		10.02	28.10
कार्य में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ पूंजी	**(1)**	**24.15**	**37.20**
समायोजन के लिए परिवर्तन में कार्यरत पूंजी			
दरसूची में कमी / (बढ़ोतरी)		0.31	(1.08)
कमी / (बढ़ोतरी) व्यापार प्राप्तियों		0.67	(16.03)
कमी / (बढ़ोतरी) ऋण		(0.02)	-
कमी / (बढ़ोतरी) अन्य वित्तीय संपत्ति		8.86	(22.31)
कमी / (बढ़ोतरी) अन्य मौजूदा संपत्ति		1.58	3.59
(कमी) /बढ़ोतरी अन्य गैर वर्तमान देयता		(0.88)	(13.46)
(कमी) / बढ़ोतरी व्यापार देय		(6.82)	3.43
(कमी) / बढ़ोतरी अन्य वित्तीय देयता		(2.85)	38.12
(कमी) / बढ़ोतरी अन्य मौजूदा देयता		(13.03)	(16.85)
(कमी) / बढ़ोतरी प्रावधानों		0.05	0.14
	(2)	**(12.13)**	**(24.45)**
प्रचालन से सृजित नकद	**(1+2)**	**12.02**	**12.75**
आय कर चुकाया गया (निवल का रिफंड)		(6.05)	(4.78)
परिचालन गतिविधियाँ से निवल नकद राशि	**(क)**	**5.97**	**7.97**
निवेश गतिविधियाँ से नकद प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति पर पूंजी व्यय		(1.97)	(7.78)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की बिक्री		0.70	0.03
प्राप्त ब्याज		5.33	1.61
कमी / (बढ़ोतरी) जमा साथ बैंकों		(13.05)	(10.09)
निवेश गतिविधियाँ से निवल नकद	**(ख)**	**(8.99)**	**(16.23)**
वित्तपोषण गतिविधियाँ से नकद प्रवाह			-
अन्तरिम लाभांश का भुगतान		(2.50)	-
वित्तपोषण गतिविधियाँ से निवल नकद	**(ग)**	**(2.50)**	**-**
विदेशी मुद्रा नकदी और नकदी समकक्षों के अंतरण पर विनियम अंतर का प्रभाव	**(घ)**	**0.03**	**0.02**
नकद और नगदी समकक्ष में निवल बढोतरी/ कमी)	**क+ख+ग+घ)**	**5.49)**	**8.24)**

(रु. में करोड़)

विवरण		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
नकद और नकद समकक्ष के घटक			
नकद और नकद समकक्ष (प्रारंभिक)	**(ड.)**	31.10	39.34
नकद शेष		-	0.04
बैंकों में शेष			
– चालू खाते		0.90	2.50
– फ्लेक्सी खाते		30.20	36.80
नकद और नकद समकक्ष (समापन)	**(च)**	**25.61**	**31.10**
बैंकों में शेष			
– मौजूदा खाते		6.76	0.90
– फ्लेक्सी खाते		11.55	30.20
–3 महीने से कम की परिपक्वता वाली जमा राशि		7.30	-
नकद और नकद समकक्ष में निवल वृद्वि (कमी)	**(च -ड)**	**(5.49)**	**(8.24)**

नोट:

1. नकदी प्रवाह की रिपोर्ट अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके की जाती है, जिसके तहत कर से पहले लाभ/(हानि) को गैर-नकद प्रकृति के लेन-देन के प्रभावों और पिछले या भविष्य के नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगन या उपार्जन के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी की परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह को उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग किया जाता है।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नकदी के बहिर्वाह को दर्शाते हैं।
3. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ भी आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत/पुनर्निर्मित किया गया है।

हमारी संलग्न समतिथिक रिपोर्ट के अनुसार **कृते मोहन गुप्ता एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई फर्म पंजीकरण - 006519एन

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से
इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड

ह/-
सीए हिमांशु गुप्ता
(साझेदार)
आईसीएआई सदस्यता सं. 527863

ह/-
अभिजीत कुमार सिन्हा निदेशक
(डीआईएन- 09213782)

ह/-
पराग वर्मा अध्यक्ष
(डीआईएन- 05272169)

यूडीआईएन: 24527863BKEGAV9627

ह/-
पूजा चौरसिया
सीएफओ

ह/-
अजय पाल सिंह
सीईओ

ह/-
मनीषा गुप्ता
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 मई 2024

(सीआईएन - U45400DL2009G0I194792)

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

(रु. में करोड़)

क. इक्विटी शेयर पूंजी[1]

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	65.00	65.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष	-	-
पिछले वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
समापन शेष	**65.00**	**65.00**

[1] संदर्भ नोट 11

ख. अन्य इक्विटी [2]

विवरण	आरक्षित निधि और अतिरेक		अन्य वृहत आय की मदें (वास्तविक लाभ/ (हानि)	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय		
1 अप्रैल, 2022 तक शेष राशि	88.89	11.05	-	99.94
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पिछली अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	**88.89**	**11.05**	**-**	**99.94**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	-	5.33	-	5.33
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, आयकर के बाद शुद्ध	-	(0.01)	-	(0.01)
परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ/(हानि)	-	-	-	
कुल व्यापक आय	**-**	**5.32**	**-**	**5.32**
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	**88.89**	**16.37**	**-**	**105.26**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	-	8.86	-	8.86
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, आयकर के बाद शुद्ध	-	(0.01)	-	(0.01)
परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ/(हानि)	-	-	-	-
कुल व्यापक आय	**-**	**8.85**	**-**	**8.85**
वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश		(2.50)		(2.50)
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-	-
वर्ष के दौरान बायबैक/जारी	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**88.89**	**22.72**	**-**	**111.61**

² नोट 12 देखें
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश।
साथ में दिए गए नोट (1 से 46) वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न समतिथिक रिपोर्ट के अनुसार
कृते मोहन गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई फर्म पंजीकरण - 006519एन

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से
इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड

ह/-
सीए हिमांशु गुप्ता
(साझेदार)
आईसीएआई सदस्यता सं. 527863

ह/-
अभिजीत कुमार सिन्हा
निदेशक
(डीआईएन- 09213782)

ह/-
पराग वर्मा
अध्यक्ष
(डीआईएन- 05272169)

यूडीआईएन: 24527863BKEGAV9627

ह/-
पूजा चौरसिया
सीएफओ

ह/-
अजय पाल सिंह
सीईओ

ह/-
मनीषा गुप्ता
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 मई 2024

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लेखांकन के भाग का सृजन करने वाली लेखांकन नीतियां

1. कॉर्पोरेट जानकारी

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी भारत में स्थित है और भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत निगमित है। कंपनी ने रेलवे उपयोगकर्ताओं को सुविधाएं प्रदान करने के लिए पहचाने गए रेलवे स्टेशनों पर मल्टी-फंक्शनल कॉम्प्लेक्स (एमएफसी) के निर्माण और विकास के लिए शुरुआत में निगमित किया था। इसके अलावा, कंपनी ने अवसंरचना परामर्श परियोजनाओं, डीपीआर और एफएस की तैयारी, परियोजना प्रबंधन परामर्श परियोजनाओं, कार्मिकों की आपूर्ति, प्लांट और मशीनरी को लीज पर देना, एमएफसी को सब-लीज पर देना और होल्डिंग कंपनी सहित विभिन्न ग्राहकों की सीएसआर परियोजनाओं को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया। कंपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी-4, जिला केंद्र, साकेत, नई दिल्ली - 110017 में स्थित है।

कंपनी की प्रस्तुति और कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपए (INR) है। वित्तीय विवरणों में आंकड़े करोड़ में प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रति शेयर डेटा को छोड़कर दो दशमलव तक पूर्णांकित करके और जैसा कि अन्यथा कहा गया है।

वित्तीय विवरणों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 10 मई 2024 को आयोजित बैठक में जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है ।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

i) अनुपालन का विवरण

कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भव प्रणाली का अनुसरण करते हुए और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार जारी व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) शामिल हैं, जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए (समय-समय पर संशोधित) और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के डिवीजन II की प्रस्तुति आवश्यकताएं, (इंड एएस अनुसूची III का अनुपालन), जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लागू होता है।

ii) माप का आधार

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार किए गए हैं, सिवाय निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों के जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है:

- परिभाषित लाभ योजनाएं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ।

2.2. सामग्री लेखांकन नीतियों का सारांश

वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में सुसंगत रूप से लागू किया गया है।

2.2.1. वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण

प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकदी और नकदी समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच लगने वाले समय के आधार पर, कंपनी ने बैलेंस शीट में अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू और गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र के रूप में बारह महीने निर्धारित किए हैं।
आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.2.2. सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को प्रारंभ में लागत पर बताया जाता है।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में शामिल हैं:
(क) इसका क्रय मूल्य, व्यापार छूट और छूट में कटौती के बाद, गैर-वापसी योग्य खरीद करों सहित किसी भी व्यापार छूट और छूट के शुद्ध;
(ख) परिसंपत्ति को प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से परिचालन करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति तक लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार कोई भी लागत।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को बाद में संचित मूल्यह्रास और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, के शुद्ध लागत पर मापा जाता है। बाद की लागतों को परिसंपत्तियों की वहन राशि में शामिल किया जाता है या एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जैसा कि उचित हो, केवल तभी जब यह संभावना

हो कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

यदि मान्यता मानदंड पूरे किए जाते हैं तो प्रतिस्थापन, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण भागों और मशीनरी स्पेयर की मरम्मत की लागत को पूंजीकृत किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग ग के तहत निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर प्रदान किया जाता है। हालांकि, परिसंपत्तियों के कुछ वर्ग के मामले में, कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित उपयोगी जीवन से अलग उपयोगी जीवन का उपयोग करती है।

उपयोगी जीवन का आकलन तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया गया है, जिसमें परिसंपत्तियों के वर्गों की प्रकृति, परिसंपत्ति से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोग को ध्यान में रखा गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार अनुमानित उपयोगी जीवन का खुलासा लेखा नोट में किया गया है। अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्तियों की मूल लागत के 5% से अधिक नहीं है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद के प्रत्येक भाग का अलग से मूल्यह्रास किया जाता है, यदि भाग की लागत मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है और उस भाग का उपयोगी जीवन शेष परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से भिन्न है।

इस अवधि के दौरान अर्जित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जिनकी कीमत अलग-अलग 5000/- रुपये तक है, का पूर्ण मूल्यह्रास किया जाता है, पहचान के लिए टोकन मूल्य के रूप में 1 रुपये रखा जाता है। हालांकि, कर्मचारियों को दिए गए मोबाइल फोन का मूल्य चाहे जो भी हो, लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यह्रास विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा की जाती है।

निपटान पर लाभ और हानि का निर्धारण आय की तुलना वहन राशि से करके किया जाता है। इन्हें अन्य लाभ/(हानि) के भीतर लाभ या हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

2.2.3. अमूर्त संपत्ति

कंपनी को आरएलडीए (रेल भूमि विकास प्राधिकरण) की भूमि पर एमएफसी (बहु-कार्यात्मक परिसर) के विकास के अधिकार प्राप्त हुए। कंपनी द्वारा नियंत्रित पहचान योग्य अमूर्त परिसंपत्तियों के विकास के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार लागत जिसमें उधार लेने की लागत भी शामिल है, को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में तभी पहचाना जाता है जब यह भारतीय लेखा मानक 38 में निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है और परियोजना के सभी मामलों में पूरा होने पर पूंजीकृत होती है।

इसके बाद, अमूर्त संपत्तियों को संचित परिशोधन और संचित ह्ानि हानि, यदि कोई हो, के शुद्ध लागत पर ले जाया जाता है। अमूर्त संपत्तियों को उनके संबंधित अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है और लाभ और हानि खाते के विवरण में चार्ज किया जाता है। अनुमानित उपयोगी जीवन का खुलासा लेखा नोटों में किया गया है।

प्रत्येक मामले में 1.00 लाख रुपये तक की सॉफ्टवेयर लागत खरीद के वर्ष में पूरी तरह से चुका दी जाती है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधन विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा की जाती है।

निपटान पर लाभ और हानि का निर्धारण आय की तुलना वहन राशि से करके किया जाता है। इन्हें अन्य लाभ/(हानि) के भीतर लाभ या हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

2.2.4. गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी अपनी गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या हानि का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो हानि हानि (यदि कोई हो) की सीमा निर्धारित करने के लिए परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है।

यदि ऐसी परिसंपत्तियों को क्षतिग्रस्त माना जाता है, तो लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त क्षति को उस राशि से मापा जाता है जिससे परिसंपत्तियों का अग्रणीत मूल्य परिसंपत्ति की अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो।

2.2.5. सूची

इन्वेंटरी का मूल्यांकन लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से कम पर किया जाता है। लागत का निर्धारण पहले आओ पहले पाओ (एफआईएफओ) के आधार पर किया जाता है।

कलपुर्जों की खरीद की अवधि में व्यय के रूप में लिया जाता है।

2.2.6. राजस्व मान्यता

i) परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) सेवाओं से राजस्व:

सभी पीएमसी अनुबंधों में, कंपनी निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को उचित रूप से मापने के बाद समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व को मान्यता देती है। राजस्व को सकल आधार पर दर्ज किया जाता है, जहाँ कंपनी प्रिंसिपल के रूप में कार्य करती है और शुद्ध राशि पर जो वह अपनी सेवाओं के लिए रखती है, यदि कंपनी एजेंट के रूप में कार्य करती है। कंपनी ने अनुबंधों के सार पर विचार करके राजस्व को मान्यता दी है।

जब निष्पादन दायित्व समय के साथ पूरे हो जाते हैं, तो कंपनी इनपुट विधि (यानी, प्रतिशत-पूर्णता विधि) का उपयोग करके राजस्व को मान्यता देती है, जो मुख्य रूप से कुल अनुमानित अनुबंध लागतों की तुलना में आज तक किए गए अनुबंध लागत पर आधारित होती है। कुल अनुमानित अनुबंध लागतों में परिवर्तन, यदि कोई हो, उस अवधि में मान्यता प्राप्त होते हैं जिसमें उन्हें अनुबंध स्तर पर मूल्यांकन के रूप में निर्धारित किया जाता है।

राजस्व को लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है जो निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित किया जाता है और इसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्रित राशि शामिल नहीं होती है तथा इसे परिवर्तनीय प्रतिफल (यदि कोई हो) के लिए समायोजित किया जाता है।

लेन-देन मूल्य में परिवर्तनशीलता मुख्य रूप से परिसमाप्त क्षति, मूल्य परिवर्तन खंड, दायरे में परिवर्तन, यदि कोई हो, के कारण उत्पन्न होती है। कंपनी अपने समान लेन-देन के अनुभव और अनुबंध के बारे में अपेक्षाओं पर विचार करती है, ताकि वह उस परिवर्तनीय विचार की राशि का अनुमान लगा सके जिसके लिए वह हकदार होगी और यह निर्धारित कर सके कि अनुमानित परिवर्तनीय विचार को सीमित किया जाना चाहिए या नहीं। परिवर्तनीय विचार के अनुमान मुख्य रूप से प्रत्याशित प्रदर्शन के आकलन और सभी सूचनाओं (ऐतिहासिक, वर्तमान और पूर्वानुमानित) पर आधारित होते हैं जो उचित रूप से उपलब्ध हैं। नतीजतन, संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित

राशि को राजस्व के रूप में या राजस्व में कमी के रूप में पहचाना जाता है, उस अवधि में जिसमें लेनदेन मूल्य बदलता है।

अनुबंध संशोधनों का लेखा तब किया जाता है जब अनुबंध के दायरे या अनुबंध मूल्य में कुछ जोड़ने, हटाने या बदलाव करने की स्वीकृति दी जाती है। अनुबंधों के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि मौजूदा अनुबंध में जोड़ी गई सेवाएँ अलग हैं या नहीं और क्या मूल्य निर्धारण स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर है। जो सेवाएँ अलग नहीं हैं, उनका लेखा संचयी कैच-अप आधार पर किया जाता है, जबकि जो अलग हैं, उनका लेखा भावी रूप से किया जाता है, या तो एक अलग अनुबंध के रूप में, यदि अतिरिक्त सेवाओं का मूल्य स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर है, या मौजूदा अनुबंध की समाप्ति और एक नए अनुबंध के नर्िमाण के रूप में, यदि स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर मूल्य निर्धारण नहीं किया गया है।

ii) जनशक्ति की आपूर्ति, ट्रैक/सुविधा रखरखाव और मशीनरी किराये पर लेने की सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त राजस्व:

कंपनी ग्राहक के साथ अनुबंध में उल्लिखित वादा की गई सेवा (यानी, सहमत जनशक्ति की आपूर्ति/ट्रैक और सुविधा रखरखाव/मशीनरी किराए पर लेना) को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि पर राजस्व को मान्यता देती है । ऐसी सेवाओं को इनपुट पद्धति का उपयोग करके समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के रूप में मान्यता दी जाती है क्योंकि ग्राहक एक साथ कंपनी द्वारा प्रदान किए गए लाभ को प्राप्त करता है और उसका उपभोग करता है।

अनुबंध शेष

अनुबंध परिसंपत्तियाँ : यदि कंपनी ग्राहक द्वारा प्रतिफल का भुगतान करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले ग्राहक को माल या सेवाएँ हस्तांतरित करके कार्य करती है, तो अर्जित प्रतिफल के लिए अनुबंध परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है जो सशर्त है। अंतिम अनुबंध निपटान तक ग्राहक द्वारा रखे गए भुगतानों के हिस्से को एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं माना जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य आमतौर पर ग्राहक को अनुबंध के तहत निर्दिष्ट कंपनी के शेष प्रदर्शन के लिए सुरक्षा का एक रूप प्रदान करना होता है, जो उद्योग अभ्यास के अनुरूप है।

व्यापार प्राप्य: प्राप्य कंपनी के उस राशि पर अधिकार को दर्शाता है जो बिना शर्त है (अर्थात, भुगतान के लिए केवल समय बीतने की आवश्यकता है)। व्यापार प्राप्य हैं शुरू में लेनदेन मूल्य पर मान्यता प्राप्त है क्योंकि उनमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं हैं। कंपनी अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करने के उद्देश्य से व्यापार प्राप्य रखती है और इसलिए बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर उन्हें मापती है। घटा हानि भत्ता।

अनुबंध देयताएँ: यदि कोई ग्राहक कंपनी द्वारा ग्राहक को माल या सेवाएँ हस्तांतरित करने से पहले प्रतिफल का भुगतान करता है, तो भुगतान किए जाने पर या भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) अनुबंध देयता को मान्यता दी जाती है। अनुबंध देयताओं को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है जब कंपनी अनुबंध के तहत कार्य करती है।

iii) अन्य आय

- ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है।
- विविध आय को तब मान्यता दी जाती है जब निष्पादन दायित्व पूरा हो जाता है और अनुबंध की शर्तों के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

2.2.7. ऋण लेना

उधार लेने की लागत में ब्याज और अन्य लागतें शामिल होती हैं, जो कंपनी को धन उधार लेने के संबंध में वहन करनी पड़ती हैं और उन्हें उस अवधि में लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है, जिसमें वे वहन की जाती हैं, सिवाय इसके कि जब वह भारतीय लेखा मानक 23 के अनुसार अर्हक परिसंपत्तियों के भाग के रूप में पूंजीकरण के लिए मानदंड को पूरा करती हो।

2.2.8. कर्मचारी लाभ

i) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ जैसे वेतन और मजदूरी, अल्पावधि प्रतिपूर्ति अनुपस्थिति, तथा कार्य निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूर्णतः देय होते हैं, उन्हें अल्पावधि कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा ऐसे लाभों की छूट रहित राशि को उस अवधि में लाभ और हानि विवरण में व्यय किया जाता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करता है।

ii) रोजगार के बाद के लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

क) परिभाषित अंशदान योजना

नियमित कर्मचारियों के लिए, कंपनी के पास एक परिभाषित अंशदान कर्मचारी पेंशन योजना है, जिसमें कंपनी एनपीएस के माध्यम से कर्मचारी पेंशन योजना के लिए अंशदान जमा करती है और अंशदान देय होने वाले वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण में इसे शामिल किया जाता है।

ख) परिभाषित लाभ योजना

ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के प्रति कंपनी की देयता परिभाषित लाभ योजनाओं की प्रकृति की है।

ग्रेच्युटी का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है और लाभ-हानि विवरण में इसे व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है । इसकी गणना एक स्वतंत्र एक्चुअरी द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की जाती है और यदि परिस्थितियाँ यह संकेत देती हैं कि कंपनी सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दरों को कवर करने के लिए पर्याप्त रिटर्न उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो सकती है, तो इसके लिए प्रावधान किया जाता है।

परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के शुद्ध दायित्व को प्रत्येक योजना के लिए अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर अलग से मापा जाता है, जिसमें प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर परिभाषित लाभ दायित्वों की भारित औसत परिपक्वता प्रोफ़ाइल के बराबर परिपक्वता अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों पर बाजार उपज के आधार पर छूट दर का उपयोग किया जाता है। शुद्ध आधार पर दायित्व को पहचानने के लिए परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत सकल दायित्व से योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को घटाया जाता है।

पुनर्मापन, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानि शामिल हैं, योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध परिभाषित लाभ देयता या परिसंपत्ति पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर) को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और प्रतिधारित आय में प्रतिबिंबित किया जाता है।

कंपनी ईपीएफओ को पूर्व निर्धारित दरों पर मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है। अवधि के लिए निधि में किए गए अंशदान को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान करना और सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम दर पर प्रतिफल सुनिश्चित करना है।

कंपनी के कुछ कर्मचारी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी से प्रतिनियुक्ति पर हैं।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी के साथ व्यवस्था के अनुसार, पद कर्मचारी लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ से संबंधित लागत की प्रतिपूर्ति कंपनी में प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर आधारित निश्चित अंशदान के आधार पर होल्डिंग कंपनी को की जाएगी।

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के संबंध में कंपनी की देयता, होल्डिंग कंपनी को दिए जाने वाले निश्चित अंशदान की सीमा तक सीमित है। दीर्घकालिक कर्मचारी देयता का वास्तविक निपटान होल्डिंग कंपनी की जिम्मेदारी होगी।

ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

मापन उद्देश्यों के लिए कंपनी बारह महीनों से आगे ले जाए जाने वाले अवकाश नकदीकरण और अवकाश यात्रा रियायत को दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में मानती है। इन दीर्घकालिक लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त दायित्व को अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दायित्व के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ लागत, जिसमें वर्तमान सेवा लागत, ब्याज लागत और कटौती तथा निपटान पर लाभ या हानि, बीमांकिक लाभ और हानि सहित पुनर्मापन शामिल हैं, को लाभ और हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.2.9. कर

कर व्यय में चालू कर और आस्थगित आयकर शामिल हैं।

i) वर्तमान आयकर

वर्तमान कर को उस अवधि के लिए कर योग्य आय के संबंध में देय कर के रूप में निर्धारित किया जाता है तथा इसकी गणना प्रासंगिक कर विनियमों के अनुसार की जाती है।

चालू आयकर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक जब यह लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित हो, जिस स्थिति में इसे या तो अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता दी जाती है। प्रबंधन समय-समय पर उन स्थितियों के संबंध में कर रिटर्न में ली गई स्थितियों का मूल्यांकन करता है जिनमें लागू कर विनियम व्याख्या के अधीन होते हैं और जहां उपयुक्त हो, वहां प्रावधान स्थापित करता है।

वर्तमान कर परिसंपत्तियों और कर देनदारियों का समायोजन वहां किया जाता है, जहां इकाई के पास समायोजन करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार होता है और वह या तो शुद्ध आधार पर निपटान करना चाहती है, या परिसंपत्ति की वसूली और देयता का एक साथ निपटान करना चाहती है।

ii) आस्थगित कर

देयता पद्धति का उपयोग करते हुए कर आधार और परिसंपत्तियों/देयताओं के लेखांकन आधार के अंतर पर उत्पन्न होने वाले अस्थायी कर योग्य/कटौती योग्य अंतर के लिए आस्थगित कर प्रदान किया जाता है और रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित कर दरों या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों पर मापा जाता है।

आस्थगित कर को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक जब यह लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित हो, ऐसी स्थिति में इसे या तो अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और उसे इस सीमा तक कम कर दिया जाता है कि अब यह संभव नहीं रह जाता है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या भाग का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा । अपरिचित आस्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव हो गया है कि भविष्य में कर योग्य लाभ आस्थगित कर परिसंपत्ति को वसूलने की अनुमति देगा।

स्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन तब किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हो और जब स्थगित कर शेष एक ही कराधान प्राधिकरण से संबंधित हों।

2.2.10. विदेशी मुद्राएँ

i) कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपए में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा भी है।

ii) लेनदेन और शेष राशि

विदेशी मुद्रा लेनदेन को कार्यात्मक मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता पर, लेनदेन की तिथि पर कार्यात्मक मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके दर्ज किया जाता है।

रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को समापन दर (देयताओं के लिए समापन बिक्री दर और परिसंपत्तियों के लिए समापन खरीद दर) का उपयोग करके कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर-मौद्रिक मदें जो ऐतिहासिक लागत पर रखी जाती हैं, उनका पुनर्अनुवाद नहीं किया जाता है और लेनदेन की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग करके रिपोर्ट की जाती हैं।

मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर को उस अवधि के लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं तथा शुद्ध आधार पर प्रस्तुत किया जाता है।

2.2.11. नकद और नकद के समान

नकदी प्रवाह विवरण में प्रस्तुति के प्रयोजन के लिए, नकदी और नकदी समतुल्य में अप्रतिबंधित नकदी और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली अल्पकालिक जमाराशियां शामिल हैं, जिन्हें नकदी की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय किया जा सकता है और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

2.2.12. लाभांश

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश वितरण को उस अवधि में देयता के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें शेयरधारकों द्वारा लाभांश को मंजूरी दी जाती है। किसी भी अंतरिम लाभांश को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन पर देयता के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.2.13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

i) प्रावधान

'प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

इस प्रावधान की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

ii) आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताओं का खुलासा तब किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो सकती है लेकिन संभवतः नहीं होगी या ऐसे दायित्व की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता है। जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके संबंध में आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम होती है, तो कोई प्रावधान या खुलासा नहीं किया जाता है। आकस्मिक देयताओं का खुलासा लेखा-जोखा के एक भाग के रूप में किया गया है।

प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

iii) आकस्मिक परिसंपत्तियां

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है , यद्यपि उनका खुलासा कर दिया जाता है, जहां आर्थिक लाभ का आगमन संभावित होता है।

2.2.14. पट्टों

कंपनी अनुबंध की शुरुआत में ही यह आकलन कर लेती है कि अनुबंध पट्टा है या नहीं। यानी, अगर अनुबंध में किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के इस्तेमाल को किसी अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है, तो बदले में कुछ रकम दी जाएगी।

i) कंपनी पट्टेदार के रूप में

कंपनी ने आरएलडीए से पट्टे पर जमीन ली है, जिस पर कंपनी ने आगे आय अर्जित करने के लिए एमएफसी विकसित किए हैं। पट्टा परिचालन प्रकृति का है क्योंकि आरएलडीए किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व से जुड़े सभी जोखिमों और लाभों को कंपनी को हस्तांतरित नहीं करता है। किराये के खर्चों को लाभ या हानि खाते के विवरण में परिचालन व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

ii) अल्पावधि पट्टे

बारह महीने या उससे कम अवधि वाले अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों के लिए आरओयू और पट्टा देनदारियों को मान्यता न देने का निर्णय लिया है। कंपनी इन पट्टों से जुड़े पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता देती है ।

iii) पट्टादाता के रूप में कंपनी

कंपनी को आरएलडीए की भूमि पर विकसित एमएफसी (बहु-कार्यात्मक परिसरों) को किराए पर देकर आय अर्जित करने का अधिकार है। किराये की अवधि में होने वाली आय का लेखा-जोखा रखा जाता है और परिचालन प्रकृति के कारण लाभ या हानि खाते के विवरण में राजस्व में शामिल किया जाता है।

2.2.15. वित्तीय साधनों

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को तब मान्यता देती है जब वह उपकरण के संविदात्मक प्रावधानों का पक्ष बन जाती है।

i . वित्तीय परिसंपत्तियां

क) प्रारंभिक पहचान और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ (व्यापार प्राप्तियों को छोड़कर, जिनमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं होता है, जिन्हें लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है) को शुरू में उचित मूल्य और लेनदेन लागतों पर मान्यता दी जाती है , जो सीधे वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार होती हैं। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागतों को लाभ और हानि के विवरण में व्यय किया जाता है।

ख) अनुवर्ती माप

वित्तीय परिसंपत्ति का बाद का मापन परिसंपत्ति के प्रबंधन के लिए कंपनी के व्यवसाय मॉडल और परिसंपत्ति की नकदी प्रवाह विशेषताओं पर निर्भर करता है। कंपनी अपनी वित्तीय परिसंपत्ति को इस प्रकार वर्गीकृत करती है:

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

प्रारंभिक माप के बाद, संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए रखी गई वित्तीय परिसंपत्तियों को, जहां वे नकदी प्रवाह केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को अन्य आय में शामिल किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि की पहचान के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है, जिसे परिशोधित लागत, व्यापार प्राप्य और नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए अन्य संविदात्मक अधिकारों पर मापा जाता है।

व्यापार प्राप्य और अनुबंध परिसंपत्तियों के लिए, कंपनी 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करती है और आजीवन अपेक्षित ऋण हानि के बराबर राशि पर हानि भत्ते को मापती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम जोखिम पर हानि की पहचान के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो हानि की भरपाई के लिए 12 महीने की ईसीएल का उपयोग किया जाता है।

अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त ईसीएल हानि हानि भत्ता (या उलटफेर) को लाभ और हानि के विवरण में व्यय/आय के रूप में मान्यता दी जाती है। यह राशि लाभ और हानि के विवरण में 'अन्य व्यय' शीर्षक के अंतर्गत दर्शाई जाती है। परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए बैलेंस शीट प्रस्तुति नीचे वर्णित है:

ईसीएल को एक भत्ते के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात, बैलेंस शीट में उन परिसंपत्तियों के माप के एक अभिन्न अंग के रूप में। भत्ता शुद्ध वहन राशि को कम करता है। जब तक परिसंपत्ति राइट-ऑफ मानदंड को पूरा नहीं करती है, तब तक कंपनी सकल वहन राशि से हानि भत्ते को कम नहीं करती है।

ग) वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना

कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर देती है, जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के लिए संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या वह वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित कर देती है, और यह स्थानांतरण भारतीय लेखा मानक 109 के तहत मान्यता रद्द करने के लिए योग्य हो जाता है।

अग्रणीत राशि और प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल की राशि के बीच के अंतर को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ii वित्तीय देनदारियां

(क) प्रारंभिक पहचान और माप

सभी वित्तीय देनदारियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, तथा उधार के मामले में, प्रत्यक्ष रूप से देय लेनदेन लागतों को घटाकर मान्यता दी जाती है।

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार एवं अन्य देयताएं तथा अन्य वित्तीय देनदारियां शामिल हैं।

(ख) अनुवर्ती माप

परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक मान्यता के बाद, व्यापार देय और अन्य वित्तीय देनदारियों को बाद में EIR (प्रभावी ब्याज दर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो EIR का एक अभिन्न अंग हैं। EIR परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

(ग) वित्तीय देनदारियों की पहचान रद्द करना

वित्तीय दायित्व (या वित्तीय दायित्व का एक भाग) को कंपनी की बैलेंस शीट से तब हटा दिया जाता है जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व समाप्त हो जाता है, रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है।

2.2.16. उचित मूल्य माप

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में वित्तीय साधनों को उचित मूल्य पर मापती है।

सभी परिसंपत्तियां और देयताएं, जिनके लिए उचित मूल्य मापा जाता है, वित्तीय विवरणों में प्रकट की जाती हैं और उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर 3 (मूल्यांकन तकनीकें जिनके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट अप्राप्य है) के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

किसी परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य उन मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है, जिनका उपयोग बाजार प्रतिभागी परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय करते हैं, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने सर्वोत्तम आर्थिक हित में कार्य करते हैं।

2.2.17. प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय निर्धारित करने में, कंपनी इक्विटी शेयरधारकों को देय शुद्ध लाभ पर विचार करती है। प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग किए जाने वाले शेयरों की संख्या अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या है। प्रति शेयर शिथिल आय निर्धारित करने में, इक्विटी शेयरधारकों को देय शुद्ध लाभ और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी पतला संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

2.2.18. बिक्री हेतु रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्ति

गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) को बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जानी होती है और बिक्री को अत्यधिक संभावित माना जाता है। बिक्री को केवल तभी अत्यधिक संभावित माना जाता है जब परिसंपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, यह संभावना नहीं है कि बिक्री वापस ले ली जाएगी, और वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर बिक्री की उम्मीद है। बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को वहन राशि और उचित मूल्य में से कम पर बिक्री की लागत घटाकर दर्शाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति और अमूर्त संपत्ति को बिक्री के लिए रखे जाने के बाद मूल्यह्रास या परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री/वितरण के लिए रखी गई संपत्तियों को बैलेंस शीट में अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

यदि इंड एएस 105 "बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान संपत्तियां" द्वारा बताए गए मानदंड अब पूरे नहीं होते हैं, तो निपटान समूह को बिक्री के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। गैर-वर्तमान संपत्ति जो बिक्री के लिए रखी जाने के रूप में वर्गीकृत नहीं की जाती है, उसे (i) संपत्ति को बिक्री के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकृत किए जाने से पहले की उसकी वहन राशि, मूल्यह्रास के लिए समायोजित की जाती है जिसे उस संपत्ति को बिक्री के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया होता, और (ii) उस तिथि पर उसकी वसूली योग्य राशि जब निपटान समूह को बिक्री के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, में से कम पर मापा जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति और अमूर्त संपत्तियों से संबंधित मूल्यह्रास उत्क्रमण समायोजन उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में चार्ज किया जाता है जब बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान संपत्ति

2.2.19. पूर्व अवधि समायोजन

पूर्ववर्ती अवधियों से संबंधित चालू वर्ष में पाई गई त्रुटियों/चूक को महत्वहीन माना जाएगा तथा चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया जाएगा, यदि ऐसी सभी त्रुटियां और चूकें कुल मिलाकर कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल परिचालन राजस्व के 0.50% से अधिक न हों।

2.2.20. महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान और निर्णय

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, लेखा अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो रिपोर्ट की गई आय, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा और साथ में प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। इन धारणाओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए भविष्य की अवधि में प्रभावित परिसंपत्तियों या देनदारियों की वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन की आवश्यकता होती है।

यह नोट उन क्षेत्रों का अवलोकन प्रदान करता है जिनमें अधिक निर्णय या जटिलता शामिल है, तथा उन मदों का भी, जिनके मूल रूप से मूल्यांकन किए गए अनुमानों और मान्यताओं से भिन्न होने के कारण भौतिक रूप से समायोजित होने की अधिक संभावना है।

संबंधित लेखांकन नीतियों में बताए गए आकलन और निर्णय के महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिनका वित्तीय विवरणों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, निम्नानुसार हैं:

i . असंग्रहीत व्यापार प्राप्तियों के लिए भत्ते

व्यापार प्राप्य पर ब्याज नहीं लगता है और अनुमानित अप्राप्य राशि के लिए उचित भत्ते द्वारा घटाए गए उनके नाममात्र मूल्यों पर बताए जाते हैं जो प्राप्य के शेष राशि और ऐतिहासिक अनुभवों की उम्र पर आधारित होते हैं। व्यक्तिगत व्यापार प्राप्य तब लिखे जाते हैं जब प्रबंधन उन्हें वसूली योग्य नहीं मानता है।

ii. परिभाषित लाभ योजनाएँ

प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के अलावा सेवानिवृत्ति के बाद लाभ दायित्व की लागत एक्चुरियल मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित की जाती है। एक्चुरियल मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और भविष्य में पेंशन वृद्धि का निर्धारण शामिल है। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, एक परिभाषित लाभ दायित्व इन धारणाओं में परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी धारणाओं की समीक्षा की जाती है।

iii. आकस्मिकताएं

व्यवसाय के सामान्य क्रम में, कंपनी के विरुद्ध मुकदमेबाजी और अन्य दावों से आकस्मिक देयताएँ उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ दायित्व ऐसे हैं जिनके बारे में प्रबंधन ने सभी उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि भुगतान की संभावना नहीं है या विश्वसनीय रूप से मात्रा निर्धारित करना कठिन है और ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में माना जाता है और नोटों में प्रकट किया जाता है। हालाँकि कंपनी जिस कानूनी कार्यवाही में शामिल है, उसके अंतिम परिणाम का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है। यह उम्मीद नहीं की जाती है कि ऐसी आकस्मिकताओं का कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई भौतिक प्रभाव पड़ेगा।

iv. वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट के जोखिम और अपेक्षित हानि दरों के बारे में मान्यताओं पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने और हानि गणना के लिए कंपनी के पिछले इतिहास, क्रेडिट जोखिम, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आगे की ओर देखने वाले अनुमानों के आधार पर इनपुट चुनने में विवेक का उपयोग करती है।

कर

जटिल कर विनियमों की व्याख्या, कर कानूनों में परिवर्तन, तथा भविष्य की कर योग्य आय की राशि और समय के संबंध में अनिश्चितताएं मौजूद हैं। वास्तविक परिणामों और की गई धारणाओं के बीच उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक अंतरों की प्रकृति को देखते हुए, या ऐसी धारणाओं में भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के कारण, भविष्य में समायोजन की आवश्यकता हो सकती है, जो उस अवधि में वर्तमान और स्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रभावित करेगा, जिसमें ऐसा निर्धारण किया जाता है। कंपनी उचित अनुमानों के आधार पर प्रावधान स्थापित करती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर घाटे के लिए इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध घाटे का उपयोग किया जा सकता है। संभावित समय और भविष्य के कर योग्य लाभों के स्तर के साथ-साथ भविष्य की कर नियोजन रणनीतियों के आधार पर, मान्यता प्राप्त करने योग्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मात्रा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।

vi. गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

इकाई प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का निर्धारण निर्णयात्मक है और इसमें महत्वपूर्ण अनुमानों और मान्यताओं का उपयोग शामिल है। अनुमान उन मान्यताओं पर आधारित हैं जिन्हें उचित माना जाता है, लेकिन जो स्वाभाविक रूप से अनिश्चित और अप्रत्याशित हैं और अप्रत्याशित घटनाओं और परिस्थितियों को नहीं दर्शाते हैं जो घटित हो सकती हैं।

vii. बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्ति

गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) को बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जानी होती है और बिक्री को अत्यधिक संभावित माना जाता है। बिक्री को अत्यधिक संभावित तभी माना जाता है जब परिसंपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, यह संभावना नहीं है कि बिक्री वापस ले ली जाएगी, और वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर बिक्री की उम्मीद है।

viii. राजस्व मान्यता

कंपनी की राजस्व मान्यता नीति इस बात में केन्द्रीय है कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपने द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन किस प्रकार करती है।

इन नीतियों के तहत अनुबंधों के परिणामों के बारे में पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है, जिसके तहत कार्य के दायरे में होने वाले परिवर्तनों, दावों और विविधताओं के बारे में आकलन और निर्णय लेना आवश्यक है।

अनुबंध के नीचे उल्लिखित पहलुओं के संबंध में भी अनुमान आवश्यक हैं:
पूर्णता के चरण का निर्धारण -

- परियोजना पूर्ण होने की तिथि का अनुमान
- संभावित नुकसान के लिए प्रावधान
- अनुमानित कुल राजस्व और दावों और विविधताओं सहित पूरा होने तक अनुमानित कुल लागत।

ये प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाने वाली समीक्षाएं हैं तथा वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित की जाती हैं।

3. परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण

(रूपए करोड में)

विवरण	संयंत्र और मशीनरी	कंप्यूटर	फर्नीचर, फिक्सचर व फर्निशिंग	कार्यालय उपकरण	वाहन	कुल
सकल ब्लॉक (लागत पर)						
1 अप्रैल 2022 को	**23.40**	**0.37**	**0.16**	**0.07**	**0.03**	**24.03**
परिवर्धन	7.62	0.07	0.04	0.05	-	7.78
निपटान/समायोजन	1.46	(0.10)	(0.01)	-	-	1.35
31 मार्च 2023 को	**32.48**	**0.34**	**0.19**	**0.12**	**0.03**	**33.16**
परिवर्धन	1.88	0.09	0.00	0.00	-	1.97
निपटान/समायोजन	-	(0.06)	(0.00)	(0.02)	0.01	(0.07)
31 मार्च 2024 को	**34.36**	**0.37**	**0.19**	**0.10**	**0.04**	**35.06**
संचित मूल्यहास और हानि						
1 अप्रैल 2022 को	**7.62**	**0.25**	**0.05**	**0.06**	**0.00**	**7.98**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	1.87	0.06	0.02	0.02	0.00	1.97
निपटान/समायोजन	1.47	(0.08)	-	(0.02)	-	1.37
31 मार्च 2023 को	**10.96**	**0.23**	**0.07**	**0.06**	**0.00**	**11.32**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	2.37	0.07	0.02	0.02	0.00	2.48
निपटान/समायोजन	0.04	(0.04)	(0.02)	(0.03)	0.02	(0.03)
31 मार्च 2024 को	**13.37**	**0.26**	**0.07**	**0.05**	**0.02**	**13.77**
निवल बही मूल्य						
31 मार्च 2024 को	**20.99**	**0.11**	**0.12**	**0.05**	**0.02**	**21.28**
31 मार्च 2023 को	**21.52**	**0.11**	**0.12**	**0.06**	**0.03**	**21.83**

नोट :-

व्यवसाय विशिष्ट उपयोग, परिसंपत्तियों के उपभोग पैटर्न और समान परिसंपत्तियों के पिछले प्रदर्शन पर विचार करते हुए तकनीकी मूल्यांकन द्वारा समर्थित उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार है :

परिसंपत्तियों की श्रेणी	अनुसूची II के अनुसार उपयोगी जीवन (वर्षों में)	तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अपनाया गया उपयोगी जीवन (वर्षों में)
संयंत्र और मशीनरी *	8-15	1-15
कंप्यूटर	3-6	3-6
कार्यालय उपकरण	5–10	5–10
फ़र्निचर व फिक्सचर	10	10
वाहनों	8-10	8-10

*संपत्ति के उपयोगी जीवन के निर्धारण के लिए संपत्ति के प्रत्येक महत्वपूर्ण घटक पर विचार किया गया है।

टिप्पणियाँ:-

क) रिपोर्टिंग तिथि तक कंपनी के पास कोई पूंजीगत कार्य प्रगति पर नहीं है।

ख) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टेदार के पक्ष में पट्टा समझौते विधिवत निष्पादित हैं) जिनके शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं।

ग) वर्ष के दौरान कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।

4. अमूर्त परिसंपत्तियां (रूपए करोड में)

विवरण	विकास अधिकार	कुल
सकल ब्लॉक		
1 अप्रैल 2022 को आरंभिक शेष	95.15	95.15
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-
समायोजन	-	-
31 मार्च 2023 को समापन शेष	95.15	95.15
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-
समायोजन	-	-
31 मार्च 2024 को समापन शेष	95.15	95.15
परिशोधन और हानि	-	-

1 अप्रैल 2022 को आरंभिक शेष	14.33	14.33
परिशोधन	2.15	2.15
हानि	-	-
समायोजन	-	-
31 मार्च **2023** को समापन शेष	16.48	16.48
परिशोधन	2.15	2.15
हानि	- -	- -
समायोजन		
31 मार्च **2024** को समापन शेष	18.63	18.63
निवल बही मूल्य		
31 मार्च 2024 को	76.52	76.52
31 मार्च 2023 को	78.67	78.67

1. कंपनी को आरएलडीए (रेल भूमि विकास प्राधिकरण) की भूमि पर एमएफसी (बहुक्रियात्मक परिसर) के विकास अधिकार प्राप्त हुए। कंपनी द्वारा नियंत्रित पहचान योग्य अमूर्त परिसंपत्तियों के विकास के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार लागत, जिसमें उधार लेने की लागत भी शामिल है, को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में तभी मान्यता दी जाती है, जब यह भारतीय लेखा मानक 38 में निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है और परियोजना के सभी मामलों में पूरा होने पर पूंजीकृत होती है।

2. विकास अधिकारों को आनुपातिक आधार पर विकास अधिकारों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया गया है। विकास अधिकारों का परिशोधन उस तारीख से शुरू होता है, जिस दिन संबंधित परियोजना वाणिज्यिक संचालन में आती है। वर्ष के दौरान परिशोधित राशि रु. 2.15 करोड़ (वित्त वर्ष 2022-23 रु. 2.15 करोड़)

3. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

4. कंपनी के पास वर्ष के दौरान विकास के तहत कोई अमूर्त परिसंपत्ति नहीं है।

5. गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

5.1 ऋण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
क. वसूली योग्य: रक्षित ,		
स्टाफ़ ऋण [1]	0.02	0.01
कुल	**0.02**	**0.01**

[1]ऊपर बताए गए ऋण और अग्रिम में कंपनी, फर्म जिसमें निदेशक भागीदार है या निजी कंपनी जिसमें निदेशक सदस्य है, के अधिकारियों द्वारा देय ऋण शामिल नहीं हैं।

5.2 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
12 महीने से अधिक की शेष परिपक्वता वाली सावधि जमा (बैंक गारंटी)1	0.04	3.27
कर्मचारी ऋण और अग्रिम पर अर्जित ब्याज	0.02	0.02
कुल	**0.06**	**3.29**

[1] दिनांक 31 मार्च 2024 तक 0.04 करोड़ रुपये (31 मार्च 2023 को 3.27 करोड़ रुपये) चल रही परियोजनाओं के प्रति वैधानिक प्राधिकरणों/अन्य पक्षों को गिरवी रखी गई सावधि जमा को दर्शाता है।

6. आस्थगित कर संपत्ति और आयकर

भारतीय लेखा मानक 12 "आयकर" के अनुसार प्रकटीकरण

(क) 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर व्यय के प्रमुख घटक हैं:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं	विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
		31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1	लाभ और हानि खंड वर्तमान आयकर: वर्तमान आयकर प्रभार पिछले वर्ष के वर्तमान कर के संबंध में समायोजन स्थगित कर: अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रतिवर्तन से संबंधित	 6.81 (0.04) (1.41)	 8.41 (0.11) (6.50)
	लाभ और हानि खंड में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय	**5.36**	**1.80**
2	अन्य व्यापक आय (ओसीआई) खंड वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित आयकर: परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मूल्यांकन पर शुद्ध हानि/(लाभ) विदेशी परिचालन अनुवाद पर शुद्ध हानि/(लाभ)	 0.01 -	 0.01 -
	ओसीआई खंड में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय	**0.01**	**0.01**

(ख) दिनांक 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 के लिए भारत की घरेलू कर दर से गुणा किए गए कर व्यय और लेखा लाभ का समायोजन : **(करोड़ रुपए में)**

क्र.सं	विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
		31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1	आयकर से पहले लेखा लाभ	14.22	7.13
2	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कॉर्पोरेट कर की दर	29.12%	29.12%
3	लेखा लाभ पर कर (3) = (1) * (2)	4.14	2.08
4	कर समायोजन का प्रभाव:	(0.04)	(0.11)
	(i) पिछले वर्षों के चालू आयकर के संबंध में समायोजन		
	(ii) कर उद्देश्यों के लिए गैर-कटौती योग्य व्यय:	-	-
	-अन्य देश अतिरिक्त कर	0.07	-
	-अन्य गैर-कटौती योग्य व्यय	1.20	(0.16)
5	(vi) विभिन्न अन्य मदों का कर प्रभाव	**5.37**	**1.81**
6	लाभ और हानि विवरण में	29.12%	29.12%

(ग) तुलन पत्र और लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्राप्त आस्थगित कर (परिसंपत्तियां) और देनदारियों के घटक

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं	विवरण	समाप्त वर्ष हेतु		समाप्त वर्ष हेतु	
		31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास और आयकर मूल्यह्रास में अंतर	10.44	8.76	1.68	(0.26)
2	प्रावधान	(11.20)	(8.29)	(2.91)	(7.73)
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के तहत अस्वीकृत मदें	-	-	-	-
4	चालू वर्ष और पिछले वर्षों में लाभ और हानि के विवरण पर लगाए गए व्यय का प्रभाव लेकिन भुगतान के आधार पर कर उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य	-	-	-	-
5	वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	-
6	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और	-	-	-	-
7	एफवीटीपीएल म्यूचुअल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि	(2.83)	(2.65)	(0.19)	1.48
	एफएफसी के एकमुश्त डाउनपेमेंट पर आस्थगित कर संपत्तियां	**(3.59)**	**(2.18)**	**(1.41)**	**(6.50)**

(घ) तुलन पत्र में निम्नानुसार दर्शाया गया है:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	(14.03)	(10.94)
2	आस्थगित कर देयताएँ	10.44	8.76
	(आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ)/ देयताएँ (शुद्ध)	**(3.59)**	**(2.18)**

नोट: आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ और आस्थगित कर देयताएँ एक ही कराधान प्राधिकरण से संबंधित होने के कारण ऑफसेट कर दी गई हैं।

(ड.) आस्थगित कर (देयताएँ)/परिसंपत्तियों का समाधान:

31 मार्च 2024 तक (करोड़ रुपए में)

क्र.सं	विवरण	1 अप्रैल 2023 को निवल शेष	लाभ और हानि विवरण में समायोजन	ओसीआई में समायोजित	31 मार्च 2024 को निवल शेष
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास और आयकर मूल्यह्रास में अंतर	8.76	(1.68)	-	10.44
2	प्रावधान	(8.29)	2.91	(0.01)	(11.20)
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के तहत अस्वीकृत मदें	-			-
4	चालू वर्ष और पिछले वर्षों में लाभ और हानि के विवरण पर लगाए गए व्यय का प्रभाव लेकिन भुगतान के आधार पर कर उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य	-	-	-	-
5	वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	-

6	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और	-	-	-	-
7	एफवीटीपीएल म्यूचुअल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि	(2.65)	0.19	-	(2.83)
	एफएफसी के एकमुश्त डाउनपेमेंट पर आस्थगित कर संपत्तियां	**(2.18)**	**1.42**	**(0.01)**	**(3.59)**

(ड.) आस्थगित कर (देयताएँ)/परिसंपत्तियों का समाधान:

31 मार्च 2023 तक (करोड़ रुपए में)

क्र.सं	विवरण	1 अप्रैल 2023 को निवल शेष	लाभ और हानि विवरण में समायोजन	ओसीआई में समायोजित	31 मार्च 2024 को निवल शेष
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास और आयकर मूल्यह्रास में अंतर	9.02	(0.26)	-	8.76
2	प्रावधान	(0.56)	(7.72)	(0.01)	(8.29)
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के तहत अस्वीकृत मदें	-			-
4	चालू वर्ष और पिछले वर्षों में लाभ और हानि के विवरण पर लगाए गए व्यय का प्रभाव लेकिन भुगतान के आधार पर कर उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य	-	-	-	-
5	वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	-
6	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और	-	-	-	-
7	एफवीटीपीएल म्यूचुअल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि	(4.13)	1.48	-	(2.65)
	एफएफसी के एकमुश्त डाउनपेमेंट पर आस्थगित कर संपत्तियां	**4.33**	**(6.50)**	**(0.01)**	**(2.18)**

वर्तमान परिसंपत्तियाँ

7. इन्वेंटरी

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
स्पेयर्स और उपभोग्य वस्तुएं	5.09	5.40
(लागत या एनआरवी के आधार पर मूल्यांकित, जो भी कम हो, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो)	**5.09**	**5.40**

8 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

8.1 व्यापार प्राप्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
व्यापार प्राप्य[1]	67.92	78.61
कुल	**67.92**	**78.61**

[1]व्यापार प्राप्य का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
सुरक्षित, वसूली योग्य	**13.55**	**12.49**
असुरक्षित, वसूली योग्य		
(क) संबंधित पक्ष से - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	5.64	3.98
(ख) अन्य से	48.73	62.14
व्यापार प्राप्य जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	2.54	3.96
व्यापार प्राप्य - क्रेडिट हानि	35.58	24.13
	106.04	**106.70**
हानि भत्ता (खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता)		

असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
व्यापार प्राप्य जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	(2.54)	(3.96)
व्यापार प्राप्य - क्रेडिट हानि	(35.58)	(24.13)
कुल	**67.92**	**78.61**

1) ऊपर बताई गई व्यापार प्राप्य राशि में निदेशकों, कंपनी के अन्य अधिकारियों, फर्म जिसमें निदेशक भागीदार है या निजी कंपनी जिसमें निदेशक सदस्य है, द्वारा देय ऋण शामिल नहीं हैं, सिवाय ऊपर बताई गई राशि के।

2) आयु सीमा के लिए नोट संख्या 35 देखें।

8.2 नकद और नकद समकक्ष (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
बैंकों में शेष राशि:		
– चालू खातों पर[1]	6.76	0.90
– फ्लेक्सी खाते[1]	11.55	30.20
– 3 महीने से कम मूल परिपक्वता अवधि वाले जमा[1]	7.30	-
कुल	**25.61**	**31.10**

[1]25.61 करोड़ रुपये में से 21.58 करोड़ रुपये 31 मार्च 2024 तक क्लाइंट से प्राप्त धनराशि है (31 मार्च 2023 तक 31.10 करोड़ रुपये में से 19.23 करोड़ रुपये क्लाइंट से प्राप्त धनराशि है) जिस पर उन्हें ब्याज दिया जाता है।

8.3 अन्य बैंक शेष (करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
अन्य बैंक शेष राशि		
- 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमाराशियाँ[1]	118.27	105.30
कुल	**118.27**	**105.30**

[1]118.27 करोड़ रुपये में से 57.02 करोड़ रुपये 31 मार्च 2024 तक क्लाइंट फंड हैं (105.30 करोड़ रुपये में से 58.30 करोड़ रुपये 31 मार्च 2023 तक क्लाइंट फंड हैं) जिस पर उन्हें ब्याज दिया जाता है

8.4 ऋण (करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
क. वसूली योग्य : रक्षित		
स्टाफ़ ऋण[1]	0.02	0.02
कुल	**0.02**	**0.02**

[1]ऊपर वर्णित ऋण और अग्रिम में कंपनी, फर्म के अधिकारियों द्वारा देय ऋण शामिल नहीं हैं, जिसका निदेशक एक भागीदार या निजी कंपनी है जिसका निदेशक सदस्य है।

8.5 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
अच्छा माना जाता है: असुरक्षित		
12 महीने से कम की शेष परिपक्वता वाली सावधि जमा)1	3.31	0.01
सुरक्षा जमा	0.04	0.03
- दूसरों के पास	2.93	3.52
बैंक के पास सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	0.20	0.20
बयाना राशि जमा	-	2.99
दूसरों से वसूली योग्य राशि		
अनुबंध संपत्ति	10.32	13.84
बिल योग्य राजस्व	3.13	1.84
ग्राहक के पास प्रतिधारण धन	2.90	6.54
ग्राहक द्वारा रोका गया धन	**22.83**	**28.97**

[1]31 मार्च 2024 तक 3.31 करोड़ रुपये विभिन्न परियोजनाओं/सांविधिक प्राधिकरणों के विरुद्ध गिरवी रखे गए बीजी के विरुद्ध बैंक में सावधि जमा को दर्शाते हैं। (31 मार्च 2023 तक 0.01 करोड़ रुपये सांविधिक प्राधिकरणों के पास रखी गई सावधि जमा को दर्शाते हैं)

9. अन्य चालू परिसंपत्तियाँ (करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
ठेकेदार को अग्रिम	3.90	6.04
अन्य		
राजस्व प्राधिकरण के पास शेष राशि		
- माल और सेवा कर	14.90	14.35
पूर्व भुगतान व्यय	0.01	-
कुल	**18.81**	**20.39**

नोट:- ऊपर उल्लिखित अग्रिमों में निदेशकों, कंपनी के अन्य अधिकारियों, फर्म जिसमें निदेशक भागीदार है या निजी कंपनी जिसका निदेशक सदस्य है, द्वारा देय ऋण शामिल नहीं हैं।

10. बिक्री हेतु रखी गई संपत्ति (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	0.70
कुल	**-**	**0.70**

विवरण के लिए नोट 38 देखें

11 इक्विटी शेयर पूंजी **(करोड़ रुपए में)**

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
अधिकृत शेयर पूंजी		
6,50,00,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से पूरी तरह से भुगतान किए गए (31.03.2023 तक 6,50,00,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से)	65.00	65.00
	65.00	65.00
जारी/सब्सक्राइब और चुकता पूंजी		
6,50,00,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से पूरी तरह से भुगतान किए गए (31.03.2023 तक 6,50,00,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से)	65.00	65.00
कुल	**65.00**	**65.00**

क. कंपनी में 5% से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

(संख्या में)

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारिता का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारिता का प्रतिशत
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड- होल्डिंग कंपनी और 7 नामांकित व्यक्ति	6,50,00,000	100%	6,50,00,000	100%
कुल	**6,50,00,000**	**100%**	**6,50,00,000**	**100%**

ख. बोनस के रूप में जारी किए गए इक्विटी शेयरों की कुल संख्या, नकदी के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए जारी किए गए शेयर और रिपोर्टिंग तिथि से तुरंत पहले पांच वर्ष की अवधि के दौरान वापस खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
नकद के अलावा आवंटित इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-
बोनस के रूप में जारी इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

ग. वर्ष की शुरुआत और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों और शेयर पूंजी की संख्या का मिलान

विवरण	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
	शेयरों की संख्या	रूपए करोड में	शेयरों की संख्या	रूपए करोड में
वर्ष की शुरुआत में जारी/सब्सक्राइब और चुकता इक्विटी पूंजी बकाया	6,50,00,000	65.00	6,50,00,000	65.00
जोड़ें: पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण परिवर्तन	-	-	-	-
वर्ष की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष	6,50,00,000	65.00	6,50,00,000	65.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में जारी/सब्सक्राइब और चुकता इक्विटी पूंजी बकाया	**6,50,00,000**	**65.00**	**6,50,00,000**	**65.00**

घ. इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें/अधिकार:

(i) वोटिंग

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है, जिसका सममूल्य 10 रुपये प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

(ii) परिसमापन

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(iii) लाभांश

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

ड. प्रमोटर की शेयरधारिता का विवरण इस प्रकार है:-

विवरण	प्रमोटर का नाम *	शेयरों की संख्या	शेयरों का कुल %	अवधि/वर्ष के दौरान परिवर्तन %
31 मार्च 2024 को	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और 7 नामिति	6,50,00,000	100%	
विवरण	**प्रमोटर का नाम ***	**शेयरों की संख्या**	**शेयरों का कुल %**	**अवधि/वर्ष के दौरान परिवर्तन %**
31 मार्च 2023 को	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और 7 नामिति	6,50,00,000	100%	

च. अन्य नोट:

i) कंपनी द्वारा रिपोर्टिंग तिथि तक इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय कोई प्रतिभूति जारी नहीं की गई है।

ii) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी शेयर को जब्त नहीं किया है।

iii) रिपोर्टिंग तिथि तक ऐसे कोई शेयर जारी नहीं किए गए हैं जिनके संबंध में अवैतनिक कॉल हैं।

iv) शेयरों की बिक्री या विनिवेश के लिए विकल्पों और अनुबंधों या प्रतिबद्धताओं के तहत जारी करने के लिए कोई शेयर आरक्षित नहीं किया गया है।

12. अन्य इक्विटी

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
प्रतिधारित आय (नोट 12.1 देखें)	22.72	16.37
सामान्य रिजर्व (नोट 12.2 देखें)	88.89	88.89
कुल	**111.61**	**105.26**

12.1 प्रतिधारित आय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
प्रारंभिक शेष राशि	16.37	11.05
जोड़ें: लाभ और हानि विवरण से हस्तांतरित लाभ	8.86	5.33
घटाएँ: वर्ष 1 के दौरान भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश	(2.50)	-
जोड़ें: परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाली अन्य व्यापक आय	(0.01)	(0.01)
समापन शेष राशि	**22.72**	**16.37**

[1] कंपनी ने वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए 0.38 रुपये प्रति शेयर की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है (31 मार्च 2023: प्रति शेयर शून्य)

12.2 सामान्य आरक्षित निधि

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
प्रारंभिक शेष राशि	88.89	88.89
जोड़ें: लाभ और हानि विवरण से स्थानांतरित	-	-
समापन शेष राशि	**88.89**	**88.89**

अन्य आरक्षित निधियों की प्रकृति एवं उद्देश्य

(क) प्रतिधारित आय

प्रतिधारित आय कंपनी के अविभाजित लाभ को दर्शाती है।

(क) सामान्य रिजर्व

सामान्य रिजर्व वैधानिक रिजर्व को दर्शाता है, यह कॉर्पोरेट कानून के अनुसार है जिसमें लाभ का एक हिस्सा सामान्य रिजर्व में विभाजित किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, सामान्य रिजर्व में किसी भी राशि का हस्तांतरण कंपनी के विवेक पर निर्भर करता है।

12.3 रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में मान्यता प्राप्त नहीं लाभांश

निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित अंतिम लाभांश, आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
31 मार्च 2024 के लिए लाभांश: 0.97 रुपये प्रति शेयर (31 मार्च 2023: प्रति शेयर शून्य)	6.33	-
कुल	**6.33**	**-**

13 गैर-वर्तमान देयताएँ

13.1 अन्य वित्तीय देयताएँ

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
वसूली योग्य - अरक्षित		
प्रतिधारण धन	19.23	27.92
कुल	**19.23**	**27.92**

14 प्रावधान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान:		
-ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	0.12	0.08
-छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	0.22	0.15
कुल	**0.34**	**0.23**

विस्तृत जानकारी के लिए नोट 31 देखें

15. अन्य गैर-वर्तमान देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
अन्य देय राशियाँ	0.01	0.01
मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स (एमएफसी) की सब-लीजिंग से अग्रिम राशि	16.82	17.70
कुल	**16.83**	**17.71**

16 वित्तीय देयताएँ

16.1 व्यापार देयताएँ

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया बकाया और	2.32	2.86
ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया बकाया		
(क) ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता	34.37	40.60
(ख) संबंधित पक्ष इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	0.01	0.07
कुल	**36.70**	**43.53**

आयु वृद्धि के लिए नोट 34 देखें

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशि के संबंध में जानकारी

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को बकाया मूल राशि और उस पर बकाया ब्याज:		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया मूल राशि	2.32	2.86
उपर्युक्त पर बकाया ब्याज	शून्य	शून्य
एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि और प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान आपूर्तिकर्ता को नियत दिन के बाद किए गए भुगतान की राशि	शून्य	शून्य

भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए बकाया और देय ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद भुगतान की गई है) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	शून्य	शून्य
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और बकाया ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
आगामी वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक कि एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से उपरोक्त ब्याज बकाया राशि वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं की जाती है	शून्य	शून्य

16.2 अन्य वित्तीय देयताएं

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
अन्य देय		
कर्मचारी देय	0.14	0.17
जमा और प्रतिधारण राशि	18.32	15.19
अन्य देय- इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड		
- कर्मचारियों के पारिश्रमिक, अन्य व्यय आदि की प्रतिपूर्ति के लिए	6.83	4.10
कुल	**25.29**	**19.46**

17 अन्य चालू देयताएँ

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
अन्य		
वैधानिक बकाया:	1.33	2.37

मल्टी-फंक्शनल कॉम्प्लेक्स (एमएफसी) की सब-लीजिंग से अग्रिम राशि	0.87	0.87
अन्य*	0.25	-
अनुबंध देयता:		
ग्राहकों से अग्रिम राशि	74.71	86.95
कुल	**77.16**	**90.19**

*मुकदमे के अंतर्गत प्राप्त राशि अंतिम निपटान के अधीन है।

18. प्रावधान

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
कर्मचारी लाभ के प्रावधान:		
- ग्रेच्युटी के प्रावधान	0.00	0.00
- वेतन छोड़ें के प्रावधान	0.01	0.05
- पीआरपी के प्रावधान	0.10	0.10
कुल	**0.11**	**0.15**

19. चालू कर देयताएं

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
आयकर का प्रावधान (अग्रिम कर और टीडीएस का शुद्ध)	0.80	3.21
पिछले वर्ष की कर देयता	6.94	3.81
कुल	**7.74**	**7.02**

20. प्रचालनों से राजस्व (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व		
- परियोजना प्रबंधन परामर्श	79.21	165.23
- एमएफसी के उप-पट्टे से पट्टा किराया	16.44	27.87
- ट्रैक का रखरखाव/ सेवाओं	31.03	18.96
-जनशक्ति की आपूर्ति	1.02	1.36
-संयंत्र और मशीनरी को पट्टे पर देना	8.37	5.49
कुल	**136.07**	**218.91**

संदर्भ नोट 33

[1] आय में संबंधित पक्ष से आय 1.02 करोड़ रुपये और (वार्षिक वर्ष 1.36 करोड़ रुपये) शामिल है।

[2] आय में संबंधित पक्ष से आय 8.37 करोड़ रुपये और (वार्षिक वर्ष 5.49 करोड़ रुपये) शामिल है।

21. अन्य आय (रूपए करोड में)

विवरण		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज आय			
बैंक ब्याज सकल	8.91		
घटाएँ:-ग्राहकों को दिया गया ब्याज	4.51	4.40	2.55
प्राप्तियों और अग्रिमों पर ब्याज	0.21		
घटाएँ:-ग्राहकों को दिया गया ब्याज		0.21	1.15
आयकर की वापसी पर ब्याज		0.13	0.07
विनिमय उतार-चढ़ाव लाभ (शुद्ध)		0.03	0.02
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री पर लाभ*		0.00	-
अन्य		0.10	0.15
कुल		**4.87**	**3.94**

* आंकड़ा 31626 रुपये (पी.वाई. शून्य) में संपत्ति संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर उत्पन्न लाभ को दर्शाता है।

22. प्रयुक्त सामग्री और भंडारण - (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रारंभिक जमा	4.97	4.05
जोड़ें: वर्ष के दौरान खरीद	2.19	1.12
	7.16	5.17
कम: समापन शेष	(5.09)	(4.97)
प्रयुक्त सामग्री की कुल लागत	**2.07**	**0.20**

23. प्रचालनिक व्यय (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
संचालन की लागत	93.00	166.66
कुल	**93.00**	**166.66**

i) प्रचालनों की लागत का ब्यौरा - (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
इन पर होने वाले व्यय		
-प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी (पीएमसी) परियोजनाएं	71.65	152.08
-एमएफसी की सब-लीजिंग से लीज किराया	6.64	6.17
-ट्रैक/सुविधाओं का रखरखाव	13.56	7.36
-मैनपावर की आपूर्ति	0.81	0.99
-प्लांट और मशीनरी की लीजिंग	0.34	0.06
कुल	**93.00**	**166.66**

24. कर्मचारी लाभ व्यय (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन, मजदूरी और बोनस	11.10	10.87
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	0.94	0.93
कर्मचारी कल्याण व्यय	0.05	0.04
कुल	**12.09**	**11.84**

25. मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	2.48	1.97
अमूर्त परिसंपत्ति	2.15	2.15
संपत्ति की हानि	-	0.42
कुल	**4.63**	**4.54**

26. अन्य व्यय **(रूपए करोड में)**

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
दरें और कर	0.23	0.05
यात्रा और परिवहन	0.44	0.37
मुद्रण और लेखन सामग्री	0.06	0.07
डाक, टेलीफोन और टेलेक्स	0.03	0.03
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	1.11	0.89
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री पर नुकसान1	0.05	-
संदिग्ध ऋणों पर प्रावधान	10.02	28.10

व्यापार संवर्धन	0.00	0.02
किराया	0.99	0.91
वाहन संचालन और रखरखाव	0.78	0.63
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (विवरण के लिए बिंदु (i) देखें)	0.03	0.03
विज्ञापन और प्रचार	0.14	0.08
बिजली, बिजली और पानी के शुल्क	0.21	0.16
विविध व्यय	0.04	0.20
शुल्क और सदस्यता शुल्क	0.02	-
मरम्मत और रखरखाव	0.53	0.52
बैंक और अन्य वित्तीय शुल्क	0.01	0.02
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व[2]	0.24	0.40
कुल	**14.93**	**32.48**

[1] चालू वर्ष के लिए अचल संपत्ति की बिक्री पर घाटा 0.0 करोड़ रूपए है (पिछले वर्ष 00 रूपए)।

[2] नोट 36 देखें।

(i) सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान : **(रूपए करोड में)**

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
(I) ऑडिट शुल्क - चालू वर्ष	0.01	0.01
(ii) टैक्स ऑडिट शुल्क - चालू वर्ष	0.00	0.00
(iii) सीमित समीक्षा शुल्क	0.01	0.01
(iii) यात्रा और जेब से खर्च	0.00	0.00
कुल	**0.02**	**0.02**

सांविधिक लेखा परीक्षक को उपरोक्त भुगतान सांविधिक लेखा परीक्षा के लिए शुल्क 126000/- रुपये (पिछले वर्ष-126000/- रुपये), कर लेखा परीक्षा के लिए शुल्क 37800/- रुपये (पिछले वर्ष-37,800/- रुपये) सीमित समीक्षा के लिए शुल्क 75600/- रुपये (पिछले वर्ष 56200/- रुपये) और जेब से खर्च 22800/- रुपये (पिछले वर्ष-22800/-) को दर्शाता है।

27. अन्य व्यापक आय के घटक (ओसीआई)

इक्विटी में प्रत्येक प्रकार के रिज़र्व द्वारा ओसीआई में परिवर्तनों का पृथक्करण नीचे दिखाया गया है

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
परिभाषित लाभ योजनाओं की पुनर्माप [1]	(0.02)	(0.02)
परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्माप का कर घटक	0.01	0.01
कुल	**(0.01)**	**(0.01)**

[1] चालू वर्ष के लिए परिभाषित लाभ योजना (रु. 0.02 करोड़) (पिछले वर्ष (रु. 0.02 करोड़) और उस पर कर घटक क्रमशः रु. 0.01 करोड़ (पी.वाई. रु. 0.01 करोड़) है।

28. प्रति शेयर आय

इड एएस-33 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रकटीकरण।

वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी धारकों के लिए वर्ष हेतु लाभ को विभाजित करके मूल ईपीएस की गणना की जाती है।

विलयित ईपीएस की गणना इक्विटी धारकों हेतु वर्ष के लिए लाभ को विभाजित करके गणना की जाती है, जो वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जमा सभी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या व इक्विटी शेयरों में संभावित द्वारा प्रभावित होते हैं।

(i) प्रति शेयर मूल और विलयित आय **(रुपए में)**

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी धारकों के प्रति लाभ (रु.करोड़ में)	8.86	5.33
मूल और विलयित ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	65,000,000	65,000,000
प्रति शेयर आय (मूल)	1.36	0.82
प्रति शेयर आय (विलयित)	1.36	0.82
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रु.)	10.00	10.00

(ii) इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ (अंश के रूप में प्रयुक्त) **(रुपए करोड़ में)**

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ और हानि के विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ	8.86	5.33
ईपीएस की गणना के लिए उपयोग किए गए कंपनी के इक्विटी धारकों हेतु लाभ	**8.86**	**5.33**

(iii) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (भाजक के रूप में प्रयुक्त) (संख्या)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
जारी इक्विटी शेयरों का आरंभिक शेष	6,50,00,000.00	6,50,00,000.00
वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयर		
मूल ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की	**6,50,00,000.00**	**6,50,00,000.00**

भारित औसत संख्या		
विलयित प्रभाव:		
जमा: वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	-	-
विलयित ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की औसत संख्या	**6,50,00,000.00**	**6,50,00,000.00**

29 आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

इंड एएस 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ' के अनुसार आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

क) आकस्मिक देयताएँ

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क) कंपनी के खिलाफ दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया		
कंपनी के खिलाफ दायर दावा {नोट 29(ख) देखें}	11.11	-
ख) वित्तीय गारंटी को छोड़कर गारंटी; उत्तरदायी	-	-
i) कर्मचारियों/ठेकेदार के साथ कानूनी विवाद1	4.01	2.55
कुल	**15.12**	**2.55**

[1] न्यायालय में लंबित कर्मचारियों/ठेकेदारों से संबंधित मामलों के विरुद्ध आकस्मिक देयता राशि 4.01 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022-23 के 2.55 करोड़ रुपये) है। उक्त देयता पर दावा किए गए ब्याज की राशि का पता नहीं लगाया जा सकता है।

ख) आकस्मिक संपत्ति

ए) कंपनी ने नोट 29(ए)(ए) के तहत उल्लिखित दावे के विरुद्ध 57.38 करोड़ रुपये (पी.वाई. शून्य) के लिए प्रतिदावा दायर किया है।

30. प्रतिबद्धताएँ

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आकस्मिक देयताएँ		
पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है;	-	-
आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों और अन्य निवेशों पर अघोषित देयता; और	-	-
अन्य प्रतिबद्धताएँ	-	-
कुल	-	-

31. कर्मचारी लाभ

इंड एएस-19 "कर्मचारी लाभ" के अनुपालन संबंधी प्रकटन निम्नानुसार है: (करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ग्रेच्युटी	0.02	0.02
छुट्टी नकदीकरण	0.11	0.10
पेंशन फंड में योगदान	0.36	0.30
भविष्य निधि में योगदान	0.57	0.63

क) परिभाषित लाभ योजनाएँ

(i) ग्रेच्युटी

उपदान उन पात्र कर्मचारियों को प्रत्येक पूरे किए गए सेवा वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दस से संगठन से अलग होन (यथा अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र शारीरिक अक्षमता या मृत्यु) पर देय होती है, जिसने 5 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी की है।।

कंपनी में 5 वर्ष से अधिक सेवा देने वाले नियमित कर्मचारियों और अनुबंध कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी के संबंध में 31 मार्च 2024 तक प्रावधान एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार है।

i) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन: (रूपए करोड में)

विवरण	उपदान	
	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
अवधि की आरंभ में निर्धारित लाभ दायित्व	0.08	0.05
अधिग्रहित समायोजन	-	-
ब्याज लागत	0.01	-
सेवा लागत	0.02	0.01
आवर्धित लाभ/हानियों सहित पूर्व सेवा लागत	-	-
प्रदत्त लाभ	-	(0.01)
दायित्वों पर कुल बीमांकक (लाभ) / हानि	**0.02**	**0.02**
अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	**0.13**	**0.07**

ii) योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		
नियोक्ता अंशदान	-	-
प्रदत्त लाभ	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	-	-
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**-**	**-**

iii) तुलन पत्र तथा संबंधित विश्लेषण :

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	0.13	0.07
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन पत्र मे अवित्तपोषित देयता/प्रावधान	(0.13)	(0.07)

iv) आय विवरण में स्वीकृत राशि (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कुल सेवा लागत	0.02	0.02
निवल ब्याज लागत	0.00	-
आय विवरण में स्वीकृत राशि	**0.02**	**0.02**

v) अन्य वृहत आय: (रूपए करोड में)

विवरण	उपदान	
	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
निवल संचित अस्वीकृत बीमांकक लाभ/(हानि) आरंभिक	-	-
पीबीओ पर वर्ष हेतु बीमांकक लाभ/(हानि)	(0.02)	(0.02)
परिसंपत्ति पर वर्ष हेतु बीमांकक लाभ/(हानि)	-	-
वर्ष हेतु अस्वीकृत बीमांकक लाभ/(हानि)	(0.02)	(0.02)

vi) योजना परिसंपत्त्यों की प्रमुख श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत में) : नीचे तालिका में दिए गए आंकड़े कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं : (रूपए करोड में)

विवरण	उपदान	
	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	-	-
राज्य सरकारकी प्रतिभूतियां	-	-
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड	-	-
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	-	-
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित फंड	-	-
बैंक राशि	-	-
कुल	-	-

vii) (क) आर्थिक अनुमान :

मुख्य धारणाएं, छूट दर और वेतन वृद्धि दर हैं। छूट दर आम तौर पर देनदारियों से मेल खाने वाली अवधि के लिए लाभ भुगतान की मुद्रा से संबंधित लेखांकन तिथि पर सरकारी बांड पर उपलब्ध बाजार उपज पर आधारित होती है। वेतन वृद्धि दर वेतन वृद्धि के संबंध में कंपनी का दीर्घकालिक अनुमान है और इसमें मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति, व्यवसाय योजना, मानव

संसाधन नीति और दीर्घकालिक आधार पर अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है जैसा कि प्रासंगिक लेखांकन मानक में प्रदान किया गया है।

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
रियायती दर	7.22%	7.36%
भविष्य की वेतन वृद्धि	नियमित- 8.00 %	नियमित- 8.00 %
	संविदागत- 8.00 %	संविदागत- 8.00 %

vii) (ख) जनसांख्यिकीय अनुमान :

व्यवसाय और उद्योग की प्रकृति, प्रतिधारण नीति, रोजगार बाजार में मांग और आपूर्ति, कंपनी की स्थिति, व्यवसाय योजना, मानव संसाधन नीति आदि जैसे कारकों पर विचार करके भविष्य में कर्मचारी व्यवसाय का कंपनी का सर्वोत्तम अनुमान निर्धारित किया जाता है, जैसा कि प्रासंगिक लेखांकन मानक में प्रदान किया गया है।

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
(i) सेवानिवृत्ति आय (वर्ष)	60	60
(ii) निशक्तता हेतु प्रावधान सहित मृत्यु दर **	आईएएलएम का 100% (2012 - 14)	आईएएलएम का 100% (2012 - 14)
(iii) आयु संघर्षण	आहरण दर (%)	आहरण दर (%)
30 वर्ष तक	3%	3%
31 से 44 वर्ष तक	2%	2%
44 वर्ष से अधिक	1%	1%

यह नोट किया जाए कि सेवानिवृत्ति से ऊपर की आयु वाले कर्मचारियों के मामले में, मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु, यह माना गया है कि वे तत्काल सेवानिवृत्त हो जाएंगे और लाभ का आकलन वास्तविक सेवानिवृत्ति आयु तक किया जाएगा।

viii) निर्धारित लाभ दायित्वों का संवेदी विश्लेषण: **(रूपए करोड में)**

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
डीबीओ पर ग्रेच्युटी योजना का प्रभाव		
(क) रियायत दर में परिवर्तन का प्रभाव		
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	0.12	0.08
0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(0.01)	(0.01)
0.50% की कमी के कारण प्रभाव	0.01	0.01
(ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	0.12	0.08
0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	0.01	-
0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(0.01)	-

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलताएँ महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है। भुगतान में पेंशन की वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा के रूप में संवेदनशीलताएँ लागू नहीं होती हैं।

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण एक ऐसी विधि के आधार पर निर्धारित किए गए हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ऊपर दिखाए गए प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव का अनुमान लगाता है।

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलताएँ महत्वहीन हैं और इसलिए उन्हें अनदेखा किया जाता है।

मुद्रास्फीति की दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा के रूप में संवेदनशीलताएँ सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त लाभ होने के कारण लागू नहीं होती हैं।

ix) अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए संभावित अंशदान : (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
सेवा लागत	0.02	0.03
निवल ब्याज लागत	0.01	0.00
अगले वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए संभावित व्यय	**0.03**	**0.04**

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए परिभाषित लाभ योजना में अपेक्षित योगदान 2.75 लाख रुपये है (पिछले वर्ष 1.88 लाख रुपये)

x) निर्धारित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफाइल : (रूपए करोड में)

वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
0 से 1 वर्ष	0.00	0.00
1 से 2 वर्ष	0.00	0.00
2 से 3 वर्ष	0.00	0.00
3 से 4 वर्ष	0.00	0.00
4 से 5 वर्ष	0.00	0.00
5 से 6 वर्ष	0.00	0.00
6 वर्ष से आगे	0.11	0.07

जोखिम संभावनाओं का विवरण

मूल्यांकन, कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जो प्रकृति में गतिशील होते हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। इस प्रकार, कंपनी को निम्नानुसार विभिन्न जोखिमों का खतरा रहता है

वेतन वृद्धि

वास्तविक वेतन वृद्धि से योजना की देनदारी बढ़ेगी। भविष्य के मूल्यांकन में वेतन वृद्धि दर धारणा में वृद्धि से दायित्व भी बढ़ेगा।

निवेश जोखिम

यदि योजना को वित्तपोषित किया जाता है, तो संपत्ति देनदारियां मेल नहीं खाती हैं और अंतिम मूल्यांकन तिथि पर अनुमानित छूट दर से कम संपत्ति पर वास्तविक निवेश रिटर्न देयता को प्रभावित कर सकता है।

रियायत दर

आगामी मूल्यांकनों में रियायत दर में कमी से योजना से देनदारी बढ़ सकती है।

मृत्यु दर और निशक्तता

वास्तविक मृत्यु और निशक्तता के मामले, जो मूल्यांकन में अनुमान से कम या अधिक सिद्ध होते हैं, देनदारियों को प्रभावित कर सकते हैं।

आहरण

अनुमानित से अधिक या कम सिद्ध होने वाली वास्तविक निकासी और आगामी मूल्यांकनों पर निकासी दरों में परिवर्तन, योजना की देयता को प्रभावित कर सकता है।

(ii) अर्जित अवकाश

मापन उद्देश्यों के लिए कंपनी बारह महीनों से आगे ले जाए जाने वाले अवकाश नकदीकरण और अवकाश यात्रा रियायत को दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में मानती है। इन दीर्घकालिक लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त दायित्व को अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दायित्व के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
आर्थिक अनुमान		
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.22%	7.22%

वेतन वृद्धि दर (प्रति वर्ष)	नियमित-8%	नियमित-8%
	अनुबंध-8%	अनुबंध-7%
जनसांख्यिकीय अनुमान		
सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष
मृत्यु दर (आईएएलएम 2012-14 का %)	आईएएलएम का 100%	आईएएलएम का 100%
आयु में कमी		
30 वर्ष तक	3.00%	3.00%
31 से 44 वर्ष तक	2.00%	2.00%
44 वर्ष से अधिक	1.00%	1.00%
छुट्टी प्राप्ति दर सेवा के दौरान अवकाश समाप्ति दर	2.50% शून्य	2.50% शून्य
सेवा में रहते हुए छुट्टी समाप्ति दर	शून्य	शून्य
सेवानिवृत्त होने पर छुट्टी समाप्ति दर	5.00%	5.00%

ख) परिभाषित अंशदान योजनाएँ

(i) पेंशन

कंपनी के पास एक परिभाषित अंशदान कर्मचारी पेंशन योजना है, जिसमें कंपनी एनपीएस के माध्यम से अंशदान जमा करती है और अंशदान देय होने पर वर्ष के लाभ और हानि विवरण में इसे शामिल किया जाता है।

(ii) भविष्य निधि में अंशदान

कंपनी कवर किए गए कर्मचारियों के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर भविष्य निधि में मासिक अंशदान करती है। भविष्य निधि योजना के तहत एकत्रित राशि सरकार द्वारा प्रशासित भविष्य निधि में जमा की जाती है। शेष भाग सरकार द्वारा प्रशासित पेंशन निधि में योगदान दिया जाता है। कंपनी के कर्मचारियों को सरकार द्वारा प्रशासित भविष्य निधि से लाभ मिलता है, जो एक परिभाषित अंशदान योजना है। कंपनी का अपने मासिक अंशदान से परे योजना के लिए कोई और दायित्व नहीं है। ऐसे अंशदानों को परिभाषित अंशदान योजनाओं के रूप में माना जाता

है और जब वे लाभ और हानि विवरण में देय होते हैं तो उन्हें कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

32 पट्टे

क) पट्टेदार के रूप में कंपनी

पट्टेदार के रूप में कंपनी ने विभिन्न पट्टा अनुबंधों में प्रवेश किया है, जिसमें कार्यालय स्थान, गेस्ट हाउस और वाहनों का पट्टा शामिल है। भारतीय लेखा मानक 116 को अपनाने से पहले, कंपनी ने आरंभ तिथि पर अपने प्रत्येक पट्टे (पट्टेदार के रूप में) को या तो वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया था।

कंपनी के पास 12 महीने या उससे कम अवधि के पट्टे वाले कार्यालयों और गेस्ट हाउस के कुछ पट्टे भी हैं। कंपनी इन पट्टों के लिए 'अल्पकालिक पट्टे' मान्यता छूट लागू करती है।

उपयोग का अधिकार संपत्ति और पट्टा देयता

कंपनी सभी उपलब्ध पट्टा समझौतों पर "अल्पकालिक पट्टे" मान्यता छूट लागू करती है। परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरणों में उपयोग का अधिकार और पट्टा देयता को मान्यता नहीं दी गई है

अल्पकालिक पट्टे (नोट 26 देखें) से संबंधित व्यय वित्त वर्ष 0.99 करोड़ रुपये (0.91 करोड़ रुपये) है।

ख) पट्टादाता के रूप में कंपनी

बहु-कार्यात्मक परिसरों के लिए परिचालन पट्टे:

i) कंपनी ने विभिन्न उप-पट्टेदारों को 23 एमएफसी को उप-पट्टे पर दिया है, जिनमें से 7 एमएफसी अर्थात् तिरुवल्ला, राजगीर, मैसूर, कन्नूर, हैदराबाद, बिलासपुर, इंदौर, मदुरै और जोधपुर के उप-पट्टा समझौते 31.03.2024 को समाप्त हो गए हैं। इन 7 समाप्त एमएफसी में से, दो एमएफसी अर्थात् तिरुवल्ला और राजगीर की पट्टे पर दी गई संपत्तियां वर्ष 2019-20 में आरएलडीए को वापस कर दी गईं।

31.03.2024 तक समाप्त एमएफसी से प्राप्तियों के खिलाफ प्रावधान के रूप में 24.77 करोड़ रुपये (31.03.2023 रुपये 24.13 करोड़) की राशि को मान्यता दी गई है।

31.03.2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए खाता बहियों में ईसीएल पद्धति के सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुसार 2.54 करोड़ (31.03.2023 तक 3.96 करोड़ रुपये)

ii) गैर-रद्द करने योग्य पट्टे के तहत देय/प्राप्त करने योग्य भविष्य का न्यूनतम पट्टा किराया इस प्रकार है

(करोड़ रुपए में)

लीज़ किराया	1 वर्ष से अधिक नहीं	1 वर्ष से 5 वर्ष बाद तक	5 वर्ष से अधिक बाद में
प्राप्ति योग्य			
चालू वर्ष	16.89	75.13	459.48
पिछला वर्ष	14.16	77.98	389.22
देय			
चालू वर्ष	-	-	-
पिछला वर्ष	-	-	-

ख. वर्ष के लिए पट्टे पर दी गई एमएफसी के संबंध में मूल्यह्रास/परिशोधन का प्रकटीकरण:

(करोड़ रुपए में)

परिसंपत्तियों का विवरण	2023-24	2022-23
परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि	96.77	96.77
संचित मूल्यह्रास/परिशोधन	20.25	18.10
वर्ष के लिए मूल्यह्रास/परिशोधन	2.15	2.15

उपरोक्त एमएफसी के लिए, कंपनी ने उप-पट्टेदार से एकमुश्त अग्रिम भुगतान और मासिक किराया प्राप्त किया है। वित्तीय वर्ष के लिए पट्टे के तहत कुल राजस्व 16.44 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 27.87 करोड़ रुपये) है।

उप-पट्टेदार से प्राप्त/प्राप्त एकमुश्त अग्रिम भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर लाभ और हानि के विवरण में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

33 राजस्व

क. राजस्व का विभाजन

नीचे ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का परिचालन खंड और उत्पाद या सेवाओं के प्रकार में विभाजन दिया गया है:

उत्पाद या सेवा का प्रकार भवन	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए						
	भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार राजस्व			प्रदर्शन दायित्व मापने की विधि		अन्य राजस्व	लाभ-हानि विवरण / खंड रिपोर्टिंग के अनुसार कुल
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
भवन	79.21	-	79.21	79.21	-	-	79.21
सड़क	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	34.77	5.65	40.42	40.42	-	16.44	56.86
कुल	**113.98**	**5.65**	**119.63**	**119.63**	**-**	**16.44**	**136.07**

वर्ष के दौरान भारतीय लेखा मानक 115 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त कुल राजस्व में से 119.63 करोड़ रुपए समयावधि में मान्यता प्राप्त है तथा समय-सीमा में मान्यता प्राप्त राजस्व शून्य है। (नोट 20 देखें)

उत्पाद या सेवा का प्रकार भवन	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए						
	भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार राजस्व			प्रदर्शन दायित्व मापने की विधि		अन्य राजस्व	लाभ-हानि विवरण / खंड रिपोर्टिंग के अनुसार कुल
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
भवन	165.23		165.23	165.23		-	165.23
सड़क	-	-	-	-		-	-
अन्य	23.27	2.54	25.81	25.81		27.87	53.68
कुल	**188.50**	**2.54**	**191.04**	**191.04**	**-**	**27.87**	**218.91**

वर्ष के दौरान भारतीय लेखा मानक 115 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त कुल राजस्व में से 191.04 करोड़ रुपए समयावधि में मान्यता प्राप्त है तथा शून्य राजस्व समय-सीमा में मान्यता प्राप्त है। (नोट 20 देखें)

नीचे भौगोलिक आधार पर ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का विभाजन दिया गया है

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
घरेलू	130.42	216.37
निर्यात	5.65	2.54
कुल	**136.07**	**218.91**

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से सकल राजस्व का मिलान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
सकल राजस्व	136.07	218.91
घटाएँ:-छूट	-	-
घटाएँ:-मूल्य रियायत	-	-
जोड़ें:-प्रोत्साहन और बोनस	-	-
ग्राहकों के साथ अनुबंधों से मान्यता प्राप्त शुद्ध राजस्व	**136.07**	**218.91**

(ख) संविदा शेषः

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
व्यापार प्राप्य (नोट 8.1)	67.92	78.61
संविदा परिसंपत्तियां (नोट 8.5)	16.35	22.22

संविदा देयताएं (नोट 17)	74.71	86.95

(i) व्यापार प्राप्य पर ब्याज निर्धारित नहीं किया जाता है और ग्राहकों के प्रोफाइल में शामिल हैं रेल मंत्रालपय, सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम, भारत तथा विदेश में राज्य स्वामित्व वाली कंपनियां। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 15 से 24 महीने है। सामान्य भुगतान शर्तों में शामिल हैं मोबिलाइजेशन अग्रिम, 45 से 60 दिन की ऋण अवधि के लिए मासिक प्रगति भुगतान।

(ii) संविदा परिसंपत्तियों को उस अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है, ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं के लिए विनिमय में कंपनी के अधिकार के प्रतिनिधित्व के लिए सेवाओं का निष्पादन किया गया है। इसमें निर्माण संविदाओं के अंतर्गत ग्राहकों से देय शेष राशियां शामि हैं, जो उस समय उत्पन्न होती हैं जब कंपनी संविदाओं की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करती है, तथापि, राजस्व को इनपुट विधि के अंतर्गत उस अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है। पूर्व में संविदा परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार की गई किसी राशि को संलग्न शर्तों को पूरा किए जाने पर व्यापार प्राप्यों के रूप में पुनःवर्गीकृत किया जाता है यथा बिलिंग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक भावी सेवा।

वर्ष के दौरान संविदागत शेषों में संचलन

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्ष के आरंभ में संविदा परिसंपत्तियां	22.22	2.79
वर्ष के अंत में संविदा परिसंपत्तियां	16.35	22.22
निवल वद्धि/कमी	**(5.87)**	**19.43**

वर्ष 2023–24 के लिए, संविदागत परिसंपत्तियों में (6.12 करोड रूपए) (वित्तीय वर्ष 2022–23 को 19.43 करोड रूपए) का संचलन हुआ है।

(iii) निर्माण संविदाओं से संबंधित संविदा दायित्व ग्राहकों से देय शेष राशियां है, और ये उस समय उत्पन्न होती हैं जब इनपुट विधि के अंतर्गत विशिष्ट माइलस्टोन भुगतान निर्धारित तिथि को स्वीकृत राजस्व से अधिक हो जाता है और दीर्घकालीन संविदा परियोजनाओं में अग्रिम प्राप्त होता है। अग्रिम रूप में प्राप्त राशि, ग्राहकों द्वारा इनवाइस तैयार किए जाने पर निर्माण अवधि में समायोजित कर दी जाती है।

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्ष के आरंभ में संविदा देयताएं	86.95	103.47
वर्ष के अंत में संविदा देयताएं	74.71	86.95
निवल वद्धि/कमी	**(12.24)**	**(16.52)**

वर्ष 2023-24 और 2022-23 के लिए पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः (12.24) करोड़ रुपये और (16.52) करोड़ रुपये की शुद्ध कमी हुई है और यह मुख्य रूप से वर्ष के दौरान निष्पादित कार्यों के लिए ग्राहक से प्राप्त अग्रिम भुगतान के समायोजन के कारण है।

(ग) स्वीकृत राजस्व की राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्ष के आरंभ में संविदागत दायित्वों में शामिल राशि	86.95	103.47
पिछले वर्षों में संतुष्ट निष्पादन दायित्व	24.21	31.14

घ) निष्पादन दायित्व

कंपनी के कार्यनिष्पादन दायित्वों के बारे में जानकारी नीचे दी गई है:

31 मार्च को शेष प्रनिष्पादन दायित्व (असंतुष्ट या आंशिक रूप से असंतुष्ट) को आवंटित लेनदेन मूल्य निम्नानुसार हैं:

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
एक वर्ष या कम में	140.00	155.00
एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष तक	122.14	315.00
दो वर्ष से अधिक	-	-
कुल	**262.14**	**470.00**

34 व्यापार देयताएं आयु निर्धारण अनुसूची

विवरण	बिना बिल	अदेय	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	-	-	2.32	-	-	-	**2.32**
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	14.92	-	14.34		5.13	-	**34.39**
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की विवादित बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	**-**
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की विवादित बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	**-**
कुल	14.92	-	16.66	-	5.13	-	**36.71**

व्यापार देयताएं आयु निर्धारण अनुसूची

विवरण	बिना बिल	अदेय	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	-	-	2.86	-	-	-	**2.86**
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	24.57	-	10.95	5.12	0.03	-	**40.67**
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की विवादित बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	**-**
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की विवादित बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	**-**
कुल	**24.57**	**-**	**13.81**	**5.12**	**0.03**	**-**	**43.53**

35 व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची

विवरण	बिना बिल	अदेय	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया					कुल
			6 माह से कम	6 माह -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधि	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	-	-	50.81	6.21	7.50	1.40	-	**65.93**

(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	0.03	-	0.13	0.03	2.35	**2.54**
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब	-	-	-	-	-	-	-	**-**
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य को अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	1.99	**1.99**
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	-	**-**
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब	-	-	-	0.25	4.11	5.75	25.46	**35.58**
कुल	**-**		**50.84**	**6.46**	**11.74**	**7.18**	**29.80**	**106.04**

व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची

विवरण	बिना बिल	अदेय	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया					कुल
			6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	-	-	42.08	9.87	11.22	6.03	7.42	**76.62**
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	0.27	0.31	0.85	0.83	1.70	**3.96**

(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब	-	-	-	-	-	-	-	**-**
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य को अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	1.99	**1.99**
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	-	**-**
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब	-	-	3.47	2.91	6.12	3.84	7.79	**24.13**
कुल	**-**	**-**	**45.82**	**13.09**	**18.19**	**10.70**	**18.90**	**106.70**

36 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, अपनी सीएसआर नीति के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना आवश्यक है। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का विवरण इस प्रकार है:

क) सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि

(करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली कुल राशि	0.24	0.28
ख) वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि	0.24	0.28

ख) सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	
	नकद में भुगतान	भुगतान किया जाना है	नकद में भुगतान	भुगतान किया जाना है
क) किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-	-
ख) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	0.24	-	0.28	-
कुल	**0.24**	**-**	**0.28**	**-**

ग) प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत सीएसआर व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रधानमंत्री केयर्स फंड में योगदान	0.24	0.28
भूख, गरीबी और कुपोषण को मिटाना, निवारक स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	-	-
शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें विशेष शिक्षा और रोजगार शामिल है, विशेष रूप से बच्चों में व्यावसायिक कौशल को बढ़ाना	-	-
पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना	-	-
महिलाओं और अनाथों के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना, वृद्धाश्रम, डे-केयर सेंटर और ऐसी अन्य सुविधाएँ स्थापित करना।	-	-
खेल	-	-
अन्य (अन्य प्रशासनिक लागत सहित)	-	-
कुल	**0.24**	**0.28**

घ) अव्ययित दायित्वों से संबंधित विवरण:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
निम्नलिखित के संबंध में अव्ययित राशि:		
- चालू परियोजना (#)	-	-
- चालू परियोजना के अलावा अन्य (##)	-	-
कुल	-	-

चालू परियोजना:

आरंभिक शेष	पृथक सीएसआर अप्रयुक्त खाते में	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		समापन शेष	
			कंपनी के बैंक खाते से	पृथक सीएसआर अप्रयुक्त खाते से	कंपना का	पृथक सीएसआर अप्रयुक्त खाते में
कंपनी के साथ						
वर्तमान वर्ष	-	0.24	0.24	-	-	-
पिछला वर्ष	-	0.28	0.28	-	-	-

चालू परियोजना के अलावा:

आरंभिक शेष	अनुसूची VII के निर्दिष्ट कोष में 6 माह के भीतर जमा की गई राशि	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यय*	समापन शेष
-	-	-	-	-

ड. व्यय/अव्ययित दायित्वों से संबंधित विवरण:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रारंभिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि (उपर्युक्त (क) के अनुसार)	0.24	0.28
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि (उपर्युक्त (ख) के अनुसार)*	0.24	0.28
कंपनी द्वारा खर्च की गई कमी/(अधिक) राशि	-	-

* सीएसआर व्यय के संबंध में कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं है।

च. अन्य प्रकटीकरण:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
संबंधित पक्ष लेन-देन का विवरण, उदाहरण के लिए, प्रासंगिक लेखांकन मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान (1)	लागू नहीं	लागू नहीं
जहां किसी संविदात्मक दायित्व में प्रवेश करके उत्पन्न देयता के संबंध में प्रावधान किया जाता है, प्रावधान में होने वाल संव्यवहार	लागू नहीं	लागू नहीं

37 : संबंधित पक्ष संव्यवहार

इंड एएस-24 "संबंधित पक्ष का प्रकटन" के अनुपालन में प्रकटन निम्नानुसार हैं:

क) संबंधित पक्षों की सूची

कंपनी की संपूर्ण इक्विटी शेयर पूंजी घारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के अधिकारक्षेत्र में है।

ख) संबंधित पक्षों के संबंध और नाम हैं:

विवरण		संबंधित पक्ष का नाम
i. धारक कंपनी		इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
ii. प्रमुख प्रबंधन कर्मी:	निदेशक:	श्री पराग वर्मा (अध्यक्ष) (01.04.2023 से 31.03.2024) श्री अभिजीत कुमार सिन्हा (01.04.2023 से 31.03.2024) श्री सुरिंदर कुमार सिंह (01.04.2023 से 31.03.2024) श्री राजीव कुमार सिन्हा (01.04.2023 से 31.03.2024)
	अन्य	श्री अजय पाल सिंह (सीईओ) (01.04.2023 से 31.03.2024 तक) श्रीमती प्रीति शुक्ला (सीएफओ) (01.04.2023 से 31.12.2023 तक) और श्रीमती पूजा चौरसिया (सीएफओ) (01.01.2024 से 31.03.2024 तक) सुश्री मनीषा गुप्ता, (कंपनी सचिव) (03.04.2023 से 31.03.2024 तक)

ग) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को पारिश्रमिक निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
अल्पकालिक लाभ	0.71	0.57
नियोजन पश्चात लाभ	0.07	0.06
अन्य दीर्घकालिक लाभ	0.16	0.15
कुल	**0.94**	**0.78**

कंपनी के निदेशकों को धारक कंपनी द्वारा नियुक्त / नामित किया जाता है और कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। इसलिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव का पारिश्रमिक ऊपर दिखाया गया है।

घ) संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	लेन-देन		बकाया राशि	
	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को पारिश्रमिक (ऊपर ख)	**नोट सं.37 (ग) के अनुसार**		-	-
होल्डिंग कंपनी से सेवाओं और माल की खरीद के लिए देय राशि	-0.84	-0.90	-0.01	-0.07
होल्डिंग कंपनी से राजस्व आय	9.39	6.85	3.15	3.74
होल्डिंग कंपनी को संपत्ति की बिक्री	0.00	0.01	0.01	0.01
होल्डिंग कंपनी को व्यय की प्रतिपूर्ति यानी वेतन और मजदूरी, पीएफ अंशदान, यात्रा आदि के रूप	-3.96	-5.23	-6.83	-3.87

में कर्मचारियों को पारिश्रमिक				
होल्डिंग कंपनी से व्यय की प्रतिपूर्ति	2.48	0	2.48	0

38 : संपत्तियों की हानि

वर्ष के दौरान, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक नियम, 2015 और कंपनियों के नियम III और कंपनी संशोधन नियम 2016 के साथ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित IndAS 36 "संपत्तियों की हानि" के संदर्भ में शुद्ध वसूली योग्य मूल्य और वहन लागत के आधार पर कम वसूली योग्य राशि की गणना करके व्यक्तिगत परिसंपत्तियों की हानि पर आकलन किया है। तदनुसार, वर्ष 31 मार्च 2023 के लिए शून्य रुपये (पिछले वर्ष 0.42 करोड़ रुपये) की हानि हानि का प्रावधान किया गया है।

इंड एएस 105 के अनुसार प्रकटन

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	
	सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक	सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक
बिक्री हेतु रखी गई संपत्ति	-	-	1.12	0.70

बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति शून्य रुपये (वित्त वर्ष 2022-23 में तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर 0.40 करोड़ रुपये) से क्षतिग्रस्त हुई है

39 क. उचित मूल्य माप

(i) वित्तीय साधनों का श्रेणीवार वर्गीकरण

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में उचित मूल्य पर वित्तीय साधनों को मापती है।

सभी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ जिनके लिए उचित मूल्य मापा जाता है या वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर 3 (मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित

मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट अप्राप्य है) के भीतर वर्गीकृत किया जाता है।

किसी परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य उन मान्यताओं का उपयोग करके मापा जाता है जो बाजार प्रतिभागी परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय उपयोग करेंगे, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं।

क) दिनांक 31 मार्च, 2024 तक वित्तीय साधनों के वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
(i) व्यापार प्राप्य	67.92	67.92
(ii) ऋण	0.08	0.08
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	22.89	22.89
कुल	**90.89**	**90.89**

(करोड़ रुपए में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ		
(i) व्यापार देय	36.71	36.71
(ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	44.52	44.52
कुल	**81.23**	**81.23**

ख) 31 मार्च, 2023 तक श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधनों के वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार हैं: (करोड़ रुपए)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
(i) व्यापार प्राप्य	78.61	78.61
(ii) ऋण	0.03	0.03
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	32.26	32.26
कुल	**110.90**	**110.90**

(करोड़ रुपए)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ		
(i) अन्य वित्तीय देयताएँ	71.95	71.95
कुल	**71.95**	**71.95**

प्रबंधन ने मूल्यांकन किया कि नकदी और नकदी समकक्ष, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और अन्य चालू वित्तीय देनदारियाँ इन उपकरणों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण उनकी वहन राशि के लगभग बराबर हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य उस राशि पर शामिल किया जाता है जिस पर इच्छुक पक्षों के बीच वर्तमान लेनदेन में उपकरण का आदान-प्रदान किया जा सकता है। उचित मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया:

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियां, ऋण और अन्य वित्तीय देनदारियां हैं। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में एनएचएआई से रोकड़ और रोकड़ समतुल्य और वसूली योग्य राशियां शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं। कंपनी की गतिविधियाँ विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों को प्रस्तुत करती हैं: जैसे बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। बाजार जोखिम में विदेशी मुद्रा जोखिम ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में कर्ज, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और अन्य गैर-डेरिवेटिव वित्तीय साधन शामिल हैं।

i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचालन कर रही है और अमेरिकी डॉलर के संबंध में विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाली विदेशी मुद्रा जोखिम (क्योंकि विदेशी मुद्रा में प्राप्तियों और भुगतान आमतौर पर मेल खाते हैं) की संभावना है। कंपनी की महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा जोखिम स्वाभाविक रूप से सुरक्षित है।

ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार के ब्याज दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। कंपनी अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन कंपनियों की नीतियों और जोखिम उद्देश्य के अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में बैंकों के पास जमा राशि शामिल है। इन वित्तीय साधनों पर ब्याज दर का जोखिम बहुत कम है, क्योंकि वित्तीय साधनों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित है।

ख) ऋण जोखिम

कंपनी का ग्राहक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत एनएचएआई है। तदनुसार, कंपनी का ग्राहक ऋण जोखिम कम है। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 15 से 24 महीने है। सामान्य भुगतान शर्तों में मोबिलाइजेशन अग्रिम, 45 से 60 दिनों की क्रेडिट अवधि के साथ मासिक प्रगति भुगतान और परियोजना के अंत में जारी किए जाने वाले कुछ अवधारण पैसे शामिल हैं। कुछ मामलों में बैंक/निगमित गारंटी के साथ प्रतिधारण प्रतिस्थापित किया जाता है।

कंपनी के पास संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर अतिदेय ग्राहक प्राप्तियों की एक विस्तृत समीक्षा तंत्र है जो वसूली हेतु उचित ध्यान केंद्रित करता है।

व्यापार और अन्य प्राप्य

ऋण जोखिम के प्रति कंपनी का खतरा मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। ग्राहक की जनसांख्यिकी, जिसमें उद्योग और उस देश का डिफ़ॉल्ट जोखिम शामिल है, जिसमें ग्राहक प्रचालन करता है, का भी ऋण जोखिम मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है।

ऋण जोखिम का खतरा

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31-03-024 को समाप्त वर्ष हेतु
वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए जीवनकाल संभावित ऋण घाटा (एलईसीएल) के प्रयोग द्वारा राशि का मापन किया जाता है		-
गैर चालू ऋण	0.02	0.01
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	0.06	3.29
चालू निवेश		-
रोकड और रोकड समतुल्य	25.61	31.10
अन्य बैंक शेष	118.27	105.30
चालू ऋण	0.02	0.02
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	12.51	15.13
वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए सरलीकृत परिदृश्य के प्रयोग द्वारा राशि का मापन		
व्यापार प्राप्त	67.92	78.61
संविदगत परिसंपत्तियां	10.32	13.84

सरलीकृत परिदृश्य के प्रयोग द्वारा घाटा प्रावधानों के मापन में परिवर्तन का सार

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31-03-023 को समाप्त वर्ष हेतु
आरंभिक प्रावधान	**28.09**	**-**
वर्ष के लिए प्रावधान	11.45	28.09
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
बट्टा खाता राशि	(1.42)	-
समापन प्रावधान	**38.11**	**28.09**

वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा स्वीकृत घाटा प्रावधान 2.11 करोड रूपए (31 मार्च, 2023 : 3.96 करोड़ रूपए)।

जीवनकाल संभावित ऋण घाटा (एलईसीएल) के प्रयोग द्वारा मापित घाटा प्रावधान में परिवर्तन का सार

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31-03-2023 को समाप्त वर्ष हेतु
आरंभिक प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
बट्टा राशि	-	-
(विनिमय लाभ)/घाटा	-	-
समापन प्रावधान	-	-

रिपोर्टिंग अवधि को दौरान अनुमान तकनीकों या मान्यताओं में अनुमानों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया था।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने शून्य रूपए (31 मार्च 2023 : शून्य लाख रूपए) के घाटा प्रावधानों को स्वीकार किया है।

ग) तरलता जोखिम

"कंपनी पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखकर और पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों के माध्यम से वित्तपोषण तक पहुंच प्राप्त करके तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है। राजकोष विभाग, नियमित रूप से अनुमानों की तुलना में नकदी और नकदी समकक्षों की स्थिति की निगरानी करता है। परिपक्वता का आकलन और तरलता की स्थिति की समीक्षा करते समय, वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के प्रोफाइल और तुलनपत्र तरलता अनुपात के रखरखाव पर विचार किया जाता है।

कंपनी की निवेश नीति और रणनीति पूंजी के संरक्षण और कंपनी की तरलता आवश्यकताओं का समर्थन करने पर केंद्रित है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन, इसकी निवेश नीति की देखरेख करता है और इसके निवेश उद्देश्यों को प्राप्त करता है। कंपनी आमतौर पर सावधिक जमा योजनाओं में निवेश करती है। नीति में निवेश को आम तौर पर निवेश ग्रेड की आवश्यकता होती है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य मूल हानि के संभावित जोखिम को कम करना है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 तक महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों के बारे में विवरण प्रदान करती है

(रुपये में करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक			
	1 वर्ष से कम	1-2 साल	2 साल और उससे अधिक	कुल
व्यापार देनदारियां	21.80	-		21.80
अन्य वित्तीय देनदारियां	12.90	11.58	20.03	44.52
	34.70	**11.58**	**20.03**	**66.32**

(रुपये में करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक			
	एक वर्ष से कम	1-2 साल	2 साल और उससे अधिक	कुल
व्यापार देनदारियां	18.96			18.96
अन्य वित्तीय देनदारियां	44.03	27.92	0	71.95
	62.99	**27.92**	**-**	**90.91**

घ) अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण

संकेन्द्रण की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कई प्रतिपक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों, या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में गतिविधियों में लगे होते हैं, या उनमें आर्थिक विशेषताएं होती हैं जो आर्थिक, राजनीतिक या अन्य स्थितियों में परिवर्तन से समान रूप से प्रभावित होने वाली संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता का कारण बनती हैं। संकेन्द्रण, किसी विशेष उद्योग को प्रभावित करने वाले विकास के लिए कंपनी के कार्यनिष्पादन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है। जोखिम के अत्यधिक संकेन्द्रण से बचने के लिए, कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविध पोर्टफोलियो के अनुरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल हैं। क्रेडिट जोखिमों में चिह्नित संकेन्द्रणों को तदनुसार, नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।

निम्नलिखित तालिका शीर्ष पांच परियोजनाओं से सृजित राजस्वों के संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत करती है:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	**31-03-2024 को समाप्त वर्ष हेतु**
शीर्ष 5 परियोजनाओं से राजस्व	
हरयाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एचवीएसयू)	27.80
छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)	25.85
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ)	21.96
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई)	16.44
एमएफसी का उप-पट्टा	13.24

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
शीर्ष 5 परियोजनाओं से राजस्व	
हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एचवीएसयू)	63.54
एमएफसी का उप-पट्टाकरण	27.87
छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)	18.96
राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम (एनटीपीसी)	18.44
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीएजे)	13.05

ग) पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी का प्रबंधन इस तरह से करना है कि यह सुनिश्चित हो सके और कंपनी की क्षमता बनी रहे ताकि कंपनी शेयरधारकों को अधिकतम लाभ और अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान करती रहे। कंपनी ने निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 0.38/शेयर की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है:

लाभांश:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31-03-2024	31-03-2023
प्रदत्त लाभांश	2.50	-
कुल	2.50	-

कंपनी वर्तमान में मौजूद परियोजनाओं और अपनी निधि संबंधी आवश्यकता के आधार पर पूंजी की आवश्यकता निर्धारित करती है। फंडिंग की ज़रूरतें इक्विटी, ऑपरेटिंग कैश फ्लो और होल्डिंग कंपनी से मिलने वाले समर्थन के ज़रिए पूरी की जाती हैं। कंपनी किसी भी बाहरी रूप से लगाई गई पूंजी आवश्यकताओं के अधीन नहीं है।

40. खंड रिपोर्टिंग

इंड एएस 108 प्रचालनिक सेगमेंट के अनुसार प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

प्रचालनिक सेगमेंट को एक उद्यम के घटकों के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके लिए अलग–अलग वित्तीय जानकारी उपलब्ध हैं, जिसका नियमित रूप से मूल्यांकन किया जा रहा है। मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप खंडों की रिपोर्ट की जाती है। कंपनी ने भौगोलिक परिप्रेक्ष्य से रिपोर्ट करने योग्य परिचालन खंड का निर्धारण किया है।

परियोजना के भौगोलिक स्थल के आधार पर दो प्रचालनिक सेगमेंट हैं घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय

(रुपए करोड में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
सेकमेंट राजस्व						
बाहरी ग्राहकों से राजस्व	5.65	2.54	130.42	216.37	136.07	218.91
जमा: एकीकृत संयुक्त प्रचालनों टर्नओवन में कंपनी का भाग	-	-	-	-	-	-
कुल प्रचालन राजस्व	**5.65**	**2.54**	**130.42**	**216.37**	**136.07**	**218.91**
ब्याज आय	-	-	4.74	3.78	4.74	3.78
अन्य आय	0.03	0.02	0.10	0.14	0.13	0.16
अंत:सेगमेंट	-	-	-	-	-	-
कुल राजस्व	**5.68**	**2.56**	**135.26**	**220.29**	**140.94**	**222.85**
सेगमेंट परिणाम						
प्रावधान पूर्व लाभ, मूल्यह्रास, ब्याज और कर	4.53	1.57	24.34	38.20	28.87	39.77
घटा :प्रावधान और पश्चलिखित	-	-	10.02	28.10	10.02	28.10
घटा: मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	1.07	0.24	3.56	4.30	4.63	4.54
घटा: ब्याज	-	-	-	-	-	-
कर पूर्व लाभ	**3.46**	**1.33**	**10.76**	**5.80**	**14.22**	**7.13**
घटा: कर व्यय	1.11	0.39	4.25	1.41	5.36	1.80
कर पश्चात लाभ	**2.35**	**0.94**	**6.51**	**4.39**	**8.86**	**5.33**

ग. अन्य सूचना

(रुपए करोड में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
कुल परिसंपत्तियां	7.72	7.08	352.31	369.39	360.02	376.47
कुल देयताएं	2.08	0.17	181.33	206.04	183.41	206.21
इक्विटी विधि द्वारा लेखांकित संयुक्त उपक्रमों में निवेश	-	-	-	-	-	-
वित्तीय प्रलेखों, आस्थगित कर परिसंपत्तियों, निवल निर्धारित लाभ परिसंपत्तियों के अतिरिक्त गैर चालू परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-
वर्ष की समाप्ति पर पूंजीगत व्यय (पीपीपी, सीडब्ल्यूआईपी, निवेश परिसंपत्ति, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों, विकासाधीन और प्रयोग अधिकारी अमूर्त परिसंपत्त्यों में संवर्धन)	0.00	0.00	1.97	7.78	1.97	7.78

परियोजना के भौगोलिक स्थल के आधार पर दो प्रचालनिक सेगमेंट हैं घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय

(रूपए करोड में)

विवरण	प्रचालन आय		सेगमैन्ट परिसम्पतियां		स्थिर परिसंपतियां जोड़कर	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
परामर्श परियोजनाएं	79.21	165.23	190.55	211.05	0.10	0.09
जनशक्ति की आपूर्ति	16.44	27.87	104.79	116.82	-	-
एमएफसी को उपपट्टे पर देना	31.03	18.96	29.64	13.16	-	0.07

संयंत्र और मशीनरी को पट्टे पर देना	8.37	5.49	30.33	30.75	1.87	7.62
रेलपथ अनुरक्षण	1.02	1.36	2.56	2.54	-	-
अन्य	-	-	2.15	2.15	-	-
कुल	**136.07**	**218.91**	**360.02**	**376.47**	**1.97**	**7.78**

41. अतिरिक्त विनियामक सूचना:

(i) कंपनी ने 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं किया है।

(ii) कंपनी ने 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

(iii) कंपनी के पास 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 तक कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां कंपनी के खिलाफ किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू की गई हो या लंबित हो।

(iv) कंपनी के पास 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कोई पूर्व अवधि की त्रुटि नहीं है, जिसे इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में अलग से प्रकट किया जाना है।

(v) कंपनी के पास 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में वैधानिक अवधि से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए किसी भी शुल्क या संतुष्टि का कोई मामला नहीं है।

(vi) वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2022-23 के दौरान, कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को इस आशय के साथ अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ:

(क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगा या निवेश करेगा (अंतिम लाभार्थी) या

(ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई वस्तु प्रदान करेगा।

(vii) वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2022-23 के दौरान, कंपनी ने किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं (निधि देने वाला पक्ष) शामिल हैं, इस आशाय के साथ कोई निधि प्राप्त नहीं की है (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कि कंपनी:

(क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निधि देने वाली पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगी या निवेश करेगी या

(ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज़ प्रदान करेगी,

(viii) कंपनी ने 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और अन्य संबंधित पक्षों को ऋण के रूप में कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिया है।

(ix) कंपनी को वित्तीय वर्ष 2023-24 में किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है 2022-23.

(x) कंपनी को बैंक के साथ चालू परिसंपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए कंपनी द्वारा बैंक और खातों की पुस्तकों के साथ दायर विवरण का समाधान लागू नहीं है।

(xi) कंपनी के पास वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2022-23 में कोई उधार नहीं है, इसलिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार के उपयोग से संबंधित खंड उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए है जिसके लिए इसे तुलन पत्र तिथि पर लिया गया था।

(xii) कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष और 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान व्यवस्था की कोई योजना(एँ) शुरू नहीं की है।

(xiii) कंपनी ने लेखा बहियों में दर्ज न किए गए किसी भी लेन-देन में प्रवेश नहीं किया है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में आत्मसमर्पण या प्रकट किया गया है (जैसे कि तलाशी या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान।

42. हाल की घोषणा

कॉर्पोरेट मामले का मंत्रालय ("एमसीए") समय-समय पर जारी किए गए कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित करता है। दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एमसीए ने कंपनी पर लागू किसी भी नए मानक या मौजूदा मानक में संशोधन को अधिसूचित नहीं किया है।

43. दिनांक 23.03.2022 की अधिसूचना के अनुसार भारतीय लेखा मानक में संशोधन पर प्रकटीकरण और कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में संशोधन के अनुसार प्रकटीकरण

i. निम्नलिखित लेखांकन अनुपातों का प्रकटन किया गया है:

विवरण	न्यूमरेटर	डिनॉमिनेटर	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023	% परिवर्तन	25% से अधिक परिवर्तन का कारण
वर्तमान अनुपात	वर्तमान किराया संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	1.76	1.69	4.26%	लागू नहीं
ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए आय = करों के बाद शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय	ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन चुकौती	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल	करों के बाद शुद्ध लाभ - वरीयता लाभांश	औसत शेयरधारक की इक्विटी	0.05	0.03	60.69%	पिछले वर्ष की तुलना में लाभ में वृद्धि के कारण
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेचे गए सामान की लागत	औसत सूची	0.41	0.04	1020.14%	उपभोग की गई सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	शुद्ध क्रेडिट बिक्री = सकल क्रेडिट बिक्री - बिक्री रिटर्न	औसत व्यापार प्राप्य	2.00	2.59	-22.54%	लागू नहीं
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	शुद्ध ऋण खरीद = सकल ऋण खरीद - खरीद वापसी	औसत व्यापार देय	2.59	9.73	-73.38%	पिछले वर्ष की तुलना में व्यवसाय में कमी के कारण
शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	शुद्ध बिक्री = कुल बिक्री - बिक्री रिटर्न	कार्यशील पूंजी = वर्तमान संपत्ति - वर्तमान देनदारियां	1.22	1.99	-38.63%	पिछले वर्ष की तुलना में व्यवसाय में कमी के कारण
शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ	शुद्ध बिक्री = कुल बिक्री - बिक्री रिटर्न	0.07	0.02	167.53%	मुख्य रूप से संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में कमी के कारण
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और करों से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी = मूर्त निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता	0.14	0.08	82.52%	मुख्य रूप से संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में कमी के कारण

निवेश पर वापसी	ब्याज (वित्त आय)	निवेश	0.03	0.05	-37.03%	मुख्य रूप से वर्ष के दौरान निवेश में बदलाव के कारण

44. लेखांकन नीतियों और प्रकटीकरणों में परिवर्तन

नए और संशोधित मानक

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने निम्नलिखित भारतीय लेखा मानक में संशोधन करने के लिए 31 मार्च, 2023 को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 अधिसूचित किए हैं, जो 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि के लिए प्रभावी हैं। कंपनी ने पहली बार इन संशोधनों के लिए आवेदन किया:

(i) लेखांकन अनुमानों की परिभाषा - भारतीय लेखा मानक 8 में संशोधन

संशोधन लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन, लेखांकन नीतियों में परिवर्तन और त्रुटियों के सुधार के बीच अंतर को स्पष्ट करते हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि इकाइयाँ लेखांकन अनुमान विकसित करने के लिए माप तकनीकों और इनपुट का उपयोग कैसे करती हैं। संशोधनों का कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा

(ii) लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण - भारतीय लेखा मानक 1 में संशोधन

संशोधनों का उद्देश्य संस्थाओं को लेखांकन नीति प्रकटीकरण प्रदान करने में मदद करना है जो संस्थाओं के लिए अपनी 'महत्वपूर्ण' लेखांकन नीतियों को प्रकट करने की आवश्यकता को उनकी 'महत्वपूर्ण' लेखांकन नीतियों को प्रकट करने की आवश्यकता से बदलकर और लेखांकन नीति प्रकटीकरण के बारे में निर्णय लेने में संस्थाओं द्वारा भौतिकता की अवधारणा को कैसे लागू किया जाए, इस पर मार्गदर्शन जोड़कर अधिक उपयोगी हैं।

संशोधनों का कंपनी की लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन कंपनी के वित्तीय विवरणों में किसी भी आइटम के मापन, मान्यता या प्रस्तुति पर नहीं।

(iii) एकल लेनदेन से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों और देनदारियों से संबंधित आस्थगित कर - भारतीय लेखा मानक 12 में संशोधन

संशोधनों ने भारतीय लेखा मानक 12 के तहत प्रारंभिक मान्यता अपवाद के दायरे को सीमित कर दिया है, ताकि यह अब उन लेनदेन पर लागू न हो जो पट्टे जैसे समान कर योग्य और कटौती योग्य अस्थायी अंतर को जन्म देते हैं।

कंपनी के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इस संशोधन से प्रभावित होगी, तदनुसार इस संशोधन का कंपनी के वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

45. पुनर्वर्गीकरण और तुलनात्मक आंकड़े

कंपनी ने चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलना बढ़ाने के लिए तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों में कुछ पुनर्वर्गीकरण किए हैं। परिणामस्वरूप बैलेंस शीट में कुछ लाइन आइटम को पुनर्वर्गीकृत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क. 31 मार्च 2023 तक पुनर्वर्गीकरण से पहले और बाद में लाभ और हानि खाते की मदें

(करोड़ रुपये में)

विवरण	पुनर्वर्गीकरण से पहले पुनः घोषित राशि	पुनर्वर्गीकरण	पुनर्वर्गीकरण के बाद पुनः घोषित राशि
परिचालन व्यय (नोट 23)	194.76	28.10	166.66
अन्य व्यय (नोट 26)	4.38	-28.10	32.48

ख. 31 मार्च 2023 तक पुनर्वर्गीकरण से पहले और बाद में बैलेंस शीट की मदें

(करोड़ रुपए में)

विवरण	पुनर्वर्गीकरण से पहले पुनः घोषित राशि	पुनर्वर्गीकरण	पुनर्वर्गीकरण के बाद पुनः घोषित राशि
वर्तमान देयताएँ			
व्यापार देय			
व्यापार देय	18.958	-24.57	43.53
अन्य वित्तीय देयताएँ (नोट 18.2)	44.03	24.57	19.46

46 अन्य नोट

1) बीओडी अनुमोदन के अनुसार मद संख्या 10/15 दिनांक 20.02.2015 के अनुसार, कंपनी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे से पुरानी ट्रैक मशीनें खरीदने और उन्हें बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कंपनी की क्षमता निर्माण में मदद करने के लिए चालू करने के लिए 25.00 करोड़ रुपये की अपनी शेयर पूंजी जुटाई है। कुल अनुमानित स्वीकृत व्यय 25 करोड़ रुपये है, जिसमें से मार्च 2024 तक 22.92 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं (31 मार्च 2023 तक 21.53 करोड़ रुपये)

2) प्रबंधन की राय में, व्यवसाय के सामान्य क्रम में वसूली पर चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, बैलेंस शीट में बताए गए मूल्य से कम नहीं होगा।

3) तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों में कुछ पुनर्वर्गीकरण और पुनर्रचना की गई है ताकि चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलना को बढ़ाया जा सके। इन पुनर्वर्गीकरणों का परिचालन के रिपोर्ट किए गए परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

4) आंकड़े करोड़ रुपये में निकटतम रूप में पूर्णांकित किए गए हैं।

हमारी संलग्न समतिथिक रिपोर्ट के अनुसार

कृते मोहन गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई फर्म पंजीकरण - 006519एन

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से
इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड

ह/-
सीए हिमांशु गुप्ता
(साझेदार)
आईसीएआई सदस्यता सं. 527863

ह/-
अभिजीत कुमार सिन्हा
निदेशक
(डीआईएन- 09213782)

ह/-
पराग वर्मा
अध्यक्ष
(डीआईएन- 05272169)

ह/-
पूजा चौरसिया
सीएफओ

ह/-
अजय पाल सिंह
सीईओ

ह/-
मनीषा गुप्ता
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 मई 2024

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से प्रमाणपत्र

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड** का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम के अनुच्छेद 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 10 मई 2024 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

कृते एवं की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
ह/-
(डॉ निलोत्पल गोस्वामी)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
रेल वाणिज्यिक, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 02.07.2024

INFRA & SERVICES

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड
(इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
रजि. ऑफ: सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017, भारत कॉर्पोरेट ऑफ: बी-40ए,
सेक्टर-1, नोएडा-201306, यूपी
दूरभाष. : 01202970406
ई-मेल: Info@irconisl.com | वेब: www.irconisl.com